Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३ तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३१ वां दिवस संख्या २४

शुक्रवार, दिनांक २९ मार्च, १९६३।

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजकर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, श्रम, पंचायत राजस्व, वन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, नियुक्ति, सिंचाई, जागीर तथा सामान्य प्रशासन विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

निलम्बित नगरपालिकाध्यक्ष

६८५. **श्रीमती सुमित्रा** (झुन्झुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान में कुल कितने नगरपालिकाध्यक्ष निलम्बित अवस्था में हैं? उनके नाम, नगरपालिका का नाम तथा निलम्बन की तिथि बताने की कृपा करें?

(ब) प्रत्येक पर लगाये गये आरोप जिनके आधार पर उन्हें निलम्बित किया गया है, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स) प्रत्यक को चार्जशीट कब-कब दी गई तथा न्यायिक जांच कब-कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (अ) सूची संलग्न है।

(ब) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स) श्री केशवदेव मिन्तर को प्रथम बार आरोप-पत्र दिनांक १५-१२-६१ को और फिर ३१-१०-६२ को दिये गये। प्रथम आरोप-पत्र पर न्यायिक जांच के लिये केस दिनांक ३१-१०-६१ को भेजा गया तथा दूसरे आरोप-पत्र पर केस न्यायिक जांच के लिये दिनांक ५-१२-६२ को भेजा गया। श्री मोहनलाल शर्मा को आरोप-पत्र दिनांक १-१२-६२ को दिया गया तथा उनका केस न्यायिक जांच के लिये नहीं भेजा गया क्योंकि उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्रीमती सुमित्रा : क्या नवलगढ के नगरपालिका के अध्यक्ष श्री मिन्तर को

Page No 2

(श्रीमती सुमित्रा)
सस्पेन्ड करने के बाद एक सप्लीमेन्टरी चार्ज शीट दी गई है ३१-११-६२ को जो कानून के विरुद्ध है ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं, कानून के अनुसार है ।

श्रीमती सुमित्रा : आपके चार्ज शीट देने के बाद उसका जवाब आ गया, आरोप सिद्ध नहीं हुए । इसके बाद उनको बिना रिइन्स्टेट किये दूसरी सप्लीमेन्टरी चार्ज शीट दी जा सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस सिलसिले में एक बात बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कानूनन एक दफा राइट चार्ज शीट देने का है वह एग्जास्ट हो जाता है तो उसको दुबारा राइट दिया जा सकता है ? यह कामन सेंस का लॉ है और इसके साथ मैं कह सकता हूं कि इस तरह से सिलसिला बैठ गया तो एक एक चार्ज शीट फेल होती रहेगी और दूसरी चार्ज शीट देते रहेंगे और इस तरह से जो चुना हुआ आदमी है उसको जो अधिकार मिले हैं उनको वह काम में नहीं ला सकेगा ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो ओपीनियन का सवाल है ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या सरदारशहर के अध्यक्ष के निलम्बित करने के बाद उसका वाइस-चैयरमैन भी निलम्बित अवस्था में है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्रीमती सुमित्रा : उसे कौनसे आधार पर निलम्बित किया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : सरदारशहर नगरपालिका के एक हैड क्लर्क को कुछ अभियोग में बर्खास्त कर दिया गया था । उसको अपील उसने संचालक, स्वायत्त शासन से की और नगरपालिका के आर्डर को उन्होंने स्थगित कर दिया, और नगरपालिका को आदेश दिया कि उसको रख लो । नगरपालिका ने उस आर्डर को नहीं माना । अवज्ञा के आधार पर उनको सस्पेन्ड कर दिया है ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह इतना गम्भीर आरोप था कि आप उसको निलम्बित कर सकते थे ?

श्री दौलतराम सारण : जो आरोप था मैं निवेदन कर चुका हूं । अब गम्भीर था या कमजोर था, यह आप देख लें ।

श्रीमती सुमित्रा : इतनी छोटी सी अवज्ञा पर सस्पेन्ड किया जा सकता था ?

श्री दौलतराम सारण : इसका तो उत्तर निवेदन कर चुका हूं ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उप-मंत्री महोदय का यह जवाब रिलेवेन्ट नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट सवाल है कि नगर पालिका के एक वाइस-चैयरमैन को सिर्फ यह कहा गया कि इस आदमी को वापिस रख लो और उसने उसे रखना उचित नहीं समझा, केवल इस एक छोटे से चार्ज पर एक इलेक्टेड चैयरमैन या वाइस-चैयरमैन को सस्पेन्ड करना गलत है सरकार के लिए । अगर ऐसे सस्पेन्शन इतने छोटे से मामले पर

Page No 3

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
होंगे तो मैं समझता हूं किसी जगह पर कोई चैयरमैन बच नहीं सकता। कई चैयरमैन हैं जिन्होंने आपके कई कानूनों को और आपकी आज्ञाओं को नहीं माना। कई एडमिनिस्ट्रेटर्स आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते। उनको आपसे हटाया नहीं जा सकता तो क्या इस एक पर इस तरह का हमला किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कमिटमेन्ट तो इनसे करवाया जावे कि साल-साल भर हो गया सस्पेन्ड हुए, रिइन्स्टेट होते नहीं हैं। डाइरेक्टोरेट से आप लिस्ट ले सकते हैं तो इसके बारे में भी कोई आपकी पॉलिसी होगी कि कितने पीरियड तक वे सस्पेन्शन में रखे जा सकते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और जो दूसरे अवज्ञा करने वाले हैं सरकारी आज्ञा की, उनकी लिस्ट भी आप डाइरेक्टोरेट से ले सकते हैं, उनको सस्पेन्ड करेगा कोई ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो ऑफ हैण्ड कैसे कह सकता हूं ? आदेश तो सभी को मानने ही चाहिये। सरकारी आदेश अगर गलत हैं तो दूसरे तरीकों से उनको चेलेन्ज किया जा सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गलत आर्डर दें तो क्या उनका मानना जरूरी है ?

श्री दौलतराम सारण : इस पर्टिक्युलर केस के सम्बन्ध में इसको ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से इस पर गौर किया जावेगा।

श्रीमती सुमित्रा : नवलगढ नगरपालिका के चैयरमैन के बारे में भी निवेदन है कि उनकी भी निश्चित अवधि तक न्यायिक जांच करा दी जावेगी ?

श्री दौलतराम सारण : इसके संबंध में तो निवेदन किया कि न्यायिक जांच हो रही है और परसों भी अलग से प्रश्न आया था तब विस्तार से बतलाया था, और आश्वासन भी दिया था कि कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है, विलम्ब होने का सवाल नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या सरकार बतावेगी कि जिस नौकर के लिये सरकार ने कानून बना दिया है कि दो साल तक जो सस्पेन्डेड हैं वह इस अवधि के बाद रिइन्स्टेट किया जा सकेगा तो क्या जो इलेक्टेड हैं उनके लिये पीरियड मुकर्रर करेंगे आप कि इससे ज्यादा उसको सस्पेन्ड नहीं रक्खेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : आपके इस सुझाव को ध्यान में रखकर विचार किया जावेगा।

गंगानगर जिले की जिनिंग फैक्टरीज के मजदूर

६८६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले भर की जिनिंग फैक्टरीज में मजदूरों, औरतों, गर्भवती औरतों तथा नाबालिग बच्चों से पन्द्रह-पन्द्रह घन्टे काम लिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि मजदूरों को उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती तथा एक्सीडेन्ट्स का कोई कम्पेन्सेशन भी नहीं दिया जाता ?

Page No 4

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त जिनिंग फैक्टरीज में मजदूरों का कोई रेकार्ड भी मेन्टेन किया जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि जनता द्वारा फैक्टरी इन्सपेक्टर को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया ?

(५) इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में कितने चालान किये गये हैं ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सही नहीं है ।

(२) कानून के तहत जिनिंग फैक्टरियों के मजदूरों के लिये कोई मजदूरी नहीं निश्चित की गई है। एक्सीडेन्ट्स होने पर वर्क-मैन कम्पेन्सेशन एक्ट के मातहत कार्यवाही की जाती है ।

(३) फैक्टरी एक्ट के तहत जो रेकार्ड जरूरी है वह साधारणतया रखा जाता है ।

(४) जनरल सेक्रेटरी, सादूल टैक्सटाइल मजदूर यूनियन, श्री गंगानगर से एक कम्पलेन्ट इस सिलसिले में आई थी। शिकायत की जांच की गई थी; परन्तु उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया ।

(५) इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में कोई चालान नहीं किया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें आई, यह बताने का कष्ट करेंगे, विभिन्न फैक्टरियों से ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक ही आई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे गंगानगर जिले की फैक्टरियों के सम्बन्ध में बच्चों से और गर्भवती स्त्रियों से काम लेने के सम्बन्ध में और मजदूरों को मजदूरी उचित रूप में नहीं दिये जाने की एक ही शिकायत आई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपकी सूचना बिल्कुल गलत है ।

सौ डेढ सौ कम्पलेन्ट्स हो चुकी हैं। दुबारा इस सम्बन्ध में जांच करने का प्रयत्न करें ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दुबारा जानकारी करा सकता हूं, पर सूचना जो मैंने दी है वह गलत नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी भारत जिनिंग प्रेस में आग लगी थी और कम से कम १०० आदमियों की कम्पेन्सेशन की एप्लीकेशन्स हैं और आप कहते हैं एक ही है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जांच कराएंगे ।

ग्राम पंचायत निम्बाडा की सरहद पर वन विभाग की नर्सरी

६८७. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की ग्राम पंचायत निम्बाहेडा की सरहद में वन विभाग द्वारा लगाई गई नर्सरी पंचायत

Page No 5

(श्री मोहनराज)
समिति रानी ने पंचायत निम्बाडा के बजाय ग्राम पंचायत बूसी को सुपुर्द की है ? क्या राज्य सरकार ने इस गलती को दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं ?

(२) क्या उक्त वन नर्सरी में काम करने वाले व्यक्तियों को उनकी तनख्वाह व मजदूरी का रुपया नहीं चुकाया जाने के फलस्वरूप नर्सरी को नुकसान हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त नर्सरी के विकास हेतु जो ६ हजार रुपये की राशि पंचायत बूसी को दी गई थी उसके दुरुपयोग अथवा अनुपयोग के संबंध में जिलाधीश पाली और विकास अधिकारी रानी द्वारा कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं, नर्सरी का प्रबन्ध पंचायत, बूसी, निम्बाडा व सोमेसर तीनों को सोंपा है । राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये हैं ?

(२) जी नहीं ।

(३) ६०००) रुपये के दुरुपयोग होने के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है । केवल सरपंच, बूसी से हिसाब मांगा गया है ।

श्री मोहनराज: हिसाब किसके द्वारा मांगा गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: कलेक्टर ने मांगा है ।

श्री मोहनराज: वह हिसाव कलेक्टर को मिल गया या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: अभी नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री उम्मेदसिंह ।

बाडमेर नगरपालिका का चुनाव

६८८. **श्री उम्मेदसिंह** (बाडमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाडमेर नगरपालिका के चुनाव किन-किन कारणों से स्थगित किये जा रहे हैं ?

(२) चुनाव होने की अवधि समाप्त होने के बाद कब-कब अवधि बढाई गई और क्यों ?

(३) क्या अब चुनाव करवाने के संबंध में समस्त प्रारम्भिक कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो कितने समय में सारी कार्यवाही पूरी कर चुनाव करवाये जायेंगे ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) नगरपालिका के वार्डों व सीटों का गठन नहीं हुआ, फिर सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार चुनाव कराने के निर्णय से वार्डों व सीटों का गठन करना, संकटकालीन स्थिति के घोषित हो जाने से ।

(२) निर्वाचित बोर्ड की बढाई गई अवधि :—

अवधि समाप्ति की तिथि १	अवधि बढोतरी की तिथि २	राज्य आज्ञा की तिथि ३
२७-११-५९	३१-१-६०	५-११-५९
३१-३-६०	२६-८-६०	४-४-६०

(श्री दौलतराम सारण)

१	२	३
२६-८-६०	३१-१२-६०	२४-९-६०
३१-१२-६०	३१-५-६१	२८-२-६१
३१-५-६१	३०-९-६१	२५-५-६१

दिनांक १-१०-६१ से ३१-३-६२ तक छः माह के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई ।

३१-३-६२	३०-९-६२	३१-३-६२
३०-९-६२	३१-१२-६२	२७-९-६२
३१-१२-६२	३०-४-६३	४-१२-६२

(३) करीब ५-६ माह लगेंगे ।

श्री उम्मेदसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो यह अवधि बढाई गई है और उसके जो कारण बताये हैं ये सब में लागू होते हैं, जितनी बार अवधि बढाई गई है ?

श्री दौलतराम सारण : एक बार तो अभी आपत्कालीन स्थिति के संबंध में तथा जिन नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त होने को थी सभी की बढाई गई है और अलग-अलग नगरपालिका की समय-समय पर जैसे अवधि समाप्त होती रहती है बढाई जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

मिलों में उत्पादन बढाने की योजना

६८९. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) [श्री केदार नाथ (गंगानगर) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या त्रिदलीय फैसले के अनुसार उत्पादन बढाने की योजना बनाई गई है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान के मिल मालिकों ने उत्पादन बढाने के बजाय शिफ्टें और डिपार्टमेन्ट बन्द किये हैं ?

(३) यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, केवल चार फैक्ट्रियों ने ऐसा किया है ।

(३) कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव का कोई लीगल फोर्स नहीं है ?

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि ब्यावर में कृष्णा और लक्ष्मी मिल की थर्ड शिफ्ट बन्द कर दी गयी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हां, बन्द की हैं ।

श्री केदारनाथ : क्या शिफ्ट को बन्द करना इन्डस्ट्रियल ट्रूस जो गवर्नमेन्ट, एम्प-लॉयर और एम्पलाईज में फैसला हुआ था उसकी स्प्रिट के खिलाफ नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सूचना देकर बन्द की है। वैसे वे नियमानुसार भी बन्द कर सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि भीलवाडा मिल में पिछली साल के बजाय इस साल प्रोडक्शन बढा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्रोडक्शन के संबंध में अलग से प्रश्न है । यह मैं जान-कारी करके बाद में बता सकता हूं ।

Page No 7

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी ट्रिपार्टाइट मीटिंग में यह तय नहीं हुआ था कि आप किसी मिल को बन्द नहीं कर सकते थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन लीगल ब्रोझ नहीं है। और कोई दिक्कत होती हो तो बन्द कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं कि नवम्बर के अन्दर जो ट्रिपार्टाइट मीटिंग हुई है उसमें फैसला ले लिया गया है और मजदूरों को आश्वासन दे दिया गया था और मालिकों में पूर्ण रूप से फैसला हो चुका था कि एमर्जेन्सी के अन्दर प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए कोई भी मिल बन्द नहीं की जायेगी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनके लिए मजदूर बाध्य थे और कुछ ऐसी चीजें थीं जिनके लिए मालिक बाध्य थे। यह उसके खिलाफ बन्द की गई है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं, साहब।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहा कि इसके लिए मालिक बाध्य नहीं हैं, तो क्या एमर्जेन्सी को देखते हुए और प्रोडक्शन की दृष्टि से इसका बन्द करना उचित था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीसरी शिफ्ट बन्द की है, उद्योग बन्द थोडे ही हुआ है।

श्री रामकिशन : प्रोडक्शन के ऊपर तो असर पडता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कहीं कोयले की दिक्कत थी, कहीं वैगन्स की दिक्कत थी।

श्री केदारनाथ : ऐसा है कि यार्न बनने में तो फायदा है। इसलिये बन्द करने के पीछे प्रोफिट-मोटिव है। जहां यार्न का काम है उसमें तो मालिक को फायदा है किन्तु कपडे के पीछे फायदा नहीं है, इसलिये बन्द की गयी है।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : आप जांच कर लें, उसमें क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फिर भी मैं जांच कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक होगा तो जांच की जायेगी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एमर्जेन्सी को देखते हुए और प्रोडक्शन को देखते हुए आपको इस संबंध में जांच करनी चाहिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठीक है, कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६९०

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह।

घग्घर नदी की बाढ से क्षति

६९१. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६२ में घग्घर नदी में आने वाली बाढ से कुल कितनी क्षति हुई ?

Page No 8

(श्री श्योपतसिंह)

(२) बाढ के कारण कितने रकबे में रबी की फसल नहीं बोई जा सकी व कितने रकबे में अभी तक पानी चल रहा है ? इससे कितने टन अनाज कम पैदा होने का अनुमान है ?

(३) सरकार ने बाढ-पीडितों की सहायतार्थ क्या कार्य किया व कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

(४) घग्घर नदी की बाढ को रोकने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सन् १९६२ में घग्घर नदी में बाढ से कुल १,०४,७४५ एकड भूमि बाढ ग्रस्त हुई जिसके फलस्वरूप लगभग १,२०,२५,०००) रुपये की क्षति फसलों की हुई।

(२) इस बाढ के कारण २६,५३५ एकड भूमि में रबी की फसल नहीं बोई जा सकी। अभी लगभग २०,००० एकड भूमि जलमग्न है । इसके फलस्वरूप करीबन २४,५०० टन पैदावार कम होने का अनुमान है ।

(३) राज्य सरकार द्वारा क्षति ग्रस्तों को १,७८,६०० रुपये सहायतार्थ दिये तथा सात लाख रुपये मकान बनाने के लिए मंजूर किये हैं। बाढग्रस्त तीनों तहसीलों की वसूली सस्पेन्ड कर दी गई। तलवाडा कलां गांव को भविष्य में बाढ से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत लगभग ८२,३००) रुपये है ।

(४) लगभग ४७२ लाख रूपये की लागत की योजना केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है । स्वीकृति आने पर इस योजना पर काम आरम्भ किया जायेगा । घग्घर बाढ के उत्पात से पूर्ण मुक्ति इस योजना के कार्यान्वित होने पर ही मिलेगी किन्तु अल्पकालीन योजनायें बनाई जा चुकी है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

१. हनुमानगढ टाऊन एवं जंकशन के लिए बांध बनवाया गया है ।

२. सूरतगढ के लिए बांध बनवाया गया।

३. करनीजी डिस्ट्रिब्यूटरी के बैंक को ऊंचा किया गया । ताकि पानी और दूसरी ओर न जा सके ।

श्री श्योपतसिंह : आपने जो बताया कि ७ लाख रुपये मकानों को कर्जा और सब्सिडी के तौर पर दिये हैं, उसमें से आज तक कितने रुपये आप दे चुके हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कर्ज के लिये सात लाख रुपया मन्जूर करके कलेक्टर के डिस्पोजल पर कर दिया गया है और अब उन्होंने इसमें से कितना बांट दिया है या कितना नहीं, इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह : मैं मंत्री महोदय के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि जो लोग डूब गये थे, नाली के फ्लड से उनके मकान गिर गये थे, उनको किसी को भी आज तक रुपया

(श्री श्योपत सिंह)
नहीं दिया गया और जो थोडा बहुत पैसा दिया गया है वह इस ढंग से दिया गया है कि जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा तलवाडा कलां में लोगों की तरफ से इस तरह की शिकायत आपके पास में गयी थी जब मुख्य मंत्री महोदय, भी गये थे कि ऐसे लोगों को सब्सिडी दी गयी है, जिनके मकान नही डूबे थे और जिनके डूबे थे उनको नही दिया गया। आपने इसकी जांच की है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुख्य मंत्री महोदय वहां पधारे थे उसके बाद ही यह सारी व्यवस्था हुई कि हर इफैक्टेड फैमिली को ग्रेचुइट्स रिलीफ १५०) रुपये की नकद दी और साथ ही साथ हाउस कन्सट्रक्शन के लिये १५०) रुपया पर फैमिली के हिसाब से सब्सिडी दी जो कि नॉन-रिकवरेबिल है। इसके अलावा ७ लाख रुपये दिये है जो कि केवल कर्जे के रूप में उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे। तो जहां तक १५० रुपये ग्रेचुइट्स रिलीफ और १५० रुपये सब्सिडी का सवाल है उसकी तो सूचना मेरे पास है जो दी जा चुकी है, लेकिन ७ लाख रुपये जो लोन के दिये जाने वाले है उसमें से कितने बांटे कितने नहीं इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री श्योपत सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को दिये गये है सब्सिडी के तौर पर या १५०) रुपये मकान कन्सट्रक्शन के लिए वह गलत आदमियों को दिये है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत आदमियों को देने का प्रश्न नहीं उठता और वह इसलिए कि प्रधान पंचायत समिति, सरपंच, विकास अधिकारी और तहसीलदार इन सब ने मिलकर मौके की तस्दीक की मौके के नक्शे है वे बनाये गये, लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट को नाजिम ने स्क्रुटिनाइज करके मंजूरी की।

श्री श्योपत सिंह : वहां के प्रधान और बी. डी. ओ. जांच करने गये यह कतई गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के आधार पर प्रधान उसमें शामिल थे।

श्री श्योपत सिंह : प्रधान को बुलाया नहीं गया, पंच को बुलाया नहीं गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं स्वयं जब वहां दौरे पर गया तब सबसे मिला हूं। सवाल यह नहीं है कि गलत दिया गया एक फैमिली को दिया गया उसने लाभ उठा लिया उसी फैमिली का एक सदस्य कहता है कि मैं उस फैमिली से अलग रहता हूं मुझे भी मिलना चाहिये। इस प्रकार की दरख्वास्ते आई उनकी जांच की गई।

श्री श्योपत सिंह : जांच की गई उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच की रिपोर्ट यह हुई कि वह शिकायत गलत थी।

श्री श्योपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी है सदन को वह गलत है। मैं मंत्रीजी को इन्वाइट करता हूं कि आप मौके पर चलिये, जिस गांव में राहत दी गई उस गांव को देखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस गांव को एक बार से अधिक आपने नहीं देखा होगा मैं वहां एक बार से अधिक बार वहां जा चुका हूं।

श्री श्योपत सिंह : आप बिल्कुल गलत कहते हैं। बाढ आई थी, जोड भर गया था, मैं वहां गया हूं, मैंने वहां की हालत देखी है, मेरी वहां रिश्तेदारी है, मैं लोगों को पर्सनली जानता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप अपनी रिश्तेदारी के आधार पर कह रहे हैं, मैं तो स्वयं वहां गया था।

श्री श्योपत सिंह : मेरे किसी रिश्तेदार ने सहायता नहीं मांगी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं एक सप्लीमेन्टरी प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर के डिस्पोजल पर कितनी धन राशि रखी और उसको डिस्पोज ऑफ किये हुए कितना समय हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २३ फरवरी, १९६३ से हम ने ४८,०००) रुपये की राशि उनके डिस्पोजल पर रखी। उससे पहले १ लाख ३० हजार रुपये की राशि उससे भी पहले भेजी थी, उसके बाद ७ लाख की राशि भेजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कलेक्टर से आपके पास वितरण की रिपोर्ट आई और जैसा कि कहते हैं आप दो दफा वहां हो आये हैं तो क्या आपने वहां उनसे यह रिपोर्ट प्राप्त की है कि सारी की सारी राशि जो पहले इन्सटालमेन्ट में दी थी वह वितरित हो चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ७ लाख रुपये के वितरण की सूचना उपलब्ध नहीं है कि उसमें से कितनी राशि दी जा चुकी है। जहां तक १,७८,०००) रुपये का सवाल है, मैंने बता दिया कि उनको दी जा चुकी है।

श्री दलपत सिंह (आबूरोड) : बाढ पीडितों को जमीन देने का सवाल है या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस जमीन पर बाढ आगई थी, बाद में निकल गई उस जमीन से नला रेट चार्ज की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या लैण्ड रेवेन्यू से आपका मतलब है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड कर रखी है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड कर रखी है।

श्री श्योपतसिंह : उस भूमि की कर रखी है जिसकी जमीन पानी के अंदर डूबी हुई है लेकिन बाढ के कारण जिस फसल को नुकसान हुआ उसका क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह भी सस्पेन्ड है। आप आर्डर की परिभाषा देखिये इसमें साफ लिखा है कि न केवल लैंड रेवेन्यू बल्कि एरियर्स जिस किस्म के भी हैं चाहे वे ईरिगेशन चार्जेज हैं, वैटरमेन्ट लेवी के एरियर्स हैं, वे सब सस्पेन्डेड हैं।

श्री श्योपत सिंह : जिनकी फसल खत्म हुई थी उसका क्या हुआ ?

श्री दलपत सिंह : मैं एक इम्पोरटेन्ट प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि बाढ-पीडितों को जमीन देने का इरादा सरकार रखती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री दलपतसिंह : मेरा सप्लीमेन्ट्री इम्पोर्टेन्ट है इसका जवाब आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I have called the name please.

Shri Bhim Sen

चराई की दरें जोड बीड, जिला बीकानेर

६९२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : वन-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वन-खंड जोड-बीड, जिला बीकानेर भू. पू. बीकानेर स्टेट के समय पूरें साल भर चराई के लिये खुला था तथा चराई की दर भी वर्तमान दरों से काफी कम थीं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार इस साल जोड–बीड में पूरे साल की भेडों की चराई पहले से अधिक वसूल कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

वन-उप मंत्री, (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी नहीं।

(२) भैंसा व बछडों को छोड कर और सब जानवरों के रेट में कमी हो गई है। भैंसों की दर पहले की ही है। बछडों की दर कुछ बढी है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि अगस्त माह में कलेक्टर, बीकानेर ने रेट्स रिवाइज्ड करने के लिये सरकार को पत्र लिखा है ?

वन मंत्री (श्री भीखा भाई) : इसकी जानकारी माननीय सदस्य ने दी थी, मैंने पता किया, ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कलेक्टर, बीकानेर को लिखा है कि इस प्रकार का पत्र यदि उन्होंने लिखा है तो उसकी प्रतिलिपि भेजें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : बछडों की रेट क्यों बढाई है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भीमसेन : कलेक्टर, बीकानेर के पत्र पर विचार करेंगे ?

श्री भीखा भाई : पत्र नहीं लिखा है, पत्र लिखेंगे तो विचार करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बछडों की रेट क्यों बढाई है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

बालोतरा में मेटर्निटी वार्ड व लेडी डाक्टर की नियुक्ति

६९३. रावल **श्री अमरसिंह जासोल** (पचपदरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बालोतरा में मेटर्निटी वार्ड खोलने एवं एक लेडी डाक्टर की नियुक्ति की योजना काफी अर्से पूर्व निश्चित हो जाने के उपरान्त भी आज दिन तक कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

(२) सरकार इस योजना हेतु कितनी धन राशि लगाने को तैयार है व कब तक इसे पूरा किया जावेगा ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : बालोतरा में जच्चा वार्ड (मेटर्निटी वार्ड) का निर्माण कार्य इसलिये शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि बालोतरा की जनता ने जो १७,५००) की धन राशि इकट्ठी की है वह राज्य सरकार के पास अब तक इस कार्यालय द्वारा लिखने पर भी जमा नहीं कराई गई है, अतः दान स्वीकृत नहीं किया

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
जा सकता है। लेडी डॉक्टर का कोई वायदा नहीं किया गया था।

(२) यदि जनता द्वारा दिये गये धन से वार्ड बनाया जाता है तो सरकार द्वारा धन राशि लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

रावल श्री अमरसिंह (जासोल) : जनता द्वारा १०,०००) रु० इकट्ठे किये हुए हैं वे सरकार के पास किसी वक्त जमा कराये जा सकते हैं। यह रकम जमा होने पर क्या सरकार मेटर्निटी वार्ड खोलने का आश्वासन देती है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पैसा जमा करने के बाद।

श्री अमरसिंह : पैसा जमा कराने के बाद तो जल्दी खुल जायगा?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वार्ड खोलने की व्यवस्था का सवाल है, डॉक्टर भेजने का नहीं। एग्जिस्टिंग स्टॉफ है उसके द्वारा ही संचालन किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

नगरपालिका फतहपुर की जल प्रदाय योजना।

६९४. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिका फतहपुर, जिला सीकर ने जल-प्रदाय योजना के लिये सरकार को अपनी योजना बता कर स्वीकृति के लिये निवेदन किया है? यदि हां, तो यह योजना कितने रुपयों की है?

(२) उक्त योजना को सरकार कब पूरा करेगी?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : नगरपालिका के निवेदन पर व जिलाधीश की सिफारिश पर चीफ इन्जीनियर हैल्थ (मुख्य अभियन्ता, स्वास्थ्य) द्वारा जल-प्रदाय योजना बनाई गई जिसकी अनुमानित लागत १८,३१,५००) रु० है।

(२) योजना की स्वीकृति धनाभाव के कारण नहीं दी गई। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालूराम चौधरी : इस नगरपालिका को स्वीकृति नहीं दी गई तो दूसरी व कितनी नगरपालिकाओं को अब जलप्रदाय के लिये स्वीकृति दी गई है?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग सवाल है।

श्री बालूराम चौधरी: अलग कैसे है?

श्री उपाध्यक्ष : Next question.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के राज-पत्रित अधिकारी

६९५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कुल गजेटेड ऑफिसरों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के गजेटेड अफसरों की अलग अलग संख्या कितनी है? अलग अलग रेन्क्स की संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(ख) राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कितने कितने विकास अधिकारी हैं?

(ग) क्या यह संख्या इन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(घ) सरकार इन जातियों को सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित अनुपात में लेने के लिये क्या कदम उठा रही है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) कुल राजपत्रित अधिकारी लगभग ६,३५० हैं; इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लगभग क्रमश: २९ तथा १६ अधिकारी हैं: मुख्य सेवाओं में इनकी संख्या इस प्रकार है:—

सेवा	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
आई. ए. एस.	१	१
आई. पी एस.	२	१
आर. ए. एस.	१३	१
आर. ए. सी.एस.	१	..

इन जातियों के बाकी अधिकारी अन्य सेवाओं में हैं।

(ख) अनुसूचित जाति के ६ और अनुसूचित जन जाति के ३ विकास अधिकारी हैं।

(ग) जी नहीं। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति जन-सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये व्यक्तियों की जाती है। रिक्त स्थानों को भरने के लिये जो पत्र (रिक्विजीशन) आयोग को भेजे जाते हैं उनमें सुरक्षित स्थानों की संख्या अंकित करदी जाती है। किन्तु उनके अनुसार नियुक्ति योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में नहीं हो पाती। विकास अधिकारियों की सीधी नियुक्ति (डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट) नहीं होती है। अलग-अलग सेवाओं से ये व्यक्ति लिये जाते हैं।

(घ) सुरक्षित स्थानों में इन व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने के लिये समय समय पर आदेश जारी किये गये हैं किन्तु योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में निश्चित अनुपात में पूर्ति नहीं हो पाती। राज्य सरकार ने आयोग को यह भी लिख दिया है कि इन जातियों के व्यक्तियों को जो लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जावें किन्तु साक्षात्कार में निर्धारित साक्षरता में निर्धारित अंक न प्राप्त कर सके अथवा उत्तीर्ण होने के लिये संपूर्णांक (एग्रीगेट) मार्क्स) न प्राप्त कर सकें उनको भी नियुक्ति के लिये सिफारिश की जावे। निश्चित् अनुपात में इन व्यक्तियों की नियुक्ति तभी सम्भव हो सकती है जब कि हर सेवा के लिये योग्य (क्वालिफाइड) व्यक्ति उपलब्ध हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गजेटेड ऑफिसर्स में इनके लिए रिजर्वेशन कितना है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी श्रेणी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : गजेटेड श्रेणी के लिए?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : साढे बारह परसेन्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जो नाम

Page No 14

आते हैं उनमें इन जातियों के लोगों, जिनकी कम अनुपात में योग्यता है दूसरी जातियों के मुकाबले, के नाम रिजेक्ट कर दिये जाते हैं कम योग्यता होने के कारण?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं नहीं कह सकता कि सब तरह योग्यता रखने वाला शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं हो तो किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमन्ड किया हो और कम योग्यता रखने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जन जातियों और अनुसूचित जातियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी योग्यता कम भी हो दूसरी सवर्ण जातियों के मुकाबले तो उनका अनुपात पूरा करने के लिए कम योग्यता वाले व्यक्तियों को रख लिया जायगा क्या ऐसा आपने आदेश जारी किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।····

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह पूरी करनी होगी, रिटन एग्जामिनेशन के अन्दर जितने मार्क्स प्राप्त करने चाहिये व मार्क्स प्राप्त करने होंगे। वे वाइवावोसे (Viva Voce) के अन्दर उत्तीर्ण न भी हों तब भी अगर रिटन एग्जामिनेशन में वह क्वालिफाई कर पायें तो नाम की सिफारिश की जा सकती है। यह विशेष रियायत दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जन जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार अगर मेरिट्स में नीचे आते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन के मुताबिक रिटन में मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, अगर अनुपात से उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है तो क्या सवर्णों के मुकाबले ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना चाहिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मेरिट के अनुसार शिड्यूल्यड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवार नहीं मिलें और इनका कोटा पूरा नहीं हो तो सरकार समिति से इन्क्वायरी क्या कराती है? वह क्या काम करेगी? सरकार का कहना है कि मेरिट्स के अनुसार कैन्डीडेट नहीं है, उनका कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो आपकी कमेटी क्या इन्क्वायरी करती है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया क्वालिफिकेशन्स को पूरा करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग मिले, वह ट्रेनिंग देने की बात आये और दूसरी सुविधायें देने की बात आये, उसके लिए काम करे और वह क्वालिफिकेशन हासिल हो सके। लेकिन जो ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन है, उसमें ऐसा उसूल नहीं है कि ग्रेजुएट के बजाय मैट्रिक्यूलेट को ठीक मान लिया जाय। यह सम्भव नहीं है। इसके अलवा जो मिनिमम मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं रिटन एग्जामिनेशन में उसमें तय कर दिया है, उसमें परसेन्टेज पूरा नहीं होता है तो सबजैक्ट टू डेट जो रिलेक्सेशन हो सकते हैं वह करते हैं।

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : अनुभव का जो आधार है वह इन लोगों को नहीं हो सकता क्योंकि राज्य दूसरे लोगों के हाथ में रहा है। क्योंकि उनको अनुभव पूरा

नहीं हो सकता इस लिये यह अनुभव की शर्त आप हटा दीजिये। सरकार की यह बहुत ही बडी अयोग्यता है कि पन्द्रह साल के अन्दर भी वह पूरा परसेन्टेज प्राप्त न कर सके।

अब इनके साथ यह जो सख्त शर्त है उस को हटा लेने की कोशिश की जायगी, क्या सरकार इस पर विचार करना चाहती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कम नहीं की जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

डाक्टरों का रिटायरमेन्ट

६९६. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान में डाक्टरों की कमी है जिसके कारण डाक्टरों को रिटायर नहीं किया जा सकता ? यदि नहीं, तो रिटायर होने वाले डाक्टरों को रीएम्प्लाय क्यों किया जाता है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी हां। राजस्थान में डाक्टरों की कमी है। डॉक्टरों को रिटायर नियमानुसार किया जाता है परन्तु डाक्टरों की कमी होने के कारण उन डाक्टरों को जो कि मैन्टली और फिजीकली फिट हैं रीएम्प्लाय कर दिया जाता है।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या सरकार यह जानती है कि रीएम्प्लायमेन्ट डाक्टर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको नुकसान होता है ? सरकार क्या पॉलिसी रखती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह स्थिति नहीं है, सारे डाक्टर्स रीएम्प्लायमेन्ट के लिए कोशिश करते हैं। और आज जो स्थिति है उसमें प्रश्न उठने वाला नहीं है क्योंकि रिटायर होने की अवधि बढा दी गई है, ५५ से बढा कर ५८ कर दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रीएम्प्लायमेन्ट के लिये डाक्टर कोशिश करते हैं-यह आपने फर्माया। वह कोशिश कैसे करते हैं ? सरकार से ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, वे सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजते हैं कि रीएम्प्लायमेन्ट किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जिन रिटायर्ड डाक्टर्स का रीएम्प्लायमेन्ट किया जाता है, वे ऐसे होते हैं कि वे अपने रहने के स्थान से नजदीक रहना चाहते हैं। इससे यह होता है कि वे दस बीस दिन डिस्पेंसरी से गायब रहते हैं। क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसी शिकायत आयेगी तो उस पर जांच की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने खुद ने शिकायत की है एक डाक्टर, जिसका रीएम्प्लायमेन्ट किया गया है वह चाहता है कि उसे घर के पास रखा जाय, नहीं तो उसने इस्तीफा दे रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समुचित रूप से विचार किया जायगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : कमी पूर्ण हो जाय तो ऐसी स्थिति में क्या सब जगह डाक्टर सप्लाई कर सकेंगे ?

Page No 16

श्रीमती प्रभा मिश्रा: मैंने यह नहीं कहा कि डाक्टरों की कमी पूर्ण हो जायगी। मैंने यह बतलाया कि अभी ५५ वर्ष की उम्र में रिटायर होते थे उस अवधि को बढा दिया गया है। इसलिये रिटायर्ड डाक्टर्स के री-एम्प्लायमेंट का प्रश्न सामने नहीं आने वाला है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: रिटायर्ड डाक्टरों के लिए मैंने अर्ज किया कि इस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिये क्या स्टेप लेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह कोशिश की जायगी कि वे बराबर डिस्पेंसरी में हाजिर रहें। यह अगर नहीं होते हैं तो जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री अब्दुल जब्बार: क्या मंत्री महोदया यह आश्वासन देंगी कि यह जो टर्म बढा दी गई है, ५८ ईअर कर दी गई है, तो आफ्टर ५८ ईअर्स क्या उनकी सर्विस एक्सटेंड करने का सरकार विचार रखती है या इस प्रकार रीएम्प्लाय कर रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इस पर बहुत ही जल्दी फैसला हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुझारसिंह।

नहरों की मरम्मत तहसील झालरापाटन

६९७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तालाब मदन सरोवर गिन्दोर व मुंडल्या खेडी तहसील झालरापाटन से क्रमशः कितने कितने बीघा क्षेत्र में पीवल की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि इन तालाबों की नहरों की मरम्मत बरसों से नहीं होने के कारण पानी बेकार जा रहा है व काश्तकारों को काफी परेशानी है ?

(३) छोटे क्षेत्रफल व विभागीय अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन तालाबों को पंचायत समिति के सुपुर्द कर देने का विचार करती है ?

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, बावजूद सारे प्रयत्नों के इसका जवाब समय पर नहीं आया, इसलिये मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि यह प्रश्न पन्द्रह दिन के लिये रोक लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

जैसलमेर में काश्त का इन्द्राज

६९८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जैसलमेर में खडीन, लानेला, आकला, पतरप व दड में पीढियों से मेघवाल भील, नाई, स्वामी आदि काश्त करते आ रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह काश्त इनके नाम से इन्द्राज हुई है ? यदि हां, तो किसके नाम से ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) रेवेन्यू रेकार्ड के अनुसार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
ऐसे काश्तकार होना नहीं पाये जाते हैं।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास: वहां के क्या रेवेन्यू रेकार्ड हैं ? क्या आपने रेकार्ड देखे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: समेरी सेटलमेंट हुआ था, उसका रेकार्ड वहां है।

श्री मुरलीधर व्यास: सेटलमेंट अभी हुआ है। पहले हुआ नहीं था। देखना इस बात को था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह समेरी सेटलमेंट २०१४ में हो गया था, छः वर्ष हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या यह सही है लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार राजस्थान की सभी तहसील और जिलों में जो खसरा खतौनी के कागजात हैं उनको मेन्टेन करना आवश्यक है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि इस प्रकार के कागजात इन स्थानों पर मेन्टेन नहीं होते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: २०१४ से मेन्टेन हो रहे हैं।

श्री दलपत सिंह (आबू): इन गांवों की जमीन किसके कब्जे में है और कौन काश्त कर रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: प्रश्न यह है कि जिनके कब्जे में होना आपने बताया है, उनके कब्जे में नहीं है। जिनके कब्जे में है उनकी भी मेरे पास लिस्ट है, लेकिन वह बहुत लम्बी है।

श्री दलपत सिंह: जिनके कब्जे में है उनके नाम गिरदावरी में दर्ज है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दर्ज है। उसकी लिस्ट मेरे पास है, वह बहुत लम्बी है। प्रश्न यह है कि प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि इनके नाम पर दर्ज है। मैंने निवेदन किया कि उनके नाम पर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: मैंने जनरली देखा है कि मेघवाल, भील, नाई, स्वामी—ये काश्त करते हैं। जैसलमेर रियासत में पहले रेकार्ड नहीं होता था, सेटलमेंट नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि वहां के जागीरदार ने सेटलमेंट से हाथ मिला लिया और जो सदियों से जमीन बो रहे थे और जिनको हक मिलना चाहिए—वे हक से महरूम रह गये हैं। इस स्थिति में आप स्वयं गम्भीरता से जांच करा लें और पता लगायें कि सदियों से जमीन को जोतने-बोने वाले कौन थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं निवेदन कर रहा था कि वास्तविकता क्या है, मैं नहीं कह सकता। रेकार्ड्स के आधार पर क्या स्थिति है, रेवेन्यू रेकार्ड्स के आधार पर, वह मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): प्रश्न यह है कि जिन लोगों के पास परम्परागत धरती रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन को जोतते रहे हैं, आज उन लोगों को हक नहीं मिला। इसके अन्दर क्या गडबड-घोटाला

Page No 18

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
हुआ है, इसकी जांच करें ताकि उनको हक मिले और वे अपना पेट भर सकें। यह अहम मसला है, क्या सरकार इसमें जांच करके उचित व्यवस्था देन का आश्वासन देती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं केवल आश्वासन चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग सवाल है। वहां जो कानून बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछें। जो सम्बन्धित प्रश्न था उसका उत्तर मिल चुका है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : प्रश्न यह नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित प्रश्न था इसके बारे में कह चुका हूं इसके विषय में कार्यवाही की जायगी।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : अभी मंत्री महोदय ने बात कही है, अब क्या पोजीशन है यह तो मैं नहीं जानता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Not like that. मैंने यह कहा है कि रेकार्ड के अनुसार जो सूचना है वह आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। अब वास्तव में खेत पर कौन खेती करता है, यह विषय इन्क्वायरी का हो सकता है। मैं यह मानता हूं, इन रेकार्ड के आधार पर जिनके पास कब्जा है वह खेती कर रहे हैं। पर आप कोई और चीज कहते हैं, वह स्थिति अलग है।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : अपना नम्र निवेदन यह है कि जहां पर हजारों परिवारों, गरीब परिवारों की रोजी-रोटी, जिन्दगी-मौत का सवाल है, वहां के लिए क्या सरकार इस प्रकार का आश्वासन दे सकती है कि इस केस में जांच करायेंगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछें।

श्री मुरलीधर व्यास : सेटलमेंट हुआ उससे पहले जैसलमेर में कोई रेकार्ड नहीं था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जो बता रहा हूं वह समेरी सेटलमेंट के आधार पर कह रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इस सेटलमेंट से गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार इस प्रकार का आश्वासन दे कि इन केसेज में जांच करायेंगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप किसी पर्टिक्यूलर आदमी का नाम बतायें तो मालूम हो सकता है। यहां पर बहुत से नाम हैं। किसके साथ अन्याय हुआ है, आप बतावें तो उसके लिये कुछ कहा जा सकता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : गिरदावरी आपकी होगी उसमें खसरा नम्बर है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि एक बहुत लम्बी लिस्ट है।

एक **माननीय सदस्य** : आपने बताया कि उनका नाम दर्ज नहीं है।

Page No 19

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जमीन पडत वहां पर रहती है और वहां के लोग ज्यादातर मवेशी चराते हैं। पोजीशन इस प्रकार की है। क्या आप इस पर गौर करेंगे, खेती के आधार पर यह दर्ज नहीं किया गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह सारे जैसलमेर की बात नहीं है। यह चन्द गांवों की बात है जिसके लिये यह कहा जाता है कि वे पिछड़े हुए लोग हैं। वे आपके सेटलमेंट को नहीं समझ सकते। क्या सरकार इन चन्द गांव में खुद इन्क्वायरी करके उनके राइट सही साबित होने पर उनको देगी ? आपको इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह वेग प्रश्न है; I am sorry I can't give you any assurance on a vague question like this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is not a vague question it is a definite question. यह वेग प्रश्न नहीं है। एक ही जागीर का प्रश्न है। उन्होंने अपना इन्फ्लूएन्स डाल कर अपने नाम जमीन करा ली है। आप इसके संबंध में जानकारी करा लें। अगर इस प्रकार की हालत हो जैसा हम कह रहे हैं तो आप उस पर कार्यवाही करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I can't assure you.

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सरकार उचित तौर से जानकारी करेगी कि इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो कार्यवाही करेगी।

(यस-यस की ध्वनियां)

नेक्स्ट।

नेहरू अवार्ड के तहत मुआवजा

६९९. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री जागीर विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

जागीर पुनर्ग्रहण के संबंध में नेहरू अवार्ड के अनुसार इस श्रेणी में आने वाले जागीरदारों को मुआवजा या पुनर्वास सहायता दिये जाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक किस प्रकार की जायेगी ?

उप-मन्त्री, जागीर (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : १,२५,००० केसों में नेहरू अवार्ड जारी किये जाने के आदेश हुए हैं। नेहरू अवार्ड के लिये जो बॉण्ड्स दिये जायेंगे वे अभी तक छपे नहीं हैं इसलिये जो नेहरू अवार्ड के लिए ८,९१७ इन्डैन्ट जारी किये गये थे वे भी वापिस आ गए; इसलिये इस समय कोई इन्डैन्ट नहीं भेजा जा रहा है। बॉण्ड्स छपवाने के लिये रिजर्व बैंक को कई ताकीदें भेजी गई हैं, आशा है आगामी अप्रेल तक छप सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कितने केसेज आपने बताये फाइनल हो गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि १,२५,००० केसों में नेहरू अवार्ड जारी किये जाने के आदेश हुए। नेहरू अवार्ड के लिए जो बोण्ड्स दिये जावेंगे वे अभी छपे नहीं हैं इसलिये ८,९१७ के इन्डैन्ट्स भी वापस आ गये।

श्री भैरोंसिंह : ये कब तक छप जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आशा करते हैं अगले माह तक।

Page No 20

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ८९ हजार कब तक फाईनल हो जावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी कार्यवाही चालू है। जल्दी ही फाईनल हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका बीकानेर के हरिजनों को इतवार का वेतन

७००. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर नगरपालिका के हरिजनों को इतवार की छुट्टी का वेतन देने का मामला कब से श्रम विभाग के निर्णयार्थ विचारार्थ है तथा इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो जावेगा ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : बीकानेर नगरपालिका के हरिजनों को इतवार की छुट्टी का वेतन देने का मामला तारीख १२-४-६० से श्रम विभाग के निर्णयार्थ विचारार्थ है। इसका अन्तिम निर्णय भविष्य में शीघ्र ही हो जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से विचाराधीन है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बताया कि १२–४-६० से।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबंध में कोई फैसला हो गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहला पाइन्ट इसमें है। कानून से सबको साप्ताहिक छुट्टी मिलती है इसलिये इतवार की छुट्टी का वेतन हरिजनों को मिलना चाहिये। यह सरकार के निर्णय का प्रश्न नहीं है। यह तो एग्जिस्टिंग ला है उसको लागू करना है। इसमें भी सरकार अगर दो वर्ष तक निर्णय नहीं करे तो श्रम के प्रति सरकार का क्या रुख है यह साफ जाहिर होता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कई बातों की पूर्ति उन्होंने नहीं की। अब जल्दी इस मामले का फैसला कर दिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मामला बहुत समय से सरकार के विचाराधीन है, आखिर कब तक इसका फैसला हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि जल्दी। दो-तीन महीनों में हो जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि हरिजन की सेवाएं इसमें शामिल हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : जो सर्विसेज में आते हैं वे आते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वीकली होलीडेज पेड होती हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : होती हैं तो मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No 21

प्रश्न संख्या ७०१

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह (अनुपस्थित)

फैक्टरीज एक्ट के लागू करने से ग्राम उद्योगों को कठिनाइयां

७०२. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ग्रामों में आरा मशीन (सामिल) व छोटे छापाखाना (प्रिन्टिग प्रेस) की मशीन लगाने वालों की मुसीबतों व कठिनाईयों से जो कि फैक्ट्रीज एक्ट, १९४८ के सभी प्रावधान लागू करने के राज्य सरकार के १९५४-५५ के आदेश के फलस्वरूप पैदा हुई हैं, परिचित है ?

(२) क्या यह सही है कि यदि उपरोक्त कारखानों व धन्धों पर जिनमें दस से कम व्यक्ति काम करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के नियम लागू न करने से ये सारी मुसीबतें जिनमें प्रेस्क्राइब्ड मेनर में रेकार्ड्स मेनटेन करना मुख्य है, मिट सकती हैं ।

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं । श्रम विभाग को ऐसी कोई कठिनाईयों की जानकारी नहीं है ।

(२) इसमें मुसीबत का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

गिरी बांध से सम्बद्ध विषय

७०३. **श्री मांगीलाल रिणवा** (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या तहसील रायपुर, जिला पाली, के ग्राम गिरी में राज्य सरकार द्वारा गिरी बांध में सिंचाईहेतु पक्की नहर निकाली गई हैं ? यदि हां, तो क्या नहर के नीचे आने वाली भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है व भूमि का लगान भी माफ कर दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिये कौन जिम्मेवार हैं ?

(ब) क्या उक्त बांध के पेटे की भूमि जो काश्त हेतु कभी भी खाली नहीं हो पाती उस भूमि का लगान भी पट्टेदार काश्तकारों से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स) अब सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (अ) जी हां । मुआवजा देने की कार्यवाही लेंड एक्वीजीशन एक्ट के अनुसार की जा रही है । रेकार्ड आने पर चुकाने की कार्यवाही की जावेगी । भूमि के लगान माफ करने की जानकारी इस विभाग को नहीं है । परन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार यह माफ कर दिया जाना चाहिए ।

(ब) पेटे की भूमि का मुआवजा चुका दिया गया है, अतः उसके लगान लेने का प्रश्न नहीं उठता । कुछ काश्तकारों ने पेटे में खेती करने के विचार से मुआवजा नहीं दिया है, और अनुमानतः ऐसी जमीनों से राजस्व विभाग लगान वसूल कर रहा होगा ।

(स) मुआवजे का शीघ्र चुकारा हो सके, इसके प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री मांगीलाल रिणवा : क्या सरकार ने वहां नहर निकाली और उसकी वजह से जिन लोगों की जमीनें उसके नीचे होने से पानी चूता है और इस कारण कोई पैदावार नहीं हो सकती, क्या उनको सरकार दूसरी जगह जमीन एलाट करेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जानकारी हमारे विभाग को इस समय नहीं है।

श्री दलपत सिंह (आबू) : काश्तकारों को मुआवजा देने की कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री दिनेशराय डांगी : दो-तीन तरह के मुआवजे होते हैं। आप कौन से मुआवजे की बात करते हैं ?

श्री दलपत सिंह :केनाल जो निकल रही है उसके जो नीचे जमीन आई है क्या उसको मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने अपने उत्तर म बताया कि पेटे की जमीन का मुआवजा मिल चुका है कैनाल जो निकल रही है उसके लिए आलरेडी आर्डर निकल चुके हैं।

श्री दलपत सिंह :क्या केनाल की जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां, उसका मुआवजा जल्दी दे दिया जावेगा।

श्री दलपत सिंह: मैं यह स्पष्ट पूछना चाहता, हूं 'हां' या 'ना' ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा 'जी हां'। इसका मतलब आप 'जी नहीं' समझते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जिन लोगों की जमीनें पेटे में हैं, और जिन्होंने जमीन से इस्तिफा नहीं दिया है उनके लिये क्या कार्यवाही करते है ? क्योंकि पेटे की जमीन सरकार की हो जाती है। उनको दूसरी जमीन एलाट क्यों नहीं की जाती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कुछ काश्तकार बहुत होशियार होते ह, वे न तो मुआवजा लेना चाहते हैं न एवज में जमीन लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

चरणोट की पैदावार की आय

७०४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि चरणोट में उत्पन्न समस्त प्राकृतिक पैदावार (सिवाय घास के) राज्य सरकार की होगी जो तहसील द्वारा बेची जाकर वह आय राज्य सरकार में जमा होगी ?

(२) यदि हां तो चरणोट कायम कर पंचायतों को हस्तान्तरित करने से क्या लाभ हुआ ?

उप-मंत्री राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा):
(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस प्रकार के आदेश गजट में नहीं निकाले थे क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: किस तरह के ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : चरणोट की जमीन में जानवर चर सकेंगे पर आमदनी पंचायत की न होकर माल विभाग की होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का कोई आदेश नहीं निकालकर पाश्चर लेंड पंचायतों को दिये हैं। चूंकि वे घास चराने

Page No 23

(रामप्रसाद लड्ढा)

के लिये हैं, यह कहा कि बेच नहीं सकते, पशुओं के काम में आये और पेड़ों के पत्ते उनकी पापड़ी हैं उनको नीलाम करके जो आमदनी हो वह पंचायतों की है। केवल पेड़ को जड़ से काट कर नहीं बेच सकते, इसकी मुमानियत है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : ऊंट बकरी चरणोट में चरते हैं उनका पैसा आप कैसे वसूल करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ७सितम्बर, १९६२ को इस तरह का सर्कुलर निकाल दिया गया है, इसके विपरीत कहीं हो रहा हो, उसका उल्लंघन कहीं हो रहा हो तो वह गलत है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में सरकार पाला नीलाम करती है और इसकी आमदनी पंचायतों को न देकर अपने पास रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया कि नेचुरल प्रोड्क्टस की तारीख में जो चीज आती है, उसकी आय पंचायत की रहे, ऐसी हमारी मंशा है; इसके विपरीत कार्यवाही हो रही है तो सरकार के ध्यान में लाया जाय इसके लिये उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : Next Question. Shri Satish Chandra Agrawal.

चोरीशुदा माइक्रोस्कोप की वसूली

७०५ **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Health Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that one Microscope was stolen away from the Pathology Department of the S. M. S. Medical College, Jaipur ? If so, when and what steps were taken for the recovery of the same ?

(2) Was any enquiry conducted in that behalf ? If so, by whom and what was the result of the same ?

(3) In whose charge the instrument was when the same was stolen away ?

(4) Was any report made to the Police ? If so, when and what happend thereafter ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(1) Yes on 23-12-60. Necessary steps were taken for the recovery but it could not be recovered.

(2) Yes, an enquiry was conducted by a board consisting of Dr. M. L. Gupta, Dr. R. K. Pathak and Dr. B. R. Madan. Culprit could not be traced out as such no responsibility could be fixed on any individual.

(3) Dr. T. P. Bhardwaj, professor of Pathology.

(4) Yes, a report was made to the Police on 26th Dec., 1960. The Police informed on 20-2-1961 that no trace was made for the loss.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझिया कोयनी, सीधो समझाय दियो जावे।

Page No 24

श्री रामकिशन (बैर) : बिल्कुल सही है साहब, हम नहीं समझे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि यह जिनके चार्ज में था उनकी इसके प्रति जिम्मेदारी थी?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : निस्संदेह, जिसके चार्ज में हो उसकी जवाबदारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो सरकार जिसके चार्ज में यह था उससे रिकवरी की कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : चार्ज में उनके था इस्तेमाल के लिये, पर दो चाबियां थीं उस कमरे की जो दो विभिन्न व्यक्तियों के पास रहती थीं। इसलिये एक व्यक्ति पर पिन डाउन करना संभव नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन किया, उससे साबित हुआ है कि माइक्रोस्कोप पैथालोजी के हैड के चार्ज में थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, वह मैं पढ़ कर सुनाये देती हूं :

दिनांक २९-३-६३

पुलिस स्टेशन माणकचौक,

श्री प्रिन्सिपल साहब, एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर (राजस्थान)।

आपके पत्र संख्या, २५१२८। एम. सी.। दिनांक २६-१२-६० के प्रसंग में सूचना दी जाती है कि उक्त पत्र के प्राप्त होने पर मुकदमा नं. ५०५ जुर्म दफा ३८० I.P.C. कायम किया जाकर तफतीश की गई — बावजूद काफी कोशिश माल मुल्जिमान का कोई पता नहीं चलने से फाइनल रिपोर्ट नं० १७ तारीख २०-२-६१ को दे दी गई है। २०-२-६१ हस्ताक्षर

S. H. O.

P. S. Manak Chowk Jaipur.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पता न चला सकी, यह बहुत सीरियस बात है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में से माइक्रोस्कोप चला जाय, इसकी इन्वेस्टीगेशन पुलिस नहीं कर सके, यह पुलिस की अनएफीशियेन्सी है। यह तो पुलिस विभाग की बात है, पर मैं तो सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के कब्जे में यह चीज थी उसके खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

(दीर्घ विराम के अनन्तर)

वे सोच रही हैं, फाइल देख रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिस व्यक्ति के चार्ज में था उसके लिये क्या किया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: मैंने अर्ज किया न कि चाबियां दो थीं जो अलग-अलग व्यक्तियों के पास रहती थीं, डाक्टर जाता था तो चौकीदार के पास रहती थी। तो ये तीन व्यक्ति हो गये जिनके पास चाबियां रहती थीं। ऐसी दशा में एक को पिन डाउन करना संभव नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करवाई है कि किस पर इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है ?

Page No 25

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो किया वह अर्ज कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो पुलिस की कार्यवाही है कि चोर कोई नहीं पकड़ा गया पर डिपार्टमेंट ने क्या किया ? जब चाबी तीन व्यक्तियों के पास रहती थी तो इसके चोरी जाने की जिम्मेदारी किस पर रहती है, इसकी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करवाई या नहीं ?

(मौन)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कराई गई क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया न।

एक माननीय सदस्य : डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कोई नहीं कराई गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि माइक्रोस्कोप जैसी कीमती चीज को चोर ले जायं और चोर का पता नहीं चले और प्रोपर्टी की रिकवरी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाय जिनके चार्ज में था, उनसे रिकवरी न की जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बिना चोर के प्रोपर्टी की रिकवरी करना मेरी समझ में नहीं आता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य के माल के लिये राज के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न और है, क्या सरकार अब इसकी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करायेगी, इन तीनों में से कौन जिम्मेदार है, इसकी इन्क्वायरी कराने का आश्वासन देगी ?

(विराम)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : सरकार की बडी से बडी चीज चोरी चली जाय और उसके संबंध में कोई डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी नहीं हो तो कल और बड़ी से बड़ी चीज चली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष: सम्बन्धित सारी एन्क्वायरी कराई जायगी।

श्री अब्दुल जब्बार : सेन्ट्रल स्टाफ रजिस्टर में उसमें किसको इश्यू किया गया था ?

Who is the man to whom microscope has been issued from the central stores.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमरसिंह !

थली में दवाखाना

७०६. श्री **अमरसिंह जासोल** (पचपदरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि बाडमेर और बालोतरा के बीच थली के इलाके में एक भी दवाखाना नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सवाड़ सणतरा, अथवा सवाड़ में से किसी भी एक गांव में दवाखाना खोलने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी हां, इस समय इस क्षेत्र में कोई चिकित्सालय

Page No 26

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
नहीं है। जिस समय पंचायत समितियां ब्लाक के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने के स्थान का निर्णय लेंगी, यह खोल दिये जायेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चिकित्सालय, पंचायत समितियों के निर्णय से ही सरकार खोलती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उनके आधार पर ही खोले जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : कई जिला-परिषदों ने, पंचायत समितियों ने चिकित्सालय खोलने के लिये निर्णय लिये हैं उनको टाला जाता है, कहीं बजट के अभाव का नाम लेकर टाला जाता है, कहीं कुछ कह कर टाल दिया जाता है, तो जिला परिषदों और पंचायत समितियों के निर्णय हो जाने के बाद भी क्यों टाला जाता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रोसीजर मैंने निवेदन कर दिया।

श्री अमरसिंह : यह पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें चिकित्सालयों के अभाव के कारण क्षय जैसी बीमारियां तेज रफ्तार से फैल रही हैं.........

श्री उपाध्यक्ष: It is a question or a speech ?

श्री अमरसिंह जासोल : ऐसी अवस्था में विधान सभा के सदस्य की ओर से आपका ध्यान इस आवश्यकता के ऊपर आकर्षित करने पर क्या आप कृपा करेंगी कि इस इलाके में एक चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी जल्दी से जल्दी खोलने का निर्णय करेंगी ? यदि पंचायत समिति के निर्णय का ही सवाल है तो एक महीने के अन्दर अन्दर वह भी आपके पास आ जायगा........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्तसिर में प्रश्न होना चाहिये, भाषण के रूप में नहीं होना चाहिये।

श्री अमरसिंह जासोल : तो मैं यह आश्वासन चाहता था कि पंचायत समिति के निर्णय के आने पर क्या जल्दी वहां औषधालय खोला जायगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उस समय जो निर्णय आयेंगे उन पर विचार करके ही आश्वासन दिया जा सकता है, इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न संख्या ७०७

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

बीड लूणेरा, तहसील निवाई

७०८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि तहसील निवाई में करीब पांच सौ एकड़ का एक बीड़ लूणेरा के नाम से है ?

(२) क्या यह भी सच है कि यह बीड़ रियासतों के जमाने में फौजी घोडों के घास के वास्ते था और अब बेकार पडा है ?

(३) क्या यह भी सच है कि यह जमीन काश्त के काबिल है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको सवाई चक में बदलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां।

(२) जी हां। बेकार नहीं पडा है, इसमें प्लान्टेशन किया जा रहा है। यहां की घास करड बहुत अच्छी किस्म की है जो बहुत मुश्किल से उग पाती है। जो अकाल के समय बहुत काम आती है जिसको आस-पास के मवेशी चरते हैं व २,७६०) रु० का वार्षिक लाभ होता हैं।

(३) जी हां। परन्तु उपरोक्त कारणों से सरकार इस बीड़ को सिवाय चक में बदलना नहीं चाहती।

श्री जयनारायण सालोदिया: घास के लिए इसको रिजर्व रखना चाहते हैं तो क्या अनाज के लिए नहीं सोच सकते? अनाज ज्यादा जरूरी है या घास?

श्री निरंजननाथ आचार्य: घास मवेशियों के लिए और भी जरूरी है। उसके साथ-साथ प्लान्टेशन किया जा रहा है। लकडी टौंक और जयपुर के लिए बहुत आवश्यक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां आदमी ज्यादा रहते हैं या जानवर?

श्री निरंजननाथ आचार्य: बीड़ में आपके यहां क्या रहा करते हैं यह मुझे पता नहीं। यह खाली जगह है।

श्री जयनारायण सालोदिया: आस पास के लिये क्या चरागाह नहीं है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: चरागाह नहीं है प्रश्न नहीं है। इसकी घास बहुत उम्दा है। यह जमीन बहुत समय तक पानी में रहती है, इसलिये मवेशियों के लिये अच्छी घास होती है।

श्री जयनारायण सालोदिया: उम्दा का क्या सबूत? क्या कभी प्रयोग में लाये हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य: फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट यह कह दे कि घास उम्दा है इसकी तो आपको यह मानना चाहिये। अजनबी आदमी यह नहीं कहता है, टेक्निकल आदमी ही यह कहता है।

श्री जयनारायण सालोदिया: ५०० एकड़ का बीड़ वीरान पड़ा है कोई पेड नहीं है। एक तरफ 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन चलाते हैं और दूसरी तरफ इतने बडे बडे बीड को खाली रख छोड़ा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: ३६० एकड में प्लान्टेशन करना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: बाकी के लिए क्या करना चाहते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य: खराब है···

श्री दलपतसिंह (आबू): कब से प्लान्टेशन की योजना है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह बड़ी योजना है। लकडी के लिए प्लान्टेशन करना चाहते हैं। टौंक और जयपुर में कमी है।

श्री दलपतसिंह: दो-तीन वर्ष से क्या अब तक कोई प्लान्ट नहीं लगाये गये?

श्री निरंजननाथ आचार्य: लकड़ी अच्छी हो, घास अच्छी हो! जमीन पानी के अन्दर ज्यादा रहती है इसलिये उसको उपयोग में लाना है।

Page No 28

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कौन से पेड़ लगाने का कष्ट कर रहे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : इतने बड़े एरिया में एक भी पेड़ नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उधर से भी प्रश्न हुआ और इधर से भी प्रश्न हुआ।

श्री दलपतसिंह : पांच सौ एकड़ में कौन से पेड़ लगावेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: Fire Wood. मैं बार-बार कह चुका हूं। टौंक और जयपुर में इसकी बडी किल्लत है। १ मील में यह करना चाहते हैं। दूसरा पाश्चर लैंड है। यहां का घास अच्छा होता है, जमीन पानी में रहती है; इसलिये ज्यादा उपयुक्त समझा गया है।

श्री दलपतसिंह : फिर प्लान्टेशन के लिये तो नर्सरी में प्लान्ट होते हैं वे यूज किये जायं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Plantation for supply of fire wood......

श्री दलपतसिंह : कार्मशियल बेसिस पर लगा सकते हैं। दूसरी अच्छी वुड होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसी वुड अच्छी होती है फायर वुड के लिये, यह टेक्निकल प्रश्न है यह मैं नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : वे तकनीकी राय दे रहे हैं। That is a question of technical opinion......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, उप मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत बडी योजना है। पांच सौ एकड की योजना में प्लांटेशन होगा फायर वुड का। न शीशम और न दूसरे पेड़।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जयनारायण सालोदिया : बीड़ कब से पडा है ? क्या यह सही है कि अब तक उसमें कोई पेड़ भी नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३६० एकड को चूज किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मैं कह सकता हूं कि उसमें एक पेड़ भी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी दृष्टि में और मेरी दृष्टि में फर्क है। मैं कहता हूं कि ३६० एकड में प्लान्टेशन है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब करवा रहे हैं........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न संख्या ७१२ को ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत इम्पार्टेन्ट है।

(शेष प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

राजस्थान लैंड रेवेन्यू (जनरल सेस) विधेयक, १९६३ (वापिस लेना)।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू (जनरल सेस) बिल, १९६३ को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

Page No 29

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेंड रेवेन्यू (जनरल सेस) बिल, १९६३ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

(१२.४ म. प.)

(क) **राजस्थान लेंड रेवेन्यू (सरचार्ज) विधेयक, १९६३** (पुरः स्थापन)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेंड रेवेन्यू (सरचार्ज) अमेन्डमेन्ट बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लेंड रेवेन्यू (सरचार्ज) अमेन्डमेन्ट बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

जन-लेखा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का स्थापन

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) सभापति, जन-लेखा समिति : उपाध्यक्ष महोदय मैं जन लेखा समिति, समिति के दूसरे प्रतिवेदन (प्रथम व द्वितीय खण्ड) का उपस्थापन करता हूं जो निम्नलिखित लेखे अंकेक्षा व प्रतिवेदनों से सम्बन्धित हैं।

(१) विनियोग लेखा, १९५९-६० एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६१।

(२) वित्त लेखा, १९५९-६० एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६०।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालकृष्ण कौल।

राजस्थान सैल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन)

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सैल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सैल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं बिल को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान होम गार्डस विधेयक १९६२ से संबंधित पत्र (सदन की मेज पर रखाना)

श्री भीमसिंह (उप मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम गार्डस विधेयक, १९६२ से संबधित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

डीलिमिटेशन कमीशन की आज्ञा संख्या १ दिनांक २० मार्च, १९६२ (सदन की मेज पर रखना)।

राजस्थान सैल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (अध्यादेश संख्या १ सन् १९६३) जारी करने के कारण (मेज पर रखे गये)

वित्त मंत्री (श्री बाल कृष्ण कौल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सैल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (अध्यादेश संख्या १, सन् १९६३) जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक १९६३

(पुरःस्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): point of order Sir

डीलिमिटेशन कमिशन की आज्ञा संख्या दिनांक २० मार्च १९६३

(सदन की मेज पर रखना)

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, १९६२ की धारा १० (३) के अन्तर्गत डीलिमिटेशन कमीशन की आज्ञा संख्या १ दिनांक २० मार्च, १९६३ सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान लैंड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक, १९६३ को वापिस लेने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री रामानन्द अग्रवाल: On a point of Order, Sir उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट ने अभी जो लैंड रेवेन्यू सैस बिल को वापिस लिया है और सरचार्ज को बढाने के लिए जो बिल पेश किया है यह इन्फॉर्मेशन इस सदन को देने से पहले गवर्नमेन्ट ने अखबारों को यह न्यूज लीक कर दी जो कि एक बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है और मैं समझता हूं कि इस सदन के प्रिविलेजेज का हनन है। देहली के एक डेली पत्र में इस प्रकार की खबर छाया हुई है कि सरकार उस....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यदि कोई प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हों तो लिखित रूप में देकर आज्ञा प्रदान होने पर भाषण कर सकते हैं।

राजस्थान विनियोग संख्या ३ विधेयक १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, राजस्थान एप्रोप्रियेशन, (नं० ३) बिल १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: Motion moved.

श्री नाथूराम करेल (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल १९६३-६४ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुए मैं लैन्ड रेवेन्यू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज हमारे पर लगान लगा हुआ है उसकी रेट काफी अर्से से बढी हुई है। चाही पर १३) रु०, १४) रु०, १८) रु०, १९) रुपये एक बीघा पर है। उपाध्यक्ष महोदय, १८) रुपये पर-बीघा के हिसाब से जो लगान लिया जा रहा है वह बहुत अधिक है और उस पर अब सरचार्ज लिया जा रहा है हम उसको किस तरह से बरदाश्त करेंगे, यह आज हमारे लिये बहुत सोचने का विषय बन गया है। १८) रुपया बीघा के हिसाब से हर एक काश्तकार का २००) रुपया लगान होता है और सिंचित का २००, ३०० रुपया देना पडता है। इस तरह से हम काश्तकार बुरी तरह से मारे जा रहे हैं सरचार्ज के रूप में जो पैसे का बोझ लादा जा रहा है उससे बडी दुर्दशा होगी यह सरकार की जानकारी में आना चाहिये। आज अनाज का भाव क्या है उससे आपको मालूम होगा, मार्च ६२ में जौ ३२ रुपये क्विन्टल था, गेहूं ५२ रु० क्विन्टल था, जौ आज २२) रु० क्विन्टल है, आज गेहूं ३६) रु० क्विन्टल है। आज एक तरफ तो जिन्सों के भाव गिर रहे हैं और दूसरी तरफ आप टैक्सों की भरमार कर रहे हैं। पम्पिंग सेट किसी काश्तकार के लगा हुआ है जिसमें वह आइल खर्च होता है उसके ऊपर टैक्स लगाने से काफी खर्चा बढ गया है जो क्रूड ओइल ४४ रु० का ढोल था आज हम उसका ९५) रु० देते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन करो। हर पंचायत वाइज एक ग्राम सेवक रक्खेंगे जो खाद का यूज और इम्पलीमेन्ट्स को यूज करने के तरीके बतायेगा। एक तरफ तो सरकार कहना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन करो और दूसरी तरफ टैक्स इतने बढा रही है इस तरह से किसानों को सरकार कुचलने के लिये तैयार हो गई है।

एक तरफ तो लैन्ड रेवेन्यू पर सेस बढ रही है और दूसरी तरफ सरकार कहती है एक पर्सन्ट और दो पर्सेन्ट टैक्स अनाज पर दो। जब बाजार में किसान अपनी अनाज की गाडी लायगा ट्रेक्टर या ट्रक लायगा व्यापारी एक पर्सेन्ट दो पर्सेन्ट का हिसाब देकर के लोगों से अनाज खरीद लेगा और इस तरह से यह टैक्स भी हमारे पर ही पडेगा। अगर

(श्री नाथूलाल करौल)

सरकार की मन्शा यही है ७५ प्रतिशत किसानों को कुचला जाय तो वैसा किया जाय। एक तरफ अनाज के भाव और दूसरी ओर ये टैक्स सेल्स टैक्स तीन तीन तरह के टैक्स को आज किसान बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके द्वारा कह देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय से एवं वित्त मंत्री महोदय से, इन टैक्सों में कमी जरूर की जानी चाहिये और इसमें जो काश्तकारों पर टैक्स लगाये हैं उनको जरूर निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस लैंड रेवेन्यू के संबंध में जो अधिकार पटवारी और तहसीलदार को हैं उसके बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे पर तहसीलदार ही सबसे बडा अधिकारी है। तहसीलदार ही हमारे पर राज्य करता है और काश्तकार केवल तहसील तक ही सीमित रहता है, आगे बढ़ने की वह कोशिश भी नहीं करता। तहसील लेवल पर इतना करप्शन फैला हुआ है कि जिसकी हद्द नहीं। पटवारी, लेण्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं इनमें बहुत मात्रा में करप्शन फैला हुआ है इसको सरकार मिटाये। टीनेन्सी लॉ की सेक्शन ८४ के तहत यह अधिकार है कि एक किसान अपने घरू उपयोग के लिये लकडी काट सकता है, लेकिन देखने में यह आता है कि लेण्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी बराबर लकडी काटने में लोगों को परेशान करता है। एक काश्तकार कूए की ढाणी के लिये लकडी काटता है और ढाणी का काम पूर होने के बाद जो कुछ लकडी बचती है बबूल के दरख्त की, उसको सिर पर लाकर बेचने आता है तो पटवारी वगैरह उसको परेशान करते हैं, फॉरेस्ट वाले उसको परेशान करते हैं। फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि यह तुम्हारे खेत की लकडी नहीं तुम इसको जंगल से काट कर लाये। इस तरह से उसको डरा-धमका कर अपने पांव फैलाते हैं। फॉरेस्ट का नाकेदार पकड लेता है; कहता है कि यह लकडी हमारे जंगल से लाये हो। मैं आपको बता दूं, जयपुर के आसपास जो १० माइल का एरिया है उसमें जितने भी नाकेदार हैं उन्होंने यही धंधा कर रखा है। इस तरह से चालीस-पचास रुपये रोजाना की इन्कम वे कर लेते हैं। मेरा निवेदन है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू के पावर हैं वे ले लेवें। जिस तरह गीली लकडी का मुकदमा बना कर तहसीलदार एस. डी. ओ. से फैसला करवाता है उसी तरह के अधिकार जंगलात के होने चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो खातेदार हैं वे अपनी खातेदारी के पास ही सिवाय चक की भूमि जो थोडी बहुत पडी हुई है बीघा, आधा बीघा, डेढ़ बीघा है जिसका सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया–काश्तकार भोले-भाले हैं पटवारी लेण्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर बिना वजह ही उनको परेशान करते हैं उनसे छः गुना, आठ गुना लगान मांगते हैं। नहीं दें तो वे कहते हैं कि बेदखल कर दिये जाओगे। सिवाय चक की भूमि है और जिस काश्तकार ने कब्जा हमेशा से कर रखा है उसको खातेदारी राइट्स दे दिये जायं। और जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसके लिए तहसीलदारों को यह आदेश दिया जाय कि वे उसको काम में नहीं लें। काश्तकार पढे लिखे नहीं है इसलिये काश्तकारों को परेशान किया जाता है। इसके वापिस लेने से सुविधा होगी। काश्तकारों पर सरकार लेण्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगा

(श्री नाथूराम करोल)

रही है । दूसरी तरफ सेल्स टैक्स अलग लगा रही है और तीसरी तरफ तहसील के जो अधिकारी है वे काश्तकारों का खून पी रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स लगाया है सरकार ने लेण्ड रेवेन्यू पर वह वापिस लेने की कृपा करेगी, क्योंकि काश्तकार इसको बरदाश्त नहीं कर सकते । गल्ले का भाव काफी मन्दा हो चुका है, दूसरी ओर हमारे काम में आने वाली चीजें हैं वे भी मंहगी मिल रही हैं । गुड या चीनी कपडा हम खरीदते हैं तो वह मंहगा मिलेगा या तो सब चीजें एक समान भाव पर आ जानी चाहिए । गुड और चीनी के भाव भी गल्ले के भावों के अनुसार ही रहने चाहिए । अगर गल्ले के भाव मन्दे कर दिये तो चीनी-कपडे वगैरह उनकी रोजमर्रा की काम की चीजें भी सस्ती मिलें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ।

आप हम पर टैक्स लाद रहे हैं । मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन कर दूं कि वे शाम के पहले-पहले टैक्स वापिस ले लें तो अच्छा होगा । हम गरीब काश्तकार उससे बच जावेंगे । यह काश्तकारों को कुचलने के लिए टैक्स का सरकार ने सख्त कदम उठाया है । लैण्ड रेवेन्यू पर सैस लगाई है वह कम से कम वापिस ले लें । मैं उनको हार्दिक धन्यवाद दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन ।

श्री जयकिशन शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बजट को फाइनल करने जा रहे हैं । टैक्स लगाना जनतन्त्र में कोई गलत नहीं है, पर हमें सोचना इस बात को पडेगा कि जो टैक्स लगाये जाते हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या नहीं ? वित्त मंत्री इस बारे में ठंडे दिल से सोचें ।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा (नसीराबाद) : वित्त मंत्रीजी सदन में नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री जयकिशन शर्मा : उप-मंत्रीजी बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Deputy Minister is present.

श्री जयकिशन शर्मा : तो सवाल इस बात का है कि टैक्स लगाये हैं उनके संबंध में ठंडे दिल और दिमाग से सोचें । जिस जिले से मैं आता हूं उस अलवर जिले में तिलहन और सरसों की पैदावार राजस्थान भर में सबसे ज्यादा होती है । राजस्थान में ही नहीं इनकी पैदावार के लिये अलवर जिला हिन्दुस्तान में अपना स्थान रखता है । अब उस पर आपने टैक्स लगाया तो उसका असर उस पर क्या पडेगा, यह मैं बताता हूं । यह आपका सारा व्यापार चौपट हो जावेगा । जो सरसों बेची जावेगी उस पर मिल मालिक को दस पर्सेन्ट देना पडेगा , तेल जब वह निकाल कर बेचेगा तो २ पर्सेन्ट और उसको तेल पर देना पडेगा । यह हाल भरतपुर में भी है, अलवर में भी है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह तो ठीक कर दिया है न ।

श्री जयकिशन शर्मा : अब इन आपके टैक्सों का लाभ दूसरे प्रान्त उठावेंगे, और यही असर ज्वार-बाजरा पर होगा । आज जो ज्वार लोग अलवर और डीग की मंडियों में ले जाते थे वह आगरा के लिये ले जावेंगे और इस तरह से एक आना टैक्स जो आप लगाना चाहते हो, आपको वह भी नहीं

(श्री जयकिशन)

मिलेगा और व्यापारी जो घाटे में रहे सो अलग। इसलिये सरकार को इस पर गहराई से सोचना पडेगा।

अब यह भी देखना है सरकार को कि जो भी टैक्स वह लगाती है वह लीकेज तो नहीं होता। जो टैक्स सरकार के खजाने में बराबर आ जाया करे तो सरकार को ये ज्यादा टैक्स या इस तरह के टैक्स लगाने की जरूरत ही न पडे। तो सरकार को इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये कि उसके टैक्स का लीकेज न हों।

आपके सेल्स टैक्स की लोग चोरी करते हैं। इसलिये आपको यह सोचना पडेगा कि जो टैक्स लगाया है वह पूरी तरह से वसूल होता है या नहीं। सरकार इस पर सुझाव मांगे तो पेश करना चाहूंगा।

यू० पी० और पंजाब की सरकार पैसेन्जर टैक्स के लिये टिकट देती है। आप क्यों नहीं देना शुरू करते यहां पर भी। आप ऐसा करेंगे तो मोटर मालिकों के पास जो लाखों रुपया बकाया है वह नहीं रहे।

मैं साथ ही यह भी निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो टैक्स हमने लगाये हैं और जिन लोगों पर लगाने जा रहे हैं उन टैक्सों से उन पर क्या असर होता है यह भी देखना चाहिए। २५ पर्सेन्ट का ३७॥ पर्सेंट कर दिया। मैं अपने जिले की बात बताऊं। अब जो मोटरों का काम करते हैं एक महीने में वे ७०० मील अपनी बसें चलाते हैं। यदि उस पर वे अपने प्राफिट और खर्चे के आंकड़े बतावें सही सही तो ७००) रु० की आमदनी सरकार को हो सकती है।

अब एक तरफ आप टैक्स लगाते हैं तो दूसरी तरफ यह भी देखना पडेगा कि आप उनको सहूलियतें भी देते हैं या नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उनके टैक्सेज के इंस्पेक्टर हैं, स्टाफ है बहुत लम्बा चौडा, उनको इन टैक्सों के लीकेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर पूरा टैक्स इसका भी आपके खजाने में आवे तो कोई कारण नहीं कि आपको विकास के लिए और योजनाओं के लिये पैसे की तंगी पडे या नये टैक्स लगाने पडें। इसके बाद अगर योजनाओं और विकास के लिये पैसे की जरूरत पडे तो हम सब तैयार हैं। हम सबके सब तैयार हैं। हमारे मुल्क में समाजवादी समाज की स्थापना के लिये लोगों की गरीबी मिटाने के लिए टैक्सों का बोझा जनता सहन करने को तैयार है।

किसानों पर आप टैक्स का बोझा न डालें। जो टैक्स बडे लोगों पर लगा सकते हैं उन पर लगाने की कोशिश करनी चाहिए और जो किसान हैं उनको बचाना चाहिए। किसान का आज स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग कुछ नहीं है, उसे थोडा उठाना चाहिए। कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान के खाद्य मंत्री महोदय हमारे उधर आये थे। उन्होंने दूसरे मुल्कों का जिक्र किया था। मेरे हृदय में बात आई कि आज हमारा हिन्दुस्तान बहुत नीचे है और हमें अपने इस किसान को उठाना है और इसके लिये उसको विद्युतिकरण की तरफ ले जाना है। इसी से हम इंडस्ट्रियेलाइजेशन की तरफ भी बढ सकेंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान पंचायत समितियों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। पंचायत समिति में मैंने

(श्री जयकिशन)

एक जगह काम को जल्दी करने के लिये दो-दो आदमी कर दिये पर काम में फर्क नहीं आया। आपने एक स्टेटिस्टिक्स का आफिसर भी बिठा दिया। एक दिन मैंने उनको पूछा कि छः महीनों में आपने क्या काम किया? वह पूरी फाइल लेकर आये। देखा तो छः महीनों में केवल पांच कागज उन्होंने लिखे थे। १३५) रु० उनको तनख्वाह मिलती है और कागज लिखे केवल पांच। वे भी थे वे जो विकास अधिकारी ने लिखे थे। तो इनके फंक्शन्स के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। डिपार्टमेंट ठीक हो सकता है, इसकी जरूरत हो सकती है, पर वह करता क्या है यह भी तो देखना चाहिये। इसी प्रकार दूसरे विभागों का हाल है। इसमें यह भी होता है आप एक ऐसे आफिसर को दूसरे के नीचे रख देते हैं कि वह यह समझता है कि मैं इसके नीचे क्यों काम करूं। जो पहले असिस्टेंट पंचायत आफिसर था वह जिले के सेक्रेटरी का काम करता है। पर वह आर. ए. एस. आफिसर जिला परिषद् के सेक्रेटरी के नीचे काम करे।

(१२.३० म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे कहूं, आप सबके सब यहां माननीय सदस्य जो बैठे हैं वे किसी न किसी जिला परिषद् के सदस्य हैं और उसके अन्दर जाते हैं तो यह देखते हैं कि सेक्रेटरी के पास इतना काम नहीं है कि फुलटाइम काम कर सके। इसलिए जो असिस्टेंट पंचायत कलेक्टर थे यदि वही सेक्रेटरी का काम करते रहते तो जो २५-२६ जिला परिषदों के अन्दर सेक्रेटरी बनाये हैं उनकी तनख्वाह आपके पास बच सकती थी। इसी तरह से यदि आप दूसरी तरफ ध्यान दें तो वहां भी इसी तरह की बातें मिलेंगी। एक तरफ डिपार्टमेंट में कमियां की जाती हैं और दूसरी तरफ बैठे रहते हैं और जिन विभागों की बढोतरी कर दी जाती है, आज जो डिपार्टमेंट्स तरक्की के ऊपर हैं जिस डिपार्टमेंट की बढोतरी होने वाली है उसमें इतने एफीशियेंट लोग नहीं हैं जिससे कि वहां का काम अच्छी तरह से चल सके। हमारा जो स्टेट रोडवेज है, हमने जो बसों का राष्ट्रीयकरण किया है उसके द्वारा हमारी आमदनी बढी। परन्तु राष्ट्रीयकरण के द्वारा केवल २०-२१ लाख की आमदनी की तरफ ध्यान दें तो मैं उसको आमदनी नहीं मानता हूं। बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे कि आप उसको आमदनी क्यों नहीं मानते? मैं यह बताना चाहता हूं कि अलवर-जयपुर रूट पर प्राईवेट बसेज १५ चलती थीं और आज गवर्नमेंट की ३३ बसेज हैं। तो गवर्नमेंट को जो १५ बसेज का टैक्स मिलता था वह टैक्स एक रूट के ऊपर कम हुआ है। इसी तरह से कितने ही रूट लिये हैं उनके ऊपर जो प्राईवेट बसेज से टैक्स आता था वह सारा का सारा बन्द हो गया। यदि उसको माइनस करें और जो अन-एम्पलायमेंट है उस दृष्टि से भी देखें तो आपने जो स्टेट रोडवेज की २०-२१ लाख की आमदनी दी है वह कुछ के बराबर नहीं है। इसलिए उसकी तरफ हमें देखना पडेगा और स्टेट रोडवेज के जो तरीके हैं, स्टेट रोडवेज का जो मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट के बारे में यहां सदन में कहा गया कि भ्रष्टाचार का महकमा है उसी ट्रांसपोर्ट महकमे के लोगों को यहां रोडवेज में लगा कर स्टेट रोडवेज की जो नींव है उसको गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह ट्रांसपोर्ट विभाग के मिनिस्टर

(श्री जयकिशन)
से कहे कि स्टेट रोडवेज के अन्दर जो भी कर्मचारी लगाये जाते हैं, स्टेट रोडवेज के अन्दर जो बड़े अधिकारी लगाये जाते हैं उनका ट्रांसपोर्ट से कोई संबंध नहीं होना चाहिए और स्टेट रोडवेज एक बिल्कुल अलग विभाग होना चाहिए।

अभी कुछ दिन पहले आपके यहां एक मेला भरा शीतला माता का उसमें रोडवेज की बसें चलीं और ४०-४५ हजार की आमदनी उस मेले से हुई, लेकिन वहां पर प्राईवेट लोगों को इंजाजत नहीं दी गयी और वहां पर पुलिस विभाग ने ५० चालान किये.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि जिन डिमाण्ड्स पर डिबेट हो चुकी है उसके ऊपर अब आपको नहीं बोलना है। रोडवेज पर आप न बोलें।

श्री जयकिशन शर्मा : अगर आपका हुक्म हो तो मैं बन्द कर दूं।

श्री सभापति : ऐसा आदेश ही है रोडवेज का अभी कोई विषय नहीं है।

श्री जयकिशन शर्मा : मैं आधा मिनट में ही बन्द कर दूंगा।

इसलिए जो हमारी आमदनी के जरिये हैं उनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। जो लैण्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यू विभाग है उसकी तरफ ध्यान दिलाऊं। राजस्व विभाग जो हमारा काश्तकारों का बहुत बड़ा अंग है उसके बारे में अर्ज करूं कि इसमें कन्सोलीडेशन, चकबन्दी का जो महकमा है, सेटलमेण्ट का जो महकमा है और जो हमारा लेण्ड रेवेन्यू का महकमा है--तीनों का कोई एकीकरण नहीं है, तीनों का आपस में कोई समावेश नहीं है। कन्सोलीडेशन का कोई भी कर्मचारी जाता है तो रेवेन्यू के कर्मचारी को कोई कॉन्फीडेन्स में नहीं लेता है और रेवेन्यू का कर्मचारी काम करता है तो वह कान्सोलीडेशन को नहीं लेता है और सेटलमेंट का जाता है तो कन्सोलीडेशन का नहीं लेता है। तो ये जो ३ महकमे किसानों की जान हैं, यदि इनका एकीकरण कर दें और एकीकरण करने के बाद यदि उससे काम करायें तो जो किसानों के रात-दिन प्रॉबलम सामने आती हैं वे नहीं आयेंगी। अभी कुछ दिन पहले जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसमें चकबन्दी हुई थी और उस चकबन्दी का मैंने नतीजा देखा कि जिस किसान को, हम यह सोच रहे थे कि चकबन्दी होने से बहुत बड़ा फायदा होगा उसको बहुत बुरी तरह से बरबाद किया गया और बरबाद इस तरह से किया गया कि जो चकबन्दी महकमे में जो कर्मचारी लगाये गये थे उनको पता ही नहीं था कि रेवेन्यू का "क" और "ख" क्या होता है। उनको मालूम नहीं था कि खसरा नंबर क्या होता है, उनको यह भी पता नहीं था कि गांव में गोचर भूमि किस प्रकार की होती है। इस सबको देख कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो एक ही तरह के महकमे हैं, जिससे किसानों को फायदा होने वाला है उनका एकीकरण हो और उनमें इस प्रकार की भर्ती नहीं हो जो कि उस महकमे के काम को नहीं समझते हों। इसलिए, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं यही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितने भी टैक्सेज लगाये हैं और जितने लगाने जा रहे हैं, किसानों को दृष्टि में रखते हुए, राजस्थान की गरीबी को दृष्टि में रखते हुए, राजस्थान की तरक्की करना चाहते हैं इसको दृष्टि में रखते हुए टैक्सेज लगाना तो आवश्यक है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि

(श्री जयकिशन)

किसान आज भी गरीब है, उसका स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग आज भी नहीं बढा है और स्टेण्डर्ड बढाने के लिये किसानों के ऊपर सरप्लस बोझा तो नहीं पडता है जिसकी वजह से किसानों की तरक्की रुकती है। तो सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री महोदय, से यही कहना चाहता हूं कि वे इसके बारे में सोचे और इस नतीजे पर पहुंचें कि जो लीकेज ऑफ टैक्स होता है उसको बन्द करके विकास को दृष्टि में रखते हुए जो भी टैक्सज वाजिब हों उनको लगायें। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा राजस्व विभाग में हो रही कमियों या जो समन्वय नहीं है जिसके बाबत में अभी माननीय सदस्य ने कुछ फरमाया है, की ओर दिलाना चाहता हूं। मगर राजस्व विभाग से जो भी किसानों को रियायत मिलनी चाहिए थी वह कतई नहीं मिली है। एक किसान को यदि अपने इन्द्राज के लिए या गैर बापी जमीन का एलॉटमेन्ट कमेटी का उसे नम्बर खसरा देना था उसमें भी बडी तकलीफ उठानी पडती है। एक तरफ राजस्व विभाग की ओर से सर्कुलर्स निकले हैं उनमें सरकार ने किसानों को बडी भारी सुविधा देने के लिए यह तो प्रावधान कर दिया है, अधिक अन्न उत्पादन हेतु उन्हें गवर्नमेन्ट की भूमि देना अनिवार्य है जोकि एलाट की जा सकती है वह कर दी जाये लेकिन उसमें जब कि ९१ के तहत यह प्रावधान रख दिया गया, वह भूमि नहीं दी जायेगी, इसके बावजूद भी जब गवर्नमेन्ट लैण्ड में गैर मुस्तकिल जमीन को गवर्नमेन्ट की भूमि नहीं समझ कर वहां के कर्मचारीगण जो कि जिला स्तर कर्मचारी हैं उनको एलाट कराने में बहुत बडी दिक्कत किसानों के सामने आ रही है जिससे उन पर बहुत बडा बोझा कुर्की के रूप में, वसूली के रूप में किया जाता है। जब जब भी हम सरकार के पास किसानों की मांगें या किसान लोग अपने प्रार्थना-पत्र लेकर जिला-स्तर अधिकारियों के पास या सरकार के पास पहुंचते हैं तो सरकार उसमें कुछ जांच करने की गरज से स्टे दे देती है, ऐसी अवधि दे देती है कि इतने समय के लिए स्थगित की गयी। लेकिन उस स्थिति की जांच के लिए या उसकी प्रणाली क्या होनी चाहिए उसके बाद में क्या व्यवस्था होगी वह खास व्यवस्था सरकार अपने निर्देशन द्वारा निर्देशित नहीं करके स्पष्टीकरण नहीं करती है जिसके कारण दो, तीन या छः महीने की अवधि का अर्सा गुजर जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का अभिप्राय यही है कि जितने भी स्टे दिये जायें वे निर्णय उस अवधि के अन्दर स्पष्ट रूप से हो जाने अनिवार्य हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि चक बंदी के मामले में आज हमारे बिलाडा तहसील में आम स्थिति है। इस स्थिति के होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है उनको राहत दिलाने की। वहां पर कुर्कियों पर कुर्कियां होती जा रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। किसानों के ऊपर हमेशा आगे का बर्डन बना रहता है। राजस्थान में अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण अकाल हो जाते हैं उस वक्त भी किसानों के साथ फेमिन रिलीफ देने की बात सरकार सोचती है। लेकिन रिलीफ किस बात का दिया जाता है ? रिलीफ देने के लिये बीघोडी सस्पेन्ड करदी जाती है। बीघोडी सस्पेन्ड करने का मतलब यह नहीं होता है कि किसान को फेमिन के समय जो राहत मिली है वह हमेशा के लिये मिल गई हो लेकिन फेमिन के समय उसको जो

Page No 37

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
राहत मिली है वह आगामी वर्ष के लिये उस पर डबल बर्डन हो जाता है जैसा कि आप देखते आये हैं। राजस्थान के किसान का भविष्य है वह प्राकृतिक स्थिति पर ही निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में यह सही रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि आगामी वर्ष में किसानों के पास डबल क्रॉप हो जायगी जिसके कारण डबल लगान देने की क्षमता किसान कर पायेंगे। ऐसी परिस्थिति में, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब फेमिन हो, बीघोडी सस्पेंड करने में सुधार करने की कोशिश करें। बीघोडी सस्पेण्ड होने के बजाय उनको कतई छूट मिलना अनिवार्य है। अकाल में भी उनको अपने परिवार का भरण-पोषण करना पडता है, उस समय भी उनको आगामी वर्ष के लिये डबल भार से दबा देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार उनके साथ रियायत करे तभी उनको रिलीफ मिल सकती है, उनको बीघोडी में छूट मिले जैसी कि पहले मिलती रही हैं तभी उनको राहत मिल सकती है।

दूसरी बात चकबंदी के मामलों में, सभापति महोदय, बिलाडा तहसील ऐसी जगह है जहां हजारों बीघा जमीन रेतीली है वहां सर्वे किया और टेक्निकल राय के अन्त में वहां पर चकबन्दी करने की बडी हिम्मत की। चकबन्दी वहां नहीं होती है, जहां बडे-बडे प्लाट्स हो ५०, ६० बीघा एक साथ हो। लेकिन जहां फ्रेगमेंट्स आफ होल्डिंग छोटे-छोटे खेत हों वहां चकबन्दी होती है। बिलाडा तहसील में हुण गांव, पडासला ऐसे गांव हैं जहां रेत ही रेत है वहां चकबन्दी की गई। वहां पर २ आना बीघा लगान लगता है और १३ आना बीघा खर्चा आता है। जिस वक्त किसानों के सामने यह समस्या लेकर गये और सरकारी कर्मचारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि तुम्हारा जो खर्चा होगा उसको देख कर तुम्हारे साथ रियायत बरती जायगी, तुमको तसहूलियत दी जायगी, उनको यह भी विश्वास दिलाया गया, सभापति महोदय, कि सरकार का यह नियम है·····

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विद्युत): १३ आना खर्चा चकबंदी का है क्या ?

श्री चंद्रसिंह बर्फा: बिल्कुल ९१ नये पैसे है। यह खर्चे का बर्डन उन पर अब भी है। कइयों पर कुर्की हो चुकी है। हमारे यहां की जनता या किसान सरकार का हुक्म हमेशा मानते रहे हैं, समाजवाद को पनपाने के लिये सरकार का पूरा साथ देते आये है। उनसे कहा गया कि सरकार की आज्ञा का पूर्णरूप से पालन करना होगा। आज चकबंदी करवाते हो तो तुम्हारे साथ हर प्रकार से रियायत बरतेंगे। बाद में कम्पलसरी कर दिया जायगा इसलिये चक बंदी करवाने के लिये वे लोग राजी हो गये। सरकार से मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि चकबंदी का खर्चा जो किसानों पर लगाया गया है वह माफ किया जाय क्योंकि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने उनके साथ जबर्दस्ती की है, उनको अदालतों में फिरना पडता है; इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि उनको छूट दी जाय। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री गंगासिंह।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदय····

श्री सभापति : मैंने श्री गंगासिंह का नाम पुकारा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप नाम निश्चित कर दें।

श्री सभापति : नाम निश्चित है आपकी पार्टी की तरफ से आपका नाम है, और श्री मुकुटबिहारीलालजी का नाम है।

श्री गंगासिंह (जायल) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान बनने के बाद······

श्री भीमसेन (लणकरणसर) : On a point of information, Sir. अभी सरकार ने जनरल सेस बिल विथड्रा किया है और उसके स्थान पर राजस्थान सेल्स टैक्स एमेण्डमेंट बिल रखा है, इसकी जानकारी मिल जाय कि इससे कितना ज्यादा भार बढ़ेगा तो बहस करने में सहूलियत रहे।

श्री सभापति : इस समय बहस उस पर नहीं हो रही है, अभी तो एप्रोप्रियेशन बिल की बात है।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : अभी बतला दिया जाय तो फालतू की बहस न हो।

श्री सभापति : अभी इन्होंने जो बातें कही हैं वे रेवेन्यू डिमाण्ड पर कहीं हैं।

श्री गंगासिंह : सभापति महोदय, राजस्थान बनने के बाद राजस्थान की भूमि से संबंधित जितने भी कानून व कायदे बने हैं··········

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : On a point of Order, Sir. जैसा कि आपने फरमाया, नाम पार्टीज की तरफ से दिये हैं, हमारा नाम है या नहीं इसका पता लग जाय तो बार बार खडा न होना पडे।

श्री सभापति : आपका नाम है नं० ६ पर।

श्री गंगासिंह : सभापति महोदय, राजस्थान बनने के बाद जितने कानून कायदे जमीन के संबंध में पास किये हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की जमीन के संबंध में किसी नीति का प्रतिपादन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। स्वयं राजस्थान सरकार को अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है वह अपनी जमीन के संबंध में किस नीति का प्रतिपादन समय-समय पर करते रहेंगे। जब राजस्थान सरकार की तरफ से यहां कानून कायदे पेश हुए हैं उन सबको आप ध्यान में रखते हैं तो आपको यह मालूम होगा कि राजस्थान सरकार इस समय तक निश्चित नीति पर नहीं आ सकी कि राजस्थान में राजस्व से संबांधित कौन कौन सी आय होनी चाहिए, किस तरह की नीति होनी चाहिए। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पास हुए हैं उनको १९५२ से लेकर आज तक ध्यान में रखें और उनमें जो जो एमेण्डमेंट्स हुए हैं उनको मद्देनजर रखें तो यह भली भांति मालूम होता है कि राजस्थान के काश्तकारों को यह अभी उम्मीद नहीं है कि राजस्थान सरकार कैसे कानून या कायदे उन पर लागू करने जा रही है।

राजस्थान के जमीन के संबंध के सभी कानून अनुचित हैं और अनुचित कानूनों को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार को

(श्री गंगासिंह)

यह भली-भांति निश्चित कर लेना चाहिए। कि उनकी भूमि संबंधी नीति क्या रहेगी । जब तक राज्य सरकार की भूमि संबंधी नीति साफ नहीं हो और बराबर उसमें एमेण्डमेंट किये जाते हों तो काश्तकार के दिमाग में भी यह हरदम आशंका रहती है कि जो राइट्स उसे दिये गये हैं वे राइट्स न मालूम किस समय सरकार खत्म कर दे । इसलिए पहले तो मैं राज्य सरकार को यह अर्ज करूंगा कि वह अपनी लैंड संबंधी, जमीन संबंधी डेफीनेट पालिसी रखें और अपनी पालिसी एक समय बना दें, उस पॉलिसी को बार बार चेंज नहीं करें। नहीं तो काश्तकारों के दिमाग पर बडा भारी असर पडता है । इस संबंध में मैं यह भी कहूंगा कि अभी तक बीस एमेण्डमेंट एक्ट्स पास कर दिये गये हैं, उनको वापिस कन्सोलीडेट करके एक एक्ट इस प्रकार का बनाया जाय जिस पर वे ठोस कदम उठायें और जनता के सामने, काश्तकारों के सामने यह फर्मा देवें कि जो काश्तकारी कानून बनाया जा रहा है, जब तक कोई खास वजह नहीं होगी, उसमें एमेंडमेंट नहीं किया जायगा, जिससे कि काश्तकारों में यह आशंका रहती है कि न मालूम कब जो टीनेन्सी राइट्स हैं उनमें किस समय रद्दोबदल की जा सकती है, वह न रह पायगी ।

इस संबंध में मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जमाने की रफ्तार को देखते हुए अभी तक टीनेन्सी के अन्दर जो कमियां हैं उनको भी दूर किया जाय । इसके साथ ही भू-राजस्व का जो डिपार्टमेंट है, जिसके जरिये इस रकम को खर्च करने जा रहे हैं, उस संबंध में मैं राजस्व मंत्रीजी को अर्ज करूंगा कि इस डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, सैटलमेंट डिपार्टमेंट, फारेस्ट डिपार्टमेंट-- इन डिपार्टमेंट्स में जो खर्च हो रहा है इसकी जांच करें । इसके अन्तर्गत जागीर रिजम्प्शन एक्ट की तहत जागीरदारों को मुआवजा देने की बाबत जो जागीर कमिश्नर का शुभ आगमन किया गया है, मैं अर्ज करूंगा कि अभी तक जागीरदारों के दावों की पूर्णतया सुनवाई नहीं की गई है । और वह सरकार के लिए भी बहुत बडे खर्चे की बात होती है अगर इन डिपार्टमेंट्स को लगातार ज्यादा दिनों तक चलाये रखा जायगा । मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि जागीर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जागीर के पास स्टाफ की कमी हो तो सरकार उसको और स्टाफ देकर जल्दी से जल्दी रिजम्प्शन के वर्क को समाप्त कराये ।

इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करूंगा कि जो अदालत राजस्व की हैं उनको वापिस थोडा चेंज करने की आवश्यकता है क्योंकि राजस्व की अदालतों में तहसीलदार की अदालत है, एस. डी. ओ. की अदालत है, कलेक्टर की अदालत है, अपीलेट ऑथोरिटी है और फिर रेवेन्यू बोर्ड है। रेवेन्यू के कई कई कानून हैं उनमें अपीलेट आथोरिटी, जैसा मैंने कल कहा था, सिर्फ एक पोस्ट वर्क का काम करती है क्योंकि जो केसेज आते हैं वे उसकी मार्फत रेवेन्यू बोर्ड को चले जाते हैं। ऐसे जो कायदे कानून हैं उनमें रद्दोबदल करना बहुत जरूरी है अन्यथा सारा समय इन अदालतों में काम करने में व्यर्थ होता है । मैं अर्ज करूंगा, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जागीर रिजम्प्शन एण्ड वेलीडेशन एक्ट के जो छोटे-मोटे जागीरदारों के केसेज हैं उनके अधिकार कलेक्टर को दे दिये जायं जिससे कि रेवेन्यू बोर्ड, अपीलेट आथोरिटी पर असर न पडे और जो फालतू खर्च किया जा रहा है वह अदालतों में खर्च नहीं हो और समय की बचत भी हो सके····

Page No 40

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order Sir, the leader of the Socialist Party has crossed the floor of the House from this side to that side.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य को क्या एतराज है, अगर चेंज कर दी है साइड ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एतराज नहीं है, मैं निवेदन कर रहा हूं । आपको गलत-फहमी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं ?

श्री सभापति : Please continue.

श्री गंगासिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि भू-राजस्व में जो डिपार्टमेंट्स आपके हैं, उनमें खर्च कम करने के लिए कई डिपार्टमेंट्स को बाउण्ड डाउन करना है इसलिये उनको जल्दी स्टाफ देकर बाउण्ड डाउन कर दीजिये । इसके साथ ही ऐसी अदालतें हैं, जिनमें कायदे कानून के कारण फालतू समय जा रहा है, वह न जाय इसके लिए उन कानून कायदों में अमेंडमेंट करना आवश्यक हो तो अमेंडमेंट कर दीजिये ।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान न्याय-प्रशासन की ओर दिलाऊंगा । न्याय की दृष्टि से यह जरूरी है कि अदालतों में पब्लिक को सुगमता से न्याय प्राप्त कर सके, इस तरह की व्यवस्था रखी जाय । इस को मद्दनजर रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स की न्यायालय होना अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु अभी तक राजस्थान में ऐसे डिस्ट्रिक्टस हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज की न्यायालय नहीं है । मैं अर्ज करूंगा कि जहां डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज की न्यायालय डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर नहीं है, वहां मुकर्रर करें । इस संबंध में मैं नागौर के लिए खास तौर पर कहूंगा कि नागोर का जो केस है, जो अभी भी पेंडिंग है लॉ मिनिस्टर साहब के पास, उसको मद्देनजर रखते हुए नागौर में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज की कोर्ट जैसे पहली थी, उसकी नियुक्ति वापिस नागौर में की जाय । इसके अतिरिक्त जहां जहां और जगह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज हैड क्वार्टर पर नहीं हैं वहां रखे जायं, जिससे कि रेवेन्यू बोर्ड और न्याय का जो संबंध है, इन अदालतों में सामंजस्य बैठ सके और उसके द्वारा जनता को मदद दे सकें ।

इसके अतिरिक्त मैं दुर्भिक्ष के बारे में अर्ज करूंगा कि राजस्थान के अन्दर यह एरिया है यह रेगिस्तानी एरिया है । यहां दुर्भिक्ष हर तीन साल में हो जाता है । लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा प्रोवीजन बजट के जरिये नहीं रखा है कि जिसके कारण दुर्भिक्ष के समय पूर्णतया सहायता मिल सके । मैं अर्ज करूंगा, दुर्भिक्ष के लिए खास तौर पर इस एरिया के लिए जहां थली का एरिया है जहां सूखा होता है तो सूखा होने के बाद पैदावार होने की गुंजाइश नहीं रहती है । ऐसे दुर्भिक्ष के संबंध में जो प्रोवीजन्स हैं, जो फंड्स हैं, उनमें से हिसाब से देना बहुत जरूरी है ।

बिक्री कर के संबंध में, सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जो बिक्री कर के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया वह बिल्कुल क्लीअर नहीं है । आपने अभी जो बजट के बाद के अन्दर तारीख ३०-२-६३ को नोटि-फिकेशन एफ. एफ. डी. ।४०।आर. एन. डी. ६३।११ जारी किया है, उसके जरिये आपने एक्जम्प्शन्स बायर्स एण्ड पर्चेजर्स को दिये थे, उनको एक्जेम्प्शन से मुक्त कर दिया

(श्री गंगासिंह)
लेकिन उसमें शब्द लिखा है-- All notifications यह शब्द क्लीअर नहीं है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि "आल नोटिफिकेशन्स" के उस शब्द को क्लेरिफाई करते हुए, जिन नोटिफिकेशन्स को आप कैन्सिल समझते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, उन नोटिफिकेशन का हवाला दिलवायें। मैंने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के पास, नागौर से जो एप्लीकेशन्स आई हैं, पेश की हैं। उन्होंने वायदा किया था कि उन नोटिफिकेशन्स का आज क्लेरीफिकेशन्स करेंगे, मैं समझता हूं कि आप नोटिफिकेशन्स के बारे में क्लेरीफाई करते हुए इस नोटिफिकेशन के जरिये आपने कौन-कौन से नोटिफिकेशन्स को कैंसिल किया है उनका आप हवाला देंगे।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं आबकारी कर के संबंध भी में आपके जरिये सरकार को एक दो बातें कहूंगा.....

श्री सभापति : दो मिनट।

श्री गंगासिंह : आबकारी कर के संबंध में सरकार की नीति है वह फेल होती जा रही है। इसका कारण यह है, कि जहां पर ये केस पकडे जाते हैं वहां पर एवीडेंस मिलती नहीं हैं और ९५ परसेंट केसेज एवीडेन्स के कारण फेल होते जा रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो केसेज एवीडेन्स के कारण अदालत में सक्सेसफुल नहीं हो, उनके लिए प्रोवीजन रखा हुआ है फाइन का, वह ज्यादा तादाद में मुलजिमों से वसूल कर लिया जाय......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : आपका मतलब कम्पाउण्ड कराने का है केसेज ?

श्री गंगासिंह : Yes

तो इस संबंध में मैं समझता हूं कि जिस केस के अन्दर एवीडेन्स के कारण सक्सेस की गुंजाइश नहीं है, उसको कम्पाउण्ड कर दिया जाय जिससे कि आमदनी में फर्क नहीं हो और मुलजिमान को भी सजा मिल जाय और अदालत के अन्दर जाने से बच सकेंगे। इस दृष्टि से इन सारी बातों को देखते हुए मैं अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनको सरकार पूर्णतया ध्यान में रखेगी और मैं समझता हूं, खास कर जो नोटिफिकेशन सेल्स टैक्स एग्जेम्प्शन के बारे में हैं उसको क्लेरिफाई किया जायगा।

(१.०० म० प०)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय,...

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : सभापति महोदय, मुझे भी समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : इनके बाद।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, आज हम इस बिल पर ऐसी कानूनी मुहर लगा रहे हैं, रक्षा और समाजवाद के नाम पर यह राजस्थान की जनता पर आ रहा है। इसके पहले केन्द्रीय सरकार की ओर से सारे देश का जो बजट आया और उस आधार पर जो भी ५ अरब रुपया सारे हिन्दुस्तान से नये टैक्सेस के रूप में हिन्दुस्तान की जनता से लिया जा रहा है। ५ अरब रुपया जब हिसाब लगाते हैं तो एक आदमी पर १२ नया पैसे का भार हर नागरिक पर पडने वाला है। हिन्दुस्तान में राजस्थान एक पिछडा हुआ इलाका है। उसकी हालत क्या है और क्या नहीं उस पर हमें गंभीरता से देखना चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

राजस्थान एक कृषि-प्रधान इलाका है और यहां की ८० प्रतिशत जनता काश्त करती है और उसका सारा जीवन हमारे यहां वर्षा पर निर्भर है। अगर वह अच्छी होती है तो हालत अच्छी होती है और नहीं तो ८० प्रतिशत लोग हैरान हो जाते हैं। हम तो यह सोचते थे कि ८० प्रतिशत लोगों के लिये हमारी सरकार अगर जमीन की नीति के बारे में निश्चित नीति कायम करती है तो लोगों को आराम मिलेगा।

राजस्थान में ५ करोड के आस-पास जमीन में खेती की जाती है। नहरी जमीन भी काफी है और अगर ठीक तरह से लोगों को वितरित करते तो राजस्थान की आर्थिक नीति में परिवर्तन आ जाता है। परन्तु मैं यह कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने सन् ५१ से प्रारंभ किया और आज ६३ आ गया। अभी माली हालत की बुनियादी नीति क्या थी उसको आज तक धोखे में रखा, आज भी वह खटाई में पडी है।

आज से कुछ समय पहले विधान सभा के पहले, दूसरा अधिवेशन समाप्त होने वाला था उस समय यह घोषणा की थी कि चुनावों से पहले सब जमीन का वितरण कानून लागू कर दिया जावेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : एरिया वर्क आउट करने में कितना समय लगता है, यह आपको मालूम होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सब सोच-समझ कर घोषणा करनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मंत्री तो चले गये। अगर उस पर फैसला हो जाता तो एक समस्या तो हल हो जाती और परिवर्तन नहीं होता और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। आज उस विभाग का संचालन मुख्य मंत्री करते हैं। मैं यह कहूंगा कि आज मोहनलालजी सुखाडिया को त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि घोषणा की गई थी उसको अभी आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

जहां तक दूसरी पोलिसी का प्रश्न है वह आज सारे टैक्सों के रेट है उन पर आधारित है। मुझे अब इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री ने कुछ घोषणा की कि कुछ लैंड रेवेन्यू पर २५ प्रतिशत कर घटाया उसकी घोषणा की है। अभी वे स्पष्ट नहीं है कि यह किस प्रकार से होगा। अगर वे किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो हमको उसकी सराहना करनी है। हमें हमारी राजस्थान की पुरानी परम्पराओं पर सोचना है। राजस्थान में पहले जागीरदारी प्रथा थी। गांव के लोग किस तरह दबे थे और कितने लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं। अभी दो दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि २॥ लाख आदमी हैं जो लैंडलेस हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत खराब है। ८ लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी कम है। तीन लाख ऐसे हैं जिनके पास दो तीन या एक बीघा जमीन है। सब मिला कर ८ लाख परिवार बिल्कुल गरीबी हालत में हैं राजस्थान में उनकी आमदनी १२ या १३ नये पैसे से ज्यादा नहीं हो सकती। काश्तकार जिसकी आमदनी १३ नये पैसे हो, उनको दोनों समय खाना उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके अलावा जिसके पास जमीन है उसको लोन भी मिल सकता है यदि कमी दुर्भिक्ष पडे। मगर जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं वे इससे भी वंचित रह जाते हैं। तो ८ लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी हालत काबिल गौर है उसकी तरफ हमको सोचना चाहिये।

Page No 43

(श्री मुरलीधर व्यास)

अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि जैसलमेर में जो गरीब लोग रहते थे और जमीन पर काबिज थे, पुराने जमाने में कोई रेकार्ड नहीं था। लोग वहां पर जमीन बोते थे। मैं खुद वहां पर हो कर आया हूं। वहां के जागीरदार और वहां के बडे-बडे लोगों ने मिल कर जिन लोगों के पास जमीन थीं उनके नाम नहीं करवा कर अपने नाम करवा ली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्व मंत्री इस पर जांच करें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जिनके नाम जमीन है उन्होंने कभी भी उस जमीन पर हल नहीं चलाये और अगर चलाये हों तो मैं हर तरह से तैयार हूं। कुछ लोगों ने अफ़सरों से मिल कर इस प्रकार से जमीन जो किसानों की थी उसको अपने नाम पर दर्ज करा लिये। अगर आपको इन लोगों पर ख्याल करना है तो मैं चीफ मिनिस्टर और उप राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप जाकर पता लगावें कि जानवर चरानेवाले और गरीब लोग वहां पर जमीन के जो मालिक थे अपनी जमीन से महरूम कर दिये गये हैं और उन लोगों को जो जमीन के मालिक नहीं थे उनको जमीन के मालिक बना दिये गये हैं। पहले तो उनको जमीन बताते थे। आज नये कानून में वे बेचारे जमीन से चले गये। यह परिवर्तन बहुत गंभीर है इस पर आपको सोचना होगा और इसमें परिवर्तन करना चाहिये?

आपने टैक्सेशन की नीति में रेवेन्यू में सोचा है उसी तरह अनाज में सोचना चाहिये कि राजस्थान में ८ लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी ९ नये पैसे से लगा कर १३ नये पैसे है; अगर उन पर आपने टैक्स लगाया तो वह उस पर लगता है जो अपने आपको व अपने परिवार के बच्चों को भूखा सुलाने वाले हैं। अगर उस पर भी आप टैक्स लगाते हैं तो आधे पेट खानेवालों के साथ आपका बडा भारी प्रहार होगा। वे परिवार बहुत ज्यादा हैं। शहरों में हो सकता है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपना निर्वाह ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि अनाज पर टैक्स लगाया है इस पर पूरी तरह से विचार करें कि इसका असर किस पर होगा। आपने जिस तरह इसमें नीति निर्धारित की कि लैंड रेवेन्यू गरीबों पर नहीं लगने देंगे, इसी बात को सोच लीजिये कि अनाज पर टैक्स लगा रहे हैं, इसका असर उन्हीं गरीबों पर होगा। जो आपने नीति निर्धारित की है लैंड रेवेन्यू के बारे में उससे ८ लाख गांवों के परिवार वंचित नहीं रहेंगे? उन पर इस अनाज के टैक्स का सीधा भार पड़ेगा। जिनके पास जमीन नहीं, जिनके यहां प्रोडक्शन नहीं होता, जो लोग बाजार से बाजरा, ज्वार मक्का खरीदते हैं उन पर यह रुपया सैकड़ा टैक्स है। इस बुनियादी परिवर्तन के लिये अर्ज करना इसलिये चाहता हूं कि राजस्थान के गरीबों की माली हालत बहुत खराब है, इसके बारे में फैसला करेंगे तो राजस्थान के गरीबों को राहत मिलेगी।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी इस बजट की नीति से हर आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। आपका बजट है पर परिवार का भी बजट होता है। जिसको १००) रुपये मिलते थे, जो आपने ये टैक्स लगाये हैं इनसे यह असर हुआ ह कि १००) रुपया पाने वाले को उतनी ही चीजें, जो वह पहले १००) रुपये में लाता था, लाने के लिये अब १२५-१३० रुपया देना पड़ेगा।

(श्री मुरलीधर व्यास)
टैक्सेज से पारिवारिक बजट में ३० रुपये का का फर्क आया है, तो आपको सोचना होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिनसे इन्डाइरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे पास पैसा आता है, कितना होता है और इसके असर को कम कर सकेंगे तो अच्छा होगा नहीं तो घरों का बजट अव्यवस्थित हो गया है। इसके साथ ही साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि आम लोगों को, चाहे वे शहर में रहने वाले हैं या गावों में रहने वाले हैं, या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको आपने कोई राहत नहीं दी है। इसलिये इस बजट के साथ पारिवारिक बजट लोगों का बिगड गया है और वह भी बराबर २५ प्रतिशत से बिगड़ा है, इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। आखिर आपने समाजवादी व्यवस्था की घोषणा की है, समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं तो इसके लिये टैक्सेज की नीति ऐसी होनी चाहिये कि इन लोगों पर वजन न पड़े।

सुरक्षा के लिये आप कहते हैं कि आपको पैसा चाहिये तो राजा लोग हैं, बड़ी बड़ी प्रीवी पर्स उनको देते हैं, उनको कुछ अर्से के लिये, कुछ साल के लिये प्रीवीपर्स नहीं दें तो कोई उन पर असर नहीं आयेगा।

श्री भीमसेन : प्रिवीपर्स स्टेट गवर्नमेन्ट नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेन्ट देती है। पार्लियामेंट का सवाल है।

श्री मुरलीधर व्यास : पर स्टेट गवर्नमेन्ट सेंट्रल गवर्नमेन्ट को कह सकती है कि यह सुरक्षा का प्रश्न है। और भी रियायतें बजट से दी जाती हैं, वे नहीं दी जांय तो क्या नुकसान होगा। कहा जाता है कि यदि उदयपुर के महाराणा सारी सम्पत्ति एक दफा दे दें तो थर्ड प्लान बन सकता है। जयपुर के महाराजा अपनी पूंजी दे दें तो कई प्लान बन सकते हैं। ऐसी फिजां में जब देश की सुरक्षा के लिये लोगों ने दिया है तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके साथ ही आपके बजट में बहुत खामियां हैं, हिन्दुस्तान में जितना बजट है उसके लिए कहा गया है कि ११ करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च होता है प्रशासन में और इस काम में। एक दिन में जहां ११ करोड़ रुपया खर्च हो वहां १५-२० प्रतिशत भी प्रशासन के ढांचे में बचत करें तो एक दिन में पौने तीन करोड़ की बचत हो सकती है, अन्दाज लगाइये साल भर में कितना धन हमें उपलब्ध हो सकता है? तो कुछ चेंजेज प्रशासन में लाने से करोड़ों की बचत हमें हो सकती है। कोआपरेटिव और एग्रीकल्चर विभाग, इनमें डीसेंट्रलाइजेशन किया है तो कुछ कमी कर सकते थे। एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट रहता इससे लाखों रुपयों की बचत हो सकती थी। एग्रीकल्चर के बारे में आप कुछ भी कहें पर प्रति एकड़ ईल्ड घट रही है ‥

श्री सभापति : You have taken half the time of your party.

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस कदर रुपये का जो दुरुपयोग होता है उसको बचाया जा सकता है। और कई जगह धन का दुरुपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है उसको रोक कर बचत कर सकते हैं। मैंने सुना है कि ओसियां में १७ रुपये मन के भाव से बाजरा खरीदा पंचायत समिति ने और हजार मन बाजरा ७ रुपये २० न. पै. मन के भाव से बेच दिया। ओसियां की पंचायत समिति ने खरीदा। इसका गोदाम मथानियां में था, ७ रु० २० न. पै. मन के भाव से बेचा है जब कि १७ रुपये मन के भाव से खरीदा था, कितना बड़ा नुकसान हुआ है‥‥

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : १७ रु० २० न० पै० के भाव से बेचा होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं साहब, इसकी जांच करवा लें। जिसने भी बेचा है अपने देश के धन को, राज्य को नुकसान पहुंचाया है।

मैं इस मौके पर यही अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा की बात है सुरक्षा के आधार पर बजट बनाना था ताकि सुरक्षा में पैसा लगता।

एक कदम सुरक्षा के नाम से उठाया है, इस समय तस्कर, ब्लैक, डाकुओं के सम्बन्ध में कदम उठाया है, उसकी तो हम सराहना करते हैं। इसको जागरुक रखा तो केन्द्रीय सरकार को इससे बडा लाभ मिलेगा। गोल्ड की पालिसी जो नाकामयाब हो रही थी उसको इस तरह की जागरुकता से कामयाब किया जा सकेगा। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। सीमा पर यह कदम उठाया है बिना पक्षपात के लोगों को गिरफ्तार करके अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिये सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान को ले कर चर्चा है कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पर सुरक्षा के साथ ही साथ सुरक्षा के टैक्सों से गरीबों पर भार बढता है, उससे गरीबों के जीवन की जरूरी चीजें अनाज वगैरह के भाव नहीं बढने देंगे। इसम अगर आप नाकामयाब होते हैं तो बड़ा धक्का सुरक्षा को पहुंचेगा। आज जरूरत की ओर और चीजों के भाव बढ़ गये हैं और थोडे ही दिनों में देखेंगे कि अनाज के भावों में भी परिवर्तन होगा। अनाज के भाव भी बहुत बढ़ जायेंगे और इससे सुरक्षा के समय में लोगों को परेशानी होगी। तो यह टैक्सेज की इस प्रकार की जीवनोपयोगी चीजों पर टैक्स की आपकी नीति सुरक्षा की नीति के विरुद्ध नीति है, टैक्सों से भाव बढ़ते हैं तो यह अनुचित है। सुरक्षा के समय भाव नहीं बढ़ने दिये जायें, यह आपकी बुनियादी नीति होनी चाहिये। भाव यदि बढ गये तो आपकी नीति ना कामयाब हो जायेगी।

इसलिये भावों की चैन बनाये रखने के लिये इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार रखते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की ओर से सदन में विनियोग विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अब तब हमने बजट संबंधी विविध मांगों के ऊपर अपने विचार प्रकट किये, सरकार की क्या खामियां थीं उनको सदन में प्रस्तुत किया है और उन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उस संबंध में भी सुझाव प्रस्तुत किये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आज का यह बजट जिस एमर्जेन्सी के नाम पर रखा गया है उस प्रकार की एमर्जेन्सीं, उस प्रकार का नेशनल क्राइसिस और उसके अनुरूप ही उस प्रकार का महत्व मुझे सरकार के दैनिक कार्यों में देखने को नहीं मिलता है। सरकार ने एमर्जेन्सी के नाम पर कुछ खर्चा बढाया है, खर्चे की पूर्ति के लिए नये टैक्सेज लगाये हैं। वास्तव में यदि एमर्जेन्सी कागजों से निकल कर सरकार के प्रशासनिक ढांचें में आती तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि सरकार ने जो खर्चा बढाया है वह वाजिब है और किसी न किसी प्रकार

Page No 46

(श्री भैरोंसिंह)

से उस खर्चे की पूर्ति करना भी लाजमी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण मसले को इग्नोर किया है।

जब से युद्ध चालू हुआ था चीन से, उस समय से लेकर आज तक यदि सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में किसी प्रकार की एफिशियेन्सी मालूम होती तो इस सदन में कटौती के द्वारा सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य और सरकार के पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों के भाषणों में इस बात की कुछ झलक नजर आती कि सरकार के प्रशासनिक ढांचे में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन भाषण सुनने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा इस बात की पुष्टि की है कि इस एमर्जेन्सी के अवसर पर भी सरकार में किसी प्रकार की कोई एफिशियेन्सी नहीं आयी है। सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए टैक्स लगाती है। टैक्सेज का जनता विरोध करती है और सरकार का उत्तर एमर्जेन्सी के लिए टैक्स लगाना लाजमी है केवल यह होता है।

सरकार के टैक्सेज के बारे में आज जैसी घोषणा की है वह ऐसा लगाता है कि जन मानस को समझ कर टैक्सेज में कुछ रियायत देने का विचार कर रही है। इस रियायत की पूर्ति सरकार दो प्रकार से करेगी ? एक तो नये प्रकार के टैक्सेज लगा कर और दूसरे इस प्रकार के टैक्सेज लगा कर जिनको लगाने का अधिकार हमने सरकार को दिया है। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् और नया बजट प्रस्तुत होने के बीच में हमारी सरकार ने सदन का बिना विश्वास प्राप्त किये ७० लाख के टैक्सेज लगाये। सरकार की इस परम्परा से इस बात का अविश्वास निश्चित रूप से होता है कि आज सरकार टैक्सेज के रियायत की घोषणा करे लेकिन कुछ समय पश्चात् उनका जो यह बढ़ा हुआ खर्चा है उसकी पूर्ति के लिए अपने आप में जो अधिकार लिये हैं उनके द्वारा नये प्रकार के टैक्स लगाये। विनियोग विधेयक में जिस मद में जितना खर्चा कम रख कर हम मंजूर करते हैं इसका मतलब यह होता है कि सरकार उस खर्चे के लिये कहीं न कहीं से साधन जुटाने के लिये जिम्मेदार समझी जाती है और उस जिम्मेदारी के पालन के लिए या तो टैक्स लगाने पड़ेंगे और सरकार टैक्स नहीं लगायेगी तो कर्जा लेगी। भारत सरकार से हमारी सरकार ने अब तक, जैसा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया, ३५ करोड़ का कर्ज ले लिया है। पब्लिक लोन भी हमारी सरकार समय समय पर फ्लोट करती है और भी कोई साधन कर्ज लेने के लिये सरकार को मिल जाय तो सरकार उनका भी उपयोग करती है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी पूर्ति के लिए अब भी निश्चित रूप से सरकार कर्जा तो लेगी ही, लेकिन उसके स्थान पर नये टैक्स भी लगायेगी। इन सारे टैक्सों के विषय में तो उस समय उल्लेख करना चाहूंगा जिस समय टैक्स के बिल इस सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन सरकार की जो कर्जा लेने की नीति है उसका उल्लेख इस सदन में इस समय कुछ करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल २९३ के अनुसार सरकार जो भी कर्जा लेती है वह अपने कन्सोलिडेटेड फण्ड की सिक्योरिटी के आधार पर कर्ज लेती है और इसके

(श्री भैरोंसिंह)

अन्दर ऐसी शर्त है कि यदि यह कर्जा उसने भारत सरकार से ले रखा है तो उसको भारत सरकार की बिना अनुमति के और कोई कर्जा लेने का अधिकार नहीं होगा। अब मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने भारत सरकार से ३५ करोड का जो कर्जा लेकर, जो संविधान में हमें एक अधिकार मिला था कर्जा लेने का, वह अधिकार उन्होंने भारत सरकार को सरेण्डर कर दिया है। भारत सरकार को, यह कहना चाहिए गिरवी रख दिया। हमारे इस प्रकार के अधिकारों को जो सरकार भारत सरकार के गिरवी रखे वह, सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री नाराज न हो तो मैं यह कहूंगा कि वह सरकार केवल देवालिया सरकार ही हो सकती है जो संविधान के प्रदत्त अधिकारों को वह चाहे भारत सरकार के गिरवी रखे, या किसी प्राइवेट व्यक्ति या पार्टी के गिरवी रखे। अभी हमारी सरकार पर यह पाबन्दी है कि यदि उनको कर्ज लेना है तो भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करनी पडेगी। एक संयोग की बात है केन्द्र और प्रान्त में दोनों में एक ही दल की सरकारें हैं। लेकिन कभी यह स्थिति पैदा हो जाय कि यहां पर सरकार दूसरे दल की हो और केन्द्र में दूसरी पार्टी की हो तो उस हालत में इस दिवालिया सरकार के दिवाले को लेकर केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के बीच में वित्तीय मामलों को लेकर संघर्ष पैदा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रादेशिक सरकार कुछ एसा महसूस करके चलने लगी है कि वह दिन दूर नहीं कि जब कुर्सियों से हटना पडेगा। हमारा कोई सक्सेसर हो, हम उसके लिए इतनी दिक्कत पैदा कर दें कि वह आसानी से काम नहीं चला सकें। यह सरकार की प्रवृत्ति हुई है। जिस व्यक्ति पर ज्यादा कर्जा होता है, देनदारी की सामर्थ्य नहीं होती है वह इस प्रकार का आचरण करके पीछे की पीढियों के लिए एक संकट पैदा करके रवाना होता है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार रवाना होने की तैयारी में यह सारी व्यवस्था कर रही है। लेकिन मैं आपको बतादूं, आप रवाना हों, किसी पार्टी की सरकार हो, इस सबका दायित्व, विपरीत प्रभाव राजस्थान की दो करोड जनता पर पडता है। आप अपने खर्च में कटौती न कर दुनिया भर से कर्जा लें और सीमा इतनी बढा दें कि राजस्थान की जनता परेशान हो, तो निश्चित रूप से कह सकता हूं····

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): On a point of information, Sir, सूचना मिली है कि बाहर कोई प्रदर्शन आया है और पुलिस पकड कर धकेल रही है, खींच रही है और डिस्करेज कर रही है। लोकतंत्र है आखिर, कोई जुलूस आया है तो उसकी सुननी चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही पुलिस द्वारा होती है तो यहां विचार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : You need not worry about it. The Police Department will takecare about it.

श्री मुरलीधर व्यास : विधान सभा के सामने जब जुलूस आया है तो सुनना चाहिए। यदि टैक्सेज के संबंध में आया है तो सुनना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब नहीं हैं। लीडर चले जायं, वे उनको समझायें और वित्त मंत्री हैं उन्होंने टैक्सेज लगाये हैं तो वे जाकर उनको समझा दें।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): बहुतर है आप चले जायं।

Page No 48

श्री सभापति : लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने का काम सदन का नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन के सामने आया है। ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : Order please ! Shri Bhairon Singh, please continue.

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आखिर इन दो करोड जनसंख्या पर इस प्रकार का भार डालने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं।

सभापति महोदय २९३ में लिखा है :

"(1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantee within such limits, if any, as may be so fixed.

मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार काफी कर्जा ले रही है। लेकिन इतने कर्जे के बावजूद भी आज तक विधान सभा द्वारा इस संबंध में डायरेक्शन लेने की कोशिश नहीं की। राजस्थान सरकार कॉन्स्टीट्यूशन की इस धारा को पढ़े जिसमें लिखा है कि वह कितना कर्जा ले सकती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय हंस रहे हैं। मैं उनको बताऊं कि आपका काम है हंसना, लेकिन संविधान को समझें और इसके अनुसार इस सदन को विश्वास में लें, और इस सदन में वे इस प्रकार की चीज को इण्ट्रोडयूस तो करें और एक नई परम्परा कायम करें। संविधान में हमारी एक स्थिति पैदा करने की चेष्टा की गई है कि हम कितना कर्जा ले सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के लिये कितनी सीमा निर्धारित की है इस संबंध में एक बिल इण्ट्रोडयूस करे। ताकि हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए हम इस बात का निर्धारण कर सकें कि हम कितना कर्जा ले सकते हैं।

हमारी सरकार ने अब तक लगभग ९ करोड रुपयों की गांरटीज दे रखी हैं। कोई भी सरकार गारण्टी देती है तो वह कॉन्स्टीट्यूशन के हिसाब से गांरटी दे सकती है। लेकिन हमारी सरकार ने जो गारण्टीज दी हैं कर्जा किन्हीं दूसरी सोसाइटीज को मिला है, दूसरे व्यक्तियों को मिला है कई प्रकार की फर्म्स को मिला है, बदकिस्मती यह है कि गारण्टी आप कितनी दे सकते हैं इसके संबंध में कोई कानून नहीं बनाया। अपनी इच्छा से जितनी देना चाहें दे सकते हैं। जब तक विधान सभा द्वारा पारित कानून नहीं होता इस प्रकार की गारण्टीज का दुरुपयोग होगा। जिस व्यक्ति या फर्म के लिये गारण्टी दी वह उस रकम को चुका नहीं सका तो उसका सारा भार राज्य के कोष पर पडेगा, उसको सरकार को बरदाश्त करना पडेगा मैं सदन से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो सरकार इस प्रकार का कर्जा ले रही है, अन्धाधुन्ध गारंटीज देती जा रही है किसी प्रकार गारंटीज की सिक्युरिटी नहीं लेती उस हालत के अन्दर जो गारण्टीज दी जाती है उसमें सरकार का पैसा डूबने का भय रहता है। अगर सरकार अपने शेयर्स रखती है तो किसी भी पार्टीज को जो भुगतान किया जाने वाला है वह रकम सरकार प्राप्त कर सकती है। आज सरकार ने ९ करोड के लगभग गारण्टीज दे रखी है वह किस बिना पर दी है ? बजट मेमोरेण्डम में भी उस बात का उल्लेख नहीं है कि गारण्टीज जो हमने दी है उन पर किसी प्रकार की फीस लागू नहीं की किसी प्रकार भी टैक्स आयद नहीं किया, ऐसी हालत में यह हो सकता है कि कोई पार्टी रकम चुका नहीं

(श्री भैंरोंसिह)

पायी तो उसकी देनदारी राज्य सरकार की होगी । मैं जब राज्य सरकार की इस हालत को देखता हूं जो दैनिक खर्चा चल रहा है उसके लिये भी भारत सरकार से रुपया लेना पडता है और उसके अलावा ९ करोड की सिक्युरिटीज की गारन्टी दी है सदन से किसी प्रकार की राय न ले यह विधान सभा के अधिकार का उल्लंघन है, स्वच्छन्दतापूर्वक अनुचित ढंग से कार्य करने का द्योतक है ।

मैं आज ही नहीं पिछले बजट पर भी मैं कह चुका हूं कि सरकार को अपनी गारन्टीज पर लिमिट लगाने के लिये संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके आधार पर बिल पेश करना चाहिये और उसे पारित करवा कर ही वह किसी से कर्जा ले सकती है या किसी की गारन्टी दे सकती है ।

समापति महोदय, आखिर हमें इस बारे में रूल्स बनाने होंगे कर्जा किस रूप में कितना कितना ले सकते हैं इसके अलावा गारन्टी किसी की देते हैं उसके लिये भी नियम होने चाहिये । यह नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी आई जिस पार्टी को लोन दिया और गारन्टी दे दी । आज हम देखते हैं कि इनसे जो इन्टरेस्ट लेते हैं वह बिलकुल कम है जब कि हम गवर्नमेंट से तीन परसेंट और चार परसेंट इन्ट्रेस्ट पर रुपया मिलता है । आप बीस बीस लाख रुपये की गारन्टीज दे देते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन्ट्रेस्ट रेट बढाइये या उन पर ऐसे टैक्स इम्पोज कीजिये जिससे सरकार को कुछ आमदनी हो लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सभापति महोदय, जो विनियोग विधेयक अभी पेश किया गया है उस बजट को संविधान के अन्तर्गत देखें तो उसके लिये डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स तय किये गये हैं । अफसोस है कि संविधान के आर्टिकल ३६ से लेकर ५० तक डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स भारत के संविधान द्वारा तय किये हुए हैं उनमें से एक भी चीज को सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है । इसमें व्यवस्था की गई है कि १० वर्षों में प्राइमरी एज्युकेशन कम्पलसरी हो जायगी, सेपरेट जुडिशियरी की व्यवस्था की जायगी·····

एक माननीय सदस्य : अलग करदी है कुछ ।

श्री भैंरोंसिह : मामूली व्यवस्था की है वह भी किस तरह की वह मैं आपको बताऊंगा, उतावले न हों । और बातों की ओर न जाकर एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके जो आर्टिकल ४१ है, वह इस प्रकार है :

The State shall, within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want.

मैं सरकार से यह पूछूं आपने इस संबंध में जो आप १५ वर्षों से राज्य करते चले आ रहे हैं कितने डिसएबल्ड व्यक्तियों को रोजगार देने में कामयाब हुए, आपने अन-एम्प्लायमेंट को किस हद तक दूर किया ? आपकी गलत नीतियों के कारण एम्पलोयमेंट नहीं मिलता है, बेरोजगारों के लिये रोजगार जुटायें उनका जीवनयापन के लिये आर्थिक साधन जुटायें यह व्यवस्था आप नहीं कर पाये हैं । आपके यहां अनएम्प्लोयमेंट को दूर करने की व्यवस्था नहीं, कम्पलसरी एज्युकेशन फ्री एज्युकेशन की व्यवस्था नहीं कर पाये, और जो वर्क करने के अधिकारी

Page No 50

(श्री भैरोंसिंह)

हैं उनको कार्य नहीं दे सके। सरकार का यह कर्तव्य है कि काम करने वाले व्यक्ति को रोजगार दिया जाय। आज १५ वर्ष के शासन काल के बाद भी राइट टू वर्क की स्थिति एज्यूम नहीं कर पाये इसमें सरकार की जो नीति है वह गलत नीति पर आधारित है। हमारी सरकार नाम तो समाजवाद का लेती है, लेकिन आज सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित है आज इस प्रकार की स्थिति चल रही है। मैं आपके सामने कुछ नजीर रखना चाहूंगा आज जब कि सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि कुटीर उद्योगों द्वारा ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, राजस्थान के अन्दर कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। काटेज इंडस्ट्रीज चलेंगी तो काम भी ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। आज राजस्थान सरकार जिस नीति पर चल रही है उसको देखते हुए यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह चाहती है कि राज्य में कुछ पूंजीपति पनपें और उनके द्वारा गरीबों का शोषण हो, और जो छोटे-छोटे धंधे करने वाले हैं उन लोगों की कॉटेज इंडस्ट्रीज को हजम करके चले जांय। मैं इस संबंध में राजस्थान की एक मोटी नजीर देना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर १० हजार व्यक्ति ऐसे थे जो हर तरह के पीतल के बरतन बनाया करते थे और आज तक बनाते आये हैं। विभिन्न भागों में आपको इस प्रकार के बरतन बनाने वाले मिलेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार पीतल, जिंक और कॉपर का कोटा अलोट करती थी और उससे बरतन बनते थे। उससे कुछ फायदा स्वयं सरकार का होता था और कुछ उन काम करने वालों को। दुर्भाग्य से जब से यह १९६२ में नई सरकार बनी उस समय से गरीबों का जो यह उद्योग चलता था उन गरीवों के पेट पर लात मार कर पूंजीपतियों का पोषण किया है। जो कोटा १० हजार आदमियों को मिलता था उस कोटे को तीन फेक्ट्रियों में बांट दिया। जो १९०० टन का कोटा दस हजार व्यक्तियों को मिलता था, वह अब ३ मिलों को मिलेगा। उन लोगों को कह दिया कि दैनिक जो कोटा मिलता है उससे सरप्लस होगा तो उनको दिया जायगा। उनकी रेट्स तय कर दी कॉपर १०० किलो का हिसाब आपके सामने रखना चाहता हूं। सौ किलो पीतल बनाने के लिये ६० किलो तांबा और चालीस किलो जिंक चाहियेगा। उसकी कुल कीमत कन्ट्रोल से २६८) रु० होती है। उसमें यदि रोलिंग चार्जेज और एक्साइज ड्यूटी मिला दें तो यह ३५८) रु० होती है। अब ३५८) रु० वाजिब कीमत इसकी होती है। अगर फैक्टि-रियों को ये मुनाफा देना चाहें तो पांच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट दे सकते हैं। पर ३५८) रु० की जगह १०० किलो की कीमत इन्होंने ४६१) रु० निर्धारित की है। १०० किलो पर १०३) रु० का मुनाफा? तो आपने यह १०३) रु० का मुनाफा फैक्ट्री किस प्रकार उठा सके, इसकी व्यवस्था की है। आपने ये रेटें प्राइवेट पार्टियों के गलत आंकडों के आधार पर बनाई हैं। गरीबों के गले पर छुरी चलाई है, उनके पेट पर आपने लात मारने की कोशिश अमीरों से मिल कर की है। आपने यह एक साजिश की है प्राइवेट पार्टियों से मिल कर गरीबों के पेट पर लात मारने की। अब यह १९०० टन साल भर में आता है और १०३) रु० के हिसाब से; यह डिफरेंस, यह मुनाफा १९ हजार रु० का बनता है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं संबंधित मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन व्यक्तियों को दस लाख रुपये का यह फायदा आपने जानबूझ कर पहुंचाया है। यह आपकी जानकारी में है। आपने इन तीन व्यक्तियों से मिल कर यह साजिश की है कि किस तरह से इनको लाभ पहुंचाया जावे और गरीब के पेट पर लात मारी जावे। कह दें मंत्रीजी कि तो डीसेन्ट्रेलाइज करना चाहा।

श्री सभापति : डीसेन्ट्रेलाइजेशन, इंडस्ट्रीज और एम्पलायमेंट सब तो डिबेटेड हो चुके हैं। इसलिये अन्य बात कहना चाहें तो कहें।

श्री भैरोंसिंह : कान्स्टीट्यूशन में सबने देखा होगा कि "ritgh to work" का उसमें प्रोवीजन है, पर उसकी हमारी यह सरकार पूरा नहीं कर रही है ; मैंने केवल इसका एक उदाहरण दिया है।

मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि राजस्थान सरकार को मेरा यह डाइरेक्ट चैलेन्ज है कि दस लाख का मुनाफा अपने आप में दिया नहीं जा सकता। इससे कुछ न कुछ दाल में काला है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हित हो सकता है। इस तरह से दस हजार लोगों के, गरीबों के पेट पर लात नहीं मारी जा सकती थी। जिसने लात मारी है उसने सरासर जानबूझकर यह किया है, और बडा भारी पाप किया है, और जनता के साथ गद्दारी की है। मैं चाहूंगा आप उसकी खुली जांच करावें। आपको पता लगेगा कि दस में से पांच लाख ले लेते, पांच लाख पर सबर करते, पर आपको पूरे का पूरा दस लाख लेने के लिये जनता माफ नहीं करेगी। आपकी इन्डस्ट्रीज को बढावा देने की नीति है, दें। पर साथ ही कॉटेज इण्डस्ट्री को भी पनपने दें। पर यहां यह आप नहीं करेंगे। सौभाग्य से और दुर्भाग्य से उद्योग मंत्री भी वे ही हैं, जो स्वयं उद्योगपति हैं। उद्योगपति के हाथ में कॉटेज इंडस्ट्री निश्चित रूप से खतम होगी पनप नहीं सकती। कॉटेज इंडस्ट्री उसके हाथ से पनप सकती है जो उद्योगपति बनने की चेष्टा नहीं करता हो। उद्योगपति होने की जो चेष्टा करेगा उसके हाथ में आप इंडस्ट्री विभाग दोगे तो वह सरासर कॉटेज इंडस्ट्री को खावेगा। यह उसका सबसे मोटा प्रमाण है।

अब मैं आगे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार कहती है कि इस डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में हमने एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को सेपरेट किया है, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि जो सेपरेशन उन्होंने किया वह उन्होंने नकल कहां से की ? कौन से प्राविन्स से की ?

मैसूर और मद्रास में जहां सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सैपरेशन हुआ वहां की और आपकी व्यवस्था में रात-दिन का अन्तर है। मद्रास में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर नहीं होता मैसूर में नहीं होता। कलेक्टर को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखा है आपने, यही सबसे बडा सुबूत इस बात का है कि आपने नाममात्र का सेपरेशन किया है। आपकी इच्छा सेपरेट करने की नहीं है।

इसका एक सबूत मैं और आपको दूं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के अपोइन्टमेंट का सवाल आया। इसके लिये हमारी सरकार के बीच में और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच संघर्ष की स्थिति आई। सरकार ने देखा कि अपॉइंटिंग कमेटी में अगर चेयरमैन चीफ जज हुआ तो निश्चित रूप से पोलिटिकल पुल अप नहीं हो सकता। उन्होंने एक रास्ता सोचा कि हाई कोर्ट का और पी. एस. सी. में

(श्री भैरोंसिंह)

संघर्ष पैदा कराया जावे। फल सरकार के सोचने का यह हुआ कि पी. एस. सी. का चैयरमैन कहता है कि मुंसिफ-मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की कमेटी का चैयरमैन वह होगा। और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो पहले से ही कह रहा था कि वह होगा, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट मेरे नीचे होंगे इसलिये उनकी नियुक्ति मैं करूंगा। सरकार जानती है कि जिन रिटायर्ड अफसर को वह अपनी मर्जी से पी. एस. सी. में नियुक्त करती है वह आदमी उनका कहना मान सकेगा, चीफ जस्टिस नहीं। इसलिये अच्छा है कि पी. एस. सी. का चैयरमेन हो इसका चेयरमन बने। इसकी आड में सरकार समझती है कि हम अपनी पोलिटिक्स चला सकेंगे, और मैं यह बात यों ही नहीं कहता, इसके पहले एक नजीर देना चाहूंगा। अभी तक कैबिनेट के जितने मीमोज होते हैं और जो तैयार किये जाते हैं, वे कभी गजट में शाया नहीं किये जाते। तो यह पी. एस. सी., सरकार और राजस्थान के उच्च न्यायालय के तीनों के बीच का संघर्ष है, और यह कोई गलती से हुआ है, यह मैं नहीं कह सकता, और जानबूझ कर हुआ है यह भी नहीं कहूंगा। पर मेमोरेन्डम जो कैबिनेट के लिये तैयार किया गया था वह राज-पत्र में शाया हुआ है और उससे संकेत मिलता है कि हमारी सरकार पी. एस. सी. की आड के अन्दर जूडीशियरी को अपने कन्ट्रोल में करने के लिये इन मुंसिफों के अपॉइन्टमेंट के पावर अपने हाथ में लेना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, इस बात को मैं अधिक महत्व इसलिये देता हूं कि केबिनेट के मीमो कान्फिडेन्शल होते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि सरकार के लोगों ने गलती की और शाया हो गया और हमारे सामने वे बातें आ गई। हमारे सौभाग्य के लिये आप इस प्रकार की गलतियां करते रहें, गजट में वे शाया करते रहें और हमें बताते रहें। पर कम से कम इस प्रकार की एक नजीर हमें कोई बता दे कि हिन्दुस्तान में कहीं भी कैबिनेट के मेमोरेन्डम इस तरह कैसे कहीं गजट में शाया होते हैं। यह तो आपकी सरकार की एफीशियेन्सी है। आपके प्रान्त की कॉन्फीडेंशियल चीजें अखबारों में जाती हैं, छप जाती है और दुनिया को मालूम हो जाती हैं।

श्री सभापति: You have five minutes more, please.

श्री भैरोंसिंह: अब मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे यहां देवस्थान विभाग है। इसका कन्ट्रोल रेवेन्यू विभाग के हाथ में है। देवस्थान विभाग, यह कहना चाहिये कि हमारे देश में जितना अनाचार बढ रहा है, जितना करप्शन बढ रहा है जितना डिमोरेलाइजेशन देश में आ रहा है उसका कारण यह है कि लोगों का नैतिक मापदण्ड बनाया जावे, इसकी व्यवस्था सरकार नहीं करती, पुरातन व्यवस्था के अनुसार देवस्थान के रूप में इसकी व्यवस्था थी। उनको सरकार ने उचित नहीं समझा और इस सरकार ने उसको समाप्त करने की चेष्टा की। पहले तो इसके लिये पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू किया। मन्दिरों की संपत्ति पर इनकी कृपा दृष्टि पडी। इन्होंने इसकी मार्फत यह कोशिश की कि इस संपत्ति को किस तरह से हडपा जाय। इसके लिये दैव संयोग से नाथद्वारा का झगडा आ गया।

जब नाथद्वारा की संपत्ति पर सरकार की कुदृष्टि पडी तो उस पर काबू पाने के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए नाथद्वारा एक्ट भी बनाया गया। टेम्बल बोर्ड बना दिया। इसके बाद नाथद्वारा के मन्दिर के प्रति वैष्णव सम्प्रदाय में वह भक्तिभाव नहीं रहा जिसके कारण पहले लाखों रुपयों का वे डोनेशन देते थे। आप यदि उसका हिसाब देखें तो प्रति वर्ष अब उसमें कमी नजर आ रही है, और अब इतनी भयंकर कमी नजर आ रही है कि यह टेम्पल बोर्ड की व्यवस्था अगर इसी तरह चलती रही तो एक दिन ऐसा आ जावेगा कि भगवान को भोग देने के लिये भी पैसा नहीं रहेगा।

विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि कमीशन की नियुक्ति होगी उसके मामले में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सरजूप्रसादजी की नियुक्ति की गई। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उसमें मुख्य मंत्रीजी और भूतपूर्व राजस्व मंत्रीजी को सर्टीफिकेट दिया गया। उस सर्टीफिकेट देने का एवजाना चुकाने का तांता जो उस समय से लगा वह अब तक चलता आ रहा है। उनके लिये कई बार जयपुर में जमीन के प्लाट अलॉट करने के सवाल आये। इतना सब कह कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। पर कहना चाहता हूं कि एक बात कि टेम्पल बोर्ड को चैलेन्ज किया गया गोस्वामीजी द्वारा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सरकार और नाथद्वारा के गोस्वामीजी के बीच में मुकद्दमा चल रहा था। टेम्पल बोर्ड को चैलेंज किया गया था। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ गोस्वामी पार्टी थे। पर सरकार चाहती थी कि सरजूप्रसाद जी को ईनाम दिया जाय। उसमें उनका वकालतनामा सरकार की तरफ से दाखिल कराया गया। १७ हजार रुपये एक पेशी के दिये गये और चार मिनिट से ज्यादा उन्होंने बहस नहीं की। चार मिनिट का यह इनाम? एक तरफ इस तरह से जनता की गाढी कमाई का पैसा सर्टिफिकेट देने के एवजाने के चुकाने में सरकार के मंत्रीजी व्यय करें और दूसरी और जनता पर दो करोड के टैक्स लगाते हैं। तो ये दोनों चीजें अब साथ साथ नहीं चल सकतीं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस किसी भी व्यक्ति ने यह आज्ञा दी हो, चाहे वह सरकार की कैबीनेट का कोई मंत्री हो या विभाग का कोई भी बडा से बडा अधिकारी हो उस पर इस १७ हजार रुपये की लायबिलिटी फिक्स की जाकर वह सारे का सारा रुपया वापिस सरकारी खजाने में जमा कराया जावे।

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के संबंध में इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को देने वाला व्यक्ति जाकर वकील खडा हो और सरकार की तरफ से उसके उद्धरण सुप्रीम कोर्ट में दिये जायें और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यह वकील खडे होते हैं तो तुम्हारा केस अपने आप में वीक होता है। वह चूंकि वाजिब कानून था उसके ऊपर गोस्वामी जी विजयी नहीं हुए। वे विजय न हो। लेकिन १७ हजार रुपये का उपभोग आप कर रहे हैं। इसके अलावा, सभापति महोदय, आज से ३ वर्ष पहले नाथद्वारा में एक व्यक्ति कुए में गिर गया और वह कुए में दो दिन तक पडा रहा और उस कुए का पानी लेकर श्री नाथजी की मूर्ति पर चढा दिया गया। वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार जब तक मूर्ति का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक उस मत के अनुसार जितने भी गोस्वामी हैं बल्लभ सम्प्रदाय के वे उस मन्दिर में नहीं आयेंगे। इस सरकार को यह विचार

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिये कि जिस नाथद्वारा की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए हमने टेम्पल बोर्ड बनाया है वह मूर्ति ३ वर्ष से अशुद्ध है और जितने भी महन्त हैं उन्होंने यह तय कर रखा है कि जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक इस मन्दिर में प्रवेश नहीं करेंगे। आज सरकार कहती है कि हम इन्तजाम करेंगे। किस बात का इन्तजाम ? मैंने पिछले दिनों में हमारी सरकार से पूछा था कि.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: Your time is up. But I am giving you a few more minutes.

श्री भैरोंसिंह: आप नहीं चाहते तो बन्द कर देता हूं।

श्री सभापति: श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक के ऊपर सदन के सामने विचार प्रस्तुत हैं। इस विधेयक के द्वारा हम सरकार को १ अरब २० करोड रुपये खर्च करने के लिए दे रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार प्रति वर्ष जनता पर नये नये टैक्स का बोझा लादती जा रही है और उसके साथ साथ प्रशासन पर प्रति वर्ष खर्चा बढता चला जा रहा है। आज हमारी राजस्थान स्टेट हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट है जिसमें हमारे प्रशासन पर सबसे अधिक व्यय हमारी राजस्थान सरकार में किया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार को जो प्रति वर्ष का प्रशासन पर खर्चा बढता जा रहा है उस खर्चे में कमी की तरफ ध्यान देना चाहिये बजाय इसके कि हम प्रति वर्ष जनता पर अधिक कर लाद दें। हमारी राजस्थान सरकार को कुछ व्यक्तियों पर तथा दूसरे डिपार्टमेन्ट्स पर ५ करोड की ऐसी बकाया है जिसको सरकार वसूल करके जो इस समय नये टैक्सेज लगाये जा रहे हैं वह नहीं लगायें। अगर उनकी वसूली कर लें तो इससे जो नया बोझा जनता पर आ रहा है उससे हम महरूम रह सकते हैं और जनता को रिलीफ दे सकते हैं।

अभी वैस्ट बंगाल के बजट भाषण में था कि जो बकाया लेन्ड रेवेन्यू और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स की हैं उनके बारे में उन्होंने प्लान बनाया और बजट जितने करोड का डेफिसिट है उसको बकाया के तौर पर ३-४ करोड रुपये बकाया के वसूल करके गैप को फिल-अप करेंगे। इसी तरह से राजस्थान को चाहिये कि जो उनकी ५ करोड की बकाया है उसमें से इस साल यह लक्ष्य बनायें कि २-३ करोड कम से कम वसूल कर लिये जायेंगे और जो बजट का डेफिसिट है उसकी पूर्ति करेंगे।

इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान सरकार की जो भूमि नीति है उसके बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में जो भूमि-नीति अपनाई है उसको हम संतोषजनक नहीं कह सकते। आज पिछले ३ वर्षों से वहां के काश्तकार को सरकार नई भूमि अलॉट नहीं कर रही है और उसके लिए सरकार की दलील यह है कि हमने अभी तक राजस्थान के नहर क्षेत्र में लैंड अलॉटमेन्ट के नियम नहीं बनाये हैं। तो, सभापति महोदय, यह भी सोचने की बात है कि जब सरकार ने आज तीन-चार वर्षों से किसी लैंड के अलॉटमेन्ट के लिए रूल्स नहीं बनाये और उसके साथ ही साथ सरकार ने अभी तक अलॉटमेन्ट के लिए स्टाफ मुकर्रर कर रखा है ऐसा

(श्री भीमसेन)
क्यों ? मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ सरकार नई भूमि अलॉट नहीं कर रही है तो यह अलॉटमेन्ट का स्टाफ जिसके ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है यह किस काम आता है ? यह सरकार की फिजूलखर्ची का नमूना है ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): राजस्थान कैनाल का ?

श्री भीमसेन : जी हां । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार का जो प्रशासनिक खर्चा है उसमें वह कमी की व्यवस्था करे जिससे जनता का विश्वास सरकार में जमे । जनता से टैक्सों का वसूल किया जाना और जनता खुशी से टैक्स देगी यदि उसे यह विश्वास हो कि उनके पैसे का ठीक ढंग से उपयोग हो रहा है । मैंने निवेदन किया कि राजस्थान नहर क्षेत्र में राजस्थान सरकार लैण्ड अलॉट नहीं कर रही है और इससे हमारे काश्तकारों को बडी कठिनाई हैं । सरकार इस जमीन के लिए करोंडों रुपया खर्च करके राजस्थान नहर लाई और राजस्थान के काश्तकार बडी आशा से देख रहे हैं कि नहर में पानी आयेगा और यहां के काश्तकारों को जमीनें मिलेंगी । लेकिन, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ऐसी योजना बना रही है कि हमारे डैजर्ट एरिया के जो काश्तकार हैं वे उस जमीन को लेना चाहते हैं लेकिन हमारी सरकार ऐसे नियम बना रही है जिससे हमारे जो स्थानीय काश्तकार हैं वे उस जमीन से महरूम रह जायेंगे और पंजाब के जो काश्तकार हैं जिनके पास पैसा है वह आक्शन के जरिये बडी-बडी कीमतें देकर सरकार से जमीन लेंगे ।

कुछ अर्से पहले जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उस समय गंगानगर जिले से मांग हुई थी कि हमारे जिले को पंजाब में मिला दिया जाये, पर ऐसा नहीं हुआ । तो पंजाब के लोग जिनके पास पैसा है वह इस सारी जमीन को लेंगे । जो सरकार नीति बना रही है उससे भी हमारे काश्तकार महरूम रहेंगे और पंजाब के और दूसरी जगह के काश्तकार उससे लाभ उठायेंगे तो यह जो राजस्थान नहर की योजना जिसके लिए हम टैक्स लगा रहे हैं और जिसे सरकार इतना कर्जा लेकर बना रही है तो राजस्थान के जो काश्तकार हैं इनको राजस्थान नहर के क्षेत्र में जमीन मिले, इसका सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक म्यूटेशन का नियम बनाया है । अभी राजस्थान नहर क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें राजस्थान को लिफ्ट एरिया में शामिल कर रखा था । यह सरकार ने सोच लिया कि बहुत से गांवों को पानी नहीं दे पायेंगे । इसलिए चार सौ, पांच सौ गांवों को नोटिफिकेशन द्वारा सरकार बाहर निकाल रही है और किसानों को खातेदारी राइट्स मिलेंगे । तो सरकार ने म्यूटेशन फीस ऐसी लगा रखी है कि काश्तकारों को लैन्ड रेवेन्यू के लिए फीस देनी पडती है । म्यूटेशन फीस जो होगी वह सरकार के खजाने में नहीं जायेगी बल्कि पटवारियों की जेबों में जायेगी । तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्यूटेशन फीस की वसूली के बारे में कि उसका किस तरह से बंटवारा हो पटवारी और सरकार के बीच में । मैं चाहता हूं कि यह सारा पैसा सरकार के खजाने में जाये और म्यूटेशन फीस से जो पैसा आयेगा

(श्री भीमसेन)

वह सरकारी खजाने में आये, ऐसा मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में हमारे प्रत्येक गांव को एक ग्रामसेवक पंचायत को देने का निर्णय किया है। उसके कारण हमारे प्रशासनिक खर्च पर ६०-७० लाख का सालाना खर्च बढ़ेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह हमने अभी पंचायत के स्तर पर पटवारी दे रखा है तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि खास तौर से ऐसे इलाके हैं जैसे डैजर्ट एरिया है वहां के पटवारियों के पास बहुत कम काम रहता है और ग्राम सेवक के पास भी बहुत कम काम रहेगा तो पटवारी और ग्रामसेवक का काम एक आदमी के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो खर्च पटवारियों पर होगा वह भी बच जायेगा और इस तरह से सरकार की जो नीति है उसमें भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि सरकार एक आम पॉलिसी के आधार पर नहीं करके अलग अलग इलाके में क्या हालात हैं उनको देखते हुए ग्रामसेवकों की नियुक्ति करने के बारे में ध्यान देगी। इसके साथ

(२०. ००. म. प.)

सभापति महोदय, अभी राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि करीब दो लाख एकड भूमि हम फौजियों को देंगे। सारी, एक लाख पंजाब के फौजियों को देंगे और साथ ही साथ १ लाख राजस्थान के फौजियों के लिये देंगे। यह जो कुल जमीन दी जायगी वह १० करोड रुपयों के आस पास की कीमत की होगी। यह १० करोड रुपयों का अतिरिक्त बोझ राजस्थान की जनता पर आयेगा। इसके लिये हमें चाहिये कि हम भारत सरकार के पास एप्रोच करें और उनसे सहयोग प्राप्त करें।

अभी सुझाव यह आया था कि राजस्थान बहुत बडी बोर्डर स्टेट है उसको मेन्टेन करने के लिये, ला एंड ऑर्डर के प्रोटेक्शन के लिए हमको आर. ए. सी. पर खर्चा करना पडता है। यह इन्टरनेशनल बोर्डर होने के कारण भारत सरकार के पास हम पहुंच सकते हैं। राजस्थान सरकार भारत सरकार से अधिक फायदा लेने का प्रयत्न करे भारत सरकार से सहयोग मिल जाय तो हम पर बोझ कम पडेगा........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदय, बाहर प्रदर्शन हो रहा है, धूप में लोग काफी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर काफी तादाद में पुलिस है। अनावश्यक टेन्शन नहीं बढ़े इसलिये मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पुलिस डंडा लेकर प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। उनकी डिमान्ड कुछ नहीं है, टैक्स के बारे में मामूली डिमान्ड है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि या तो हाउस के लीडर जाकर उनको संतोष दे सकते हैं या लीडर नहीं है तो गृह मंत्रीजी या दूसरे मंत्री जाकर संतोष दे सकते हैं जिससे कि टेन्शन दूर हो सकता है...

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री): टेन्शन है कहां?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): विधान सभा के बाहर प्रदर्शन है टैक्सेज के संबंध में। इस सम्बन्ध में अर्ज है कि आप या लीडर जाकर उनसे बात करलें...

Page No 57

श्री सभापति : Order! Order Please.!! आपने जो कुछ कहा है मंत्री महोदय ने सुन लिया है। जिस डिपार्टमेन्ट का काम है वह अपने आप संभालेंगे। सदन का काम यह नहीं है कि लॉ एन्ड ओर्डर मेन्टेन करे। यह विधान सभा का फंक्शन नहीं है। I am sure he will take adequate action on it.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, जनता की भावना है, उनकी बात सुननी चाहिये, जनता की सरकार है, उनको जाकर सुनना चाहिये।

श्री सभापति : Order please

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : सदन में अनाउन्स करना चाहिये कि जा रहे हैं या नहीं ?

श्री सभापति : As I have said, I am sure he will take adequate notice of it.

(**श्री गृह मंत्री से**) Would you care to say something about it ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): Not necessary.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मंत्री महोदय, के साथ छेड़खानी करेंगे उसकी गारन्टी कौन लेगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : संयुक्त समाजवादी दल लेगा।

श्री सभापति : Order, Order please!!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : On a point of Order, यह हाउस जनता की भावनाओं को व्यक्त करने वाली सर्वभोम सत्ता है···

श्री सभापति : What is your point of order ? Please state your point of order.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूं कि यह हाउस हमारी सर्वभोम सत्ता है। यह ठीक है कि हम अभी यहां हाउस में बैठे हैं, लेकिन हमारी भावना वाले लोग बाहर बैठे हैं····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपकी भावना वाले बाहर बैठे हैं। लेकिन यहां की जनता २ करोड़ है। आप ले आये हैं १००-२०० लोगों को बहका कर, वह जनता नहीं है·····

श्री सभापति :Order! Order please! This is no point of order. I rule it out.

श्री मुरलीधर व्यास : इस शब्द को वापिस लिया जाय।

श्री सभापति : मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हाउस की डिग्निटी और डिकोरम को खामी पहुंचे। आपने जो बात फरमाई है गृह मंत्रीजी ने उसको सुन लिया है। जो भी आपको करना होगा करेंगे। कृपया हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : श्री गोकुलप्रसादजी ने आरोप लगाया है कि बहकाकर ले आये हैं यह बेजा है।

श्री सभापति : वह बहुत बेजा था। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : बेजा नहीं है, कल रात को ऐसा ही हुआ था।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: इस प्रकार का अवांछनीय शब्द ···

श्री सभापति : मेरे बार बार कहने पर इस प्रकार कहे जाना भी अवांछनीय है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यदि गृह मंत्रीजी उन प्रदर्शनकारियों से जाकर नहीं मिल सकते हैं, यदि उन्होंने इस प्रकार का

Page No 58

(श्री माणिकचन्द सुराणा)
निर्णय लिया तो मजबूरन हमको इस पर वाक आउट करना पड़ेगा ।

श्री सभापति : Order please.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने चेयर से फरमाया है कि जनता की भावना की कदर करें, इसलिये यदि वे कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों से मिलने जाते हैं कोई सवाल नहीं है और यदि ये कहते हैं कि हम जनता की बात सुनना नहीं चाहते हैं तो अपनी तरफ से बात स्पष्ट हो जाय कि आपने कहा उसको नहीं मानते हैं, यह वे बता दें । आपने कहा है समझ कर चला जाय ......

श्री सभापति : मैंने कहा है He will take adequate notice.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने आदेश नहीं दिया ......

श्री सभापति : किन्तु अब मैं आदेश देता हूं कि इस बात को समाप्त कर दें ।

श्री मुरलीधर व्यास : हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की उपेक्षा करते हैं तो हम उसको लोकतांत्रिक सरकार नहीं समझते ....

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : What have you to say about this इस संबंध में सरकार का क्या रुख है, यह जानना चाहिये ।

श्री सभापति : मैं आपको सदन का रुख बता दूं । यहां पर जो कुछ आपने फरमाया है उसका एडिक्वेट नोटिस गवर्नमेन्ट ले लेगी । इस सदन का नहीं है कि लॉ एन्ड ओर्डर मेन्टेन करे । इस बहाने हाऊस की कार्यवाही में विक्षोभ नहीं करेंगे । माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारा निवेदन शायद गलत समझ लिया है । हम ला एंड ओर्डर की प्रोबलम को हल करने के लिये मंत्रीजी को जाने के लिये नहीं कह रहे हैं । हमारा निवेदन है कि जिस बात की बहस हम यहां पर कर रहे हैं विशेष तौर पर टैक्सों का सवाल है जिसके विषय में इस सदन के इस ओर माननीय सदस्यों ने भी और उस ओर के माननीय सदस्यों ने भी भारी चिन्ता और रोष प्रकट किया है । इस संबंध में जहां कि जनता अपना प्रतिवेदन देने आती है और माननीय सदस्यों के नोटिस में यह बात आ गई है और सदन में सूचना देते हैं तो सदन और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए सदन के नेता या नेता यहां उपस्थित नहीं हों तो उनके दूसरे साथी उनके पास जाकर सरकार का जो रुख है उससे अवगत करावें । यही सदन की परम्परा के अनुकूल होगा और जनता की भावना का आदर करना होगा ।

श्री सभापति : I am sure I have given you ample opportunity to express your views.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों के विचार हैं, मैं उनका आदर करता हूं । डिमोन्सट्रेशन कहां हो रहा है उसका मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी आया हूं । उनकी तरफ से दो चार आदमी उनके रिप्रजेन्टेटिव डेपुटेशन के रूप में आकर मिलना पसंद करें तो मेरे चेम्बर में आकर मिल सकते हैं । माननीय सदस्य जनता की

Page No 59

(श्री मथुरादास माथुर)

भावनाओं को यहां पर प्रतिबिम्बित करते हैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने कदम उठाया है, आज तक उठाया है····

श्री मुरलीधर व्यास : आपसे अर्ज यह की थी कि आप वहां जाकर उनका समाधान करें······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of Order, Sir.

श्री सभापति : There is already a point of order. Just wait.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order Sir जैसी कि आपने व्यवस्था दी है, बार-बार दी है उसका सदन को आदर करना चाहिये, सदन को मानना चाहिये। बार-बार वही बात रिपोट होती है। इसमें जो टाइम पास होता है उसका पता नहीं चलता है, आप किसका टाइम काटेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : This is a point of disorder.

श्री सभापति : No disturbance in the House please.

मैं निवेदन करूंगा, कि आप में से बहुत से जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हों, वे एक-एक दो सदस्य नीचे पधारें और दो-चार व्यक्तियों को डेलीगेशन के रूप में ले आयें। और वे जो बातें कहना चाहें वह, मंत्री महोदय सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जनतंत्र का तरीका नहीं है···

श्री सभापति : No more disturbance in the House please. Shri Murlidhar Vyas order please. I won't hear anything more.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा, उस पर अर्ज करना चाहता हूं···

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : अर्ज यह है कि यह संसदीय परम्परा रही है····

श्री सभापति : No. Sir श्री भीमसेन।

श्री मुरलीधर व्यास : संसदीय परम्परा के अनुसार पार्लियामेन्ट में देखें··

श्री सभापति : परम्परा के अनुसार ही आपको चेयर का आदेश फौरन मानलेना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां भी प्रधान मंत्री भी जन-प्रतिनिधियों से मिलने के लिए जाते हैं (व्यवधान) परम्परा के आधार पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी जनता की उपेक्षा करना चाहते हैं। हमको कहना चाहते हैं कि वे खुद नहीं जाना चाहते हैं, जनता के प्रतिनिधि उनके पास आयें। यह जो उनकी नीति है यह जनता की उपेक्षा की नीति है और लोकतंत्र का विरोध करने वाली है और हमें सांकेतिक वाक आउट करने को मजबूर करती है। आशा है मंत्री महोदय

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि इस सरकार की···(व्यवधान) यदि इस सरकार की जनता के प्रतिनिधियों के प्रति यह नीति है कि सरकार राजस्थान के जन-प्रतिनिधियों से खुद जाकर मिलना तक पसन्द न करे और इसको अपनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इज्जत के खिलाफ समझे तो हम सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं उसके फलस्वरूप हम सांकेतिक वाक आउट करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल और साम्यवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मैं यह निवेदन कर रहा था कि किस तरह प्रशासन में कमी करके जो जनता के ऊपर नये टैक्स लगाये जा रहे हैं उसमें कमी कर सकते हैं। मैं सुझाव के तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक एक इन्डस्ट्रीज ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर रखते हैं, सभापति महोदय, उस इन्डस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास...

श्री सभापति: (To some Members who were walking out) Do it with some decorum.

श्री भीमसेन: काम नहीं होता। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर सरकार के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में विचार कर सकती है कि हमारे यहां दो-तीन ब्लाक्स में जिस तरह से औद्योगिक काम हो, उस काम को ध्यान में रखते हुए और उन कॉमोडिटीज को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार प्रत्येक ब्लाक के स्थान पर दो-तीन पंचायत समितियों पर एक प्रशासनिक अधिकारी इन्डस्ट्रीज के लिए रख सकते हैं। इससे खर्च में कमी होगी और साथ ही पंचायत समिति में एक्सटेंशन ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है उनके लिए इस तरह की सरकार व्यवस्था करे तो मैं समझता हूं कि खर्च में काफी कमी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने प्रिजन वेलफेअर ऑफिसर लगा रखे हैं और प्रोबेशन ऑफिसर लगा रखे हैं जो दो सौ से चार सौ की ग्रेड के ऑफिसर हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नही हैं। मैं यह सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रोबेशन ऑफिसर और प्रिजन वेल फेअर ऑफिसर के काम को बखूबी सोश्यल वैलफेअर ऑफिसर को दे सकते हैं और इस तरह इस खर्च में कमी कर सकती है। इसके साथ ही जो समाज कल्याण संस्थाओं का कार्य चलता है, स्कूल चलाती है, उन स्कूलों को शिक्षा विभाग को ट्रान्सफर कर सकते हैं और एक-एक गांव में दोनों काम चला करते हैं उनमें से एक कम करके सरकार खर्च में कमी कर सकती है। इस तरह से सरकार इस प्रशासनिक खर्च में कमी करने की तरफ ध्यान दे ताकि जनता पर अतिरिक्त बोझ न आये।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान योजना की तरफ आकर्षित करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने मेजर, माइनर इरिगेशन की योजनायें बनाई हैं। वैसे प्लानिंग का यह उसूल होता है कि जिस तरह प्रोजेक्ट के बारे में योजनायें बनाते हैं, वह उतने ही खर्च और उतने ही समय में पूरी होनी चाहिये। लेकिन राजस्थान सरकार ने जितनी योजनायें हाथ में लीं हैं और उन योजनाओं के जितने खर्च के एस्टीमेट्स बनाये गए थे और जितने समय में उन्हें पूरा करना चाहते थे, उतने खर्च और समय में पूरा नहीं कर पाये हैं और इस तरह से अतिरिक्त बोझ जनता पर लादा गया है क्योंकि उसके पूर्ण होने के साथ-साथ जनता को जो लाभ मिलने वाला था, वह नहीं मिल पाया है।

(श्री भीमसेन)

मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि कालीसिंध परियोजना के लिए सरकार ने केवल १३ लाख ९७ हजार का एस्टीमेट बनाया था, कि इतने खर्च में योजना को तैयार कर पायेंगे लेकिन अब तक ३५ लाख खर्च कर चुके हैं, लेकिन हमारी वह योजना अधूरी है। इसके साथ ही साथ नेमनोनहर परियोजना का सरकार ने ३० लाख का एस्टीमेट बनाया था, उसके स्थान पर सरकार पचास लाख खर्च कर चुकी है, लेकिन वह योजना भी अधूरी है। इसी तरह मासी सिरजन योजना है, उसमें २३ लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था, उसके स्थान पर ३५ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है लेकिन वह योजना अधूरी पडी है। मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्लान बनाते हैं उसका जो शिड्यूल्ड टाइम है उसमें वह पूरा होना चाहिये जिससे कि जो रेट्स कीमत बढने से खर्च बढता है, वह बढने न पाये और जो योजना से पब्लिक को लाभ मिलने वाला है और सरकार की आमदनी बढने वाली है वह ठीक टाइम पर मिल जाय। इन सुझावों के साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन सुझावों पर विचार करे जिससे जनता पर अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता न पडे।

श्री सभापति : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदय, जैसा अभी····

श्री सभापति : Ten minutes please.

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हां।

श्री सभापति : आठ मिनट पर घंटी बजाऊंगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हां, समाप्त कर दूंगा, साहब।

जहां तक इस नये साल में कर लगाने की बात है उसका दो-तीन तरह से विरोध किया जा रहा है—एक विरोध तो इस नीयत से है कि हिन्दुस्तान मजबूत न हो और हिन्दुस्तान की सुरक्षा के लिये जितने खर्च की आवश्यकता है, वह गैर मुल्कों से ले और गैर मुल्कों के ताबेदार की तरह हो जाय। इस तरह ताबेदार गैर मुल्कों के बनाने की नीयत जिनकी है वे टैक्सों का विरोध करते ह। एक वे लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों के एक तरह के पंडे हैं और जिस मुल्क ने हमारे देश पर हमला किया है, उसकी सेना आती है तो उन सेनाओं का मुकाबला करने में हमारा हिन्दुस्तान कमजोर रह जाय, हिन्दुस्तान ताकतवर न बने। और जब हमलावर के हिमायती यहां आकर बैठें तो इनको पूछ बैठें। इस तरह की नीयत से दूसरी तरह का विरोध कर रहे हैं। तीसरे, टैक्स का विरोध वे करते हैं····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमने बहुत दूसरे सोर्सेज देने की बात कही है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप चिन्ता न करें। मैं बता रहा हूं। मियां जी की दाढ़ी में तिन्का मैंने कहा, वह तुरंत नजर आयेगा, वह छिपा नहीं रहता है।

तीसरे वह लोग हैं जो यह चाहते हैं कि मुल्क में समाजवाद पूरी तरह न आजाए। हमने भी टैक्स का विरोध किया था और निवेदन किया था कि टैक्स इन लोगों पर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं लगाना चाहिए जो देने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब जहां तक समाजवाद का प्रश्न आ जाता है, तो जो लोग देश में समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं और समाजवाद में विश्वास करते हैं, उनमें से जो यह कहते हैं कि हम पर टैक्स न लगायें तो ऐसे लोग देश में सौ, दो सौ रह जायेंगे। समाजवाद में जिन्हें विश्वास है, जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं वे कहेंगे, टक्स हम देंगे, दूसरा कौन देगा? टैक्स हमें इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमको अपने देश को आगे बढाना है। सभापति महोदय, इसके साथ में निवेदन करता हूं कि सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि जहां राजस्थान के आदमियों को अनाज हमेशा बाहर से मगा कर देना पड़ता था, आज उसके स्थान पर अनाज हमारे यहां से बाहर जा रहा है आज एक बहुत बड़ी मंडी अनाज की राजस्थान बना है क्योंकि हमारे यहां जो बहुत सी जमीन पड़ी है वहां नई नई नहरें लाकर, तालाब बना कर, बांध बना कर उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सब योजनाओं में करोड़ों, अरबों रुपया लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और जो खर्च हो रहा है वह आये कहां से ? इसके लिए टैक्स आवश्यक हो जाते हैं। तब जिस तरह के टैक्स हमारे यहां लगे हैं, मैं उन्हीं के भाषण की भाषा में कहूं कि वजीरेआजम सरमाया, ने जो टैक्स रखे थे, मैं समझता हूं . . .

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : सरमाया के वजीरआजम नहीं होते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: "वजीरआजम सरमाया" कहा जाता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनकी भाषा समझते हैं, आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार: सरमाया लफ्ज जिसके साथ . . . :

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: 'बेकार' जोश क्यों खाते हैं उसकी क्या बात है ?

मेरा निवेदन था कि जिस प्रकार के टैक्स लगाने की कोशिश की गई है, मुझे बड़ी खुशी है उसमें किसानों को, जो बिल्कुल गरीब हैं उनको प्राय: अब छोड़ दिया है। आज की घोषणा से उन्हें छोड़ दिया है पचास रुपया तक का लगान बारानी जमीन पर और १५०) रुपयों का लगान पीवल जमीन पर—आमतौर पर किसान इससे ज्यादा नहीं देते हैं, इससे ज्यादा टैक्स देने की क्षमता नहीं रखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ऊपर के लोग हैं, जिनकी स्थिति हो सकती है देने की, जब डेढ़ सौ से ज्यादा लगान दे सकते हैं देते हैं

अभी उनको छोड़ने की बात कही, मैं उसके लिये तो बधाई देता हूं कि इतनी बात तो आपने सदन की मानी और उसे छोड़ा है। अब दूसरे टैक्सों में भी आप ख्याल करें कि गरीब आदमियों पर टैक्स नहीं लगें। मैं यह बताना चाहता हूं कि किसानों को रेत मकान आदि के लिये जरूरत रहती है इसके लिये उनको हमेशा से छूट रखी है। अब आपने उस पर भी टक्स लगा दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतना छोटा मामला है कि इस टैक्स से आपको आमदनी तो बहुत कम होगी और बदनामी ज्यादा होगी इसलिये इस टक्स को आपको उनसे वसूल नहीं करना चाहिये। आप हमको इस पर कहने के लिये तंग करते हैं। रात दिन किसान रेत की गाड़ी लाता है और अब अगर वह रेत की गाडी लाता है तो उसको उस पर टैक्स देना होगा इसमें किसानों को बड़ी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

दिक्कत होगी। यह एक छोटी सी बात है मगर इस छोटी सी बात से किसानों को तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अधिकारी किसानों को यह कह देता है कि हमने तो इसका ठेका दे दिया। किसान उसको बर्दास्त नहीं करता। मैं समझता हूं कि आप इसको तो अवश्य छोड़ेंगे।

इसके बाद आप मकान बनाने के लिये कई करोड़ रुपये लोगों को देते हैं; आपके यहां पर हाउसिंग स्कीम्स हैं जिससे लोगों को कर्जा मकान बनाने के लिये दिया जाता है। अगर हमारे यहां पर किसान लोग अपनी ज़मीन में कोई मकान बनाता है तो आप उसको तोड़ने का हुक्म देते हैं क्योंकि उन्होंने अन्दर हलका आबादी में जमीन नहीं ली। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो हजारों रुपये मकानों को बनाने की स्कीम के लिये खर्च करते हैं और दूसरी तरफ आप उन किसानों के मकानों को तुड़वा देते हैं।

श्री बाल कृष्ण कौल (वित्त मंत्री): मैं निवेदन करूंगा कि जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनके लिये ऑर्डर निकाला गया है व रोक दिये हैं। आप इसकी तरफ इशारा न करें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा आपने भारत सरकार से कई लाख रुपयों का लोन लिया मकान बनाने के लिये, आप वर्षों से कर्जा लेते आ रहे हैं। आपने गरीबों में पांच लाख रुपये नहीं बांटे। आप सरकार से कर्जा इसलिये लेते हैं कि आप वह रुपया ग्रामीण जनता को देंगे मगर आपने उनको पैसा नहीं दिया। और वह रुपया दूसरों को दे दिया इससे ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक साल में आपने उनको एक पैसा नहीं दिया। आपने इसके लिए आदमी नौकर रखे हैं जिनका वेतन देना पड़ता है। आप १।। लाख का कर्जा देते हैं गांवों के मकान बनाने के लिये। आपने भारत सरकार से ६० लाख रुपये ले लिये और वह रुपया आप दूसरे लोगों को दे देते हैं और गांवों वालों को बिल्कुल 'उड़ाक सटक' से रख देते हैं।

यह कहां तक वाजिब है। कई लोग कहते हैं कि अधिवेशन होते हैं और इसके बारे में स्टाफ पर रख लेते हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। म यह कहता हूं कि गलती कहां नहीं है गलती सब जगह पर है। अगर आप गलती को ठीक करें तो मैं यह कहता हूं कि टैक्स लगाने की नौबत भी नही आती। अगर आप यह सोचते कि मित्तव्ययता कैसे लावें, अगर यह लाने की हिम्मत है तो मैं कहूंगा कि टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जमीन के मामले में किसानों ने जिस जमीन पर कब्जा किया, किसान उस जमीन पर खेती करता है पहले राजाओं के समय में हमारे यहां राजस्थान में जागीरी इलाका बहुत था। वह बहुत बड़ा जागीरदारी इलाका था। सरकार ने सरक्यूलर निकाला कि जो जमीन काश्तकारों के नाजायज कब्जे म भी एक निर्धारित समय से हो उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जावेंगे। वह सूचना लोगों तक नहीं गई। राजस्थान का गजट हर किसान नहीं देखता है। किसानों की तो क्या, मैं यह कहूंगा कि आपका गजट आपकी तहसीलों में भी समय पर नहीं पहुंचता है। आज यह कहा जा रहा है कि वह तो मयाद बाहर हो गया है। मगर आप

Page No 64

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
मयाद बढ़ाना चाहें तो बढ़ावें। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम यह तो जरूर कर दें कि लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं वह तो न चलें। किसान अन्न पैदा करता है। आपके हजारों किसानों पर मुकदमें चल रहे हैं। उन पर से मुकदमे तो कम से कम हटा लिये जावें। किसान आपको लगान देता है। आपको पैसा देता है। अनाज पैदा करता है। आप उसको पैसा देने के लिये तैयार नहीं तो आप उस पर कम से कम मुकदमा तो न चलावें। अगर वह यह चाहता है कि खेती करता है और एम्पलॉयमेंट एक्स-चेन्ज में नाम लिखाता है तो आप उसको बन्द करिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गावों में बड़ा असंतोष होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आज नहीं तो कल। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

जहां तक पटवारियों को दी जाने वाली रकम का सवाल है मैं यह कहूंगा कि यह रकम बिल्कुल थोडी सी रकम है और पुराने जमाने से पटवारियों को आप देते आये हैं। मैंने जैसा सुना कि यह पटवारियों को न मिले और राजस्थान सरकार की आमदनी में शरीक हों। मैं यह कहूंगा कि पटवारियों को रकम रोजाना उसी तरह देते रहें क्यों कि उन्हें मिलती है। आप देखें कि आप पटवारियों को वेतन क्या देते हैं? उधर आपका पटवारी कितना काम करता है। वह आपके पांच हजार खातों का हिसाब रखता है। नक्शे भरता है। आप उसको क्या पे देते हैं? ६०) रु० माहवार १० या ५ रूपये फीस के इसे आप देते हैं जो कि नियम से मिलते आए हैं तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह इससे संतोष करता है।

श्री बालकृष्ण कौल: आपका कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। वह सरकार की आय का अंग था।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: मैं अब आपके सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखता हूं।

मैं आपके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं, सभापति महोदय, भीमसेन जी ने यह कहा कि आमदनी में मिला दिया जावे। आप उस पर एग्री हो जावें। आपकी आदत पड़ गई है। मुझे ध्यान आ गया है। आपके ७-८ हजार पटवारी हैं उनके हिस्से में ७-८ रुपये आते हैं यदि कोई हैं और अगर आप उसको मान लेते हैं तो वे पटवारी मर जावेंगे। उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। मैं कहूंगा कि आप जरूर मिला दीजिये। अगर आप उनको व उसके बच्चों को जहर देना चाहते हैं तो जरूर मिला दीजिये, अन्यथा वे लोग इसीसे संतुष्ट हैं। अगर आप उनको उनके काम के अनुसार अच्छी पे देते हैं तो आप इसको कन्सीडर करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: (बयाना) सभापति महोदय मेरे लिये भी कुछ समय निर्धारित करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, सदन के समक्ष एप्रोप्रियेशन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बिल बहस तलब है। पिछले आठ दस रोज से जब कि सरकार ने इस सदन के समक्ष अपना बजट पेश किया और इसके बाद विभिन्न मांगों पर बहस हुई, उस दौरान में हमने सरकार को बताया, यह बात सरकार के ध्यान में दिलाई कि जिन नीतियों के आधार पर आपने यह बजट बनाया है, जिन नीतियों के आधार पर आप इस प्रशासन को चला रहे हैं, उसका यह लाजमी नतीजा है कि आपके सामने फाइनेन्शियल क्राइसिस है, उसका यह लाजमी नतीजा है कि आप जो योजनाबद्ध विकास की घोषणा करते हैं, उन्हीं योजनाओं को चाहे चाहे में चाहे अनचाहे में····

श्री सभापति: Let me tell you I will be giving you 20 minutes only.

श्री रामानन्द अग्रवाल: Why Sir?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप तो, वाक आउट कर गये थे, यहां कैसे आ गये साहब ?

श्री सभापति : वह सब सांकेतिक था; परन्तु वह समय काट दिया गया है। I have taken away that time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, वह तो हमारा राइट है, उसकी वजह से टाइम काटना कहां तक ठीक होगा ?

श्री सभापति: टाइम एडजस्ट करना मेरा राइट है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : टाइम दीजिये या न दीजिये, यह अलग बात है; पर उसकी वजह से जुर्माने के रूप में टाइम काटना तो ठीक नहीं····

श्री सभापति: I have simply told you that I am now alloting you only 20 minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो माननीय सभापति, मैं निवेदन कर रहा था कि उन नीतियों का नतीजा है कि आपके सामने फाइनेन्शियल क्राइसिस है, और उनका यह नतीजा है कि प्लान्ड इकोनोमी, प्लान्ड डवलपमेंट आप करना चाहते हैं, उसको छोटा करना पड रहा है।

हम आशा करते थे कि पिछले १० रोज में बहस हुई उसके फलस्वरूप सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी और जो एप्रोप्रियेशन बिल इस सदन के समक्ष पेश होगा उसमें इन पिछले दिनों की बहस का समावेश हमारे सामने आयेगा पर, सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि सरकार ने इस दौरान में सिवाय छोटी-मोटी बातें हैं इधर उधर की उनको माना है, बाकी अपनी उसी बनियादी नीति पर सरकार डटी रही है कि निहित स्वार्थों को संरक्षण देना, रियायतें देना, शोषित वर्ग पर अधिकाधिक बोझा डालना और उन्हीं नीतियों का फल यह एप्रोप्रियेशन बिल है। सभापति महोदय, सरकार ने अपनी आमदनी बढाने के जरियों के लिये कहा था कि हमें बताये जायं। उसको हमने बहुत से सुझाव दिये, सरकार को टैक्सेशन लगा कर आमदनी हो सकती है, उसके हमने सुझाव दिये, सरकार के सामने ठोस रूप में बचत की बातें रखी जिनसे कि न केवल इतना पैसा जितना कि सरकार टैक्सेशन के रूप में इस सदन से मांग कर रही है, बल्कि उससे भी अधिक जिसके जरिये से सरकार अपनी प्लान्स को बडा बना सकती थी, छोटे लोगों को राहत

Page No 66

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दे सकती थी और प्लान्ड डेवलपमेन्ट राजस्थान का कर सकती थी, सुरक्षा प्रयत्नों को ज्यादा मजबूत बना सकती थी। इस तरह के कदम न उठा कर सरकार अपनी जिद पकड़ रही है उन्हीं बातों पर। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूं। इस सदन में पहले भी बहस आई कि नान टैक्स रेवेन्यू बढाई जाय। अपने ही रोडवेज से आपको १५ पर्सेन्ट मुनाफा मिला जिसका सवा करोड इन्वेस्टमेंट था। यदि ऐसी सरकार होती जिसको जनता के हित का खयाल होता, जिसको नान-टैक्स रेवेन्यू बढाने का खयाल होता तो वह सरकार अपने तमाम इन्वेस्टमेंट जो कि कम रिटर्न्स देने वाले हैं उनको निकाल कर इसमें, रोडवेज में, लगाती, नेशनेलाइज करती तमाम रूट्स को और इस तरह अपनी आमदनी बढा सकती थी। पर हमारी सरकार का जो रुपया उसके हाथ में है वह-रुपया स्वदेशी मिल्स कानपुर में, देवस्थान का रुपया फंसाना सरकार मंजूर कर सकती है। हमारी यह सरकार शाहू-जैन की कर्न्सन्स जिनके खिलाफ वीवियन बोस ने इतना कन्डेम किया है, ऐसी-ऐसी जगह रुपया फंसाये रखना मंजूर कर सकती है, जहां से डिविडेन्ड बिल्कुल नहीं आता, एक पर्सेन्ट आता है या २ पर्सेंट आता है। पर यह सरकार नहीं सोच सकती कि इस खास वक्त पर नेशनेलाइजेशन के प्रोग्राम को एक्सपेडाइट कर के रोडवेज में यह पैसा लगाये, जिससे कि राजस्थान की जनता पर टैक्स का बोझा न बढे।

इसी तरह हमारी सरकार अपनी आमदनी बढाने के लिये कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती है पर कृषि क्षेत्र में और-और बातें इधर-उधर की करती है, पर जो मुद्दे की बातें हैं, भूमि सुधारों के जरिये कर सकती है सीलिंग के कानून को इम्प्लीमेंट कर, सीलिंग के जरिये भूमि ऐसे लोगों को दे सकती है जो काश्त करते हैं। पर इसे सरकार टालती रही है। क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि ३१ मार्च ६३ तक, ६४ तक भी, इस कानून को लागू कर देगी? पर यह सरकार यह आश्वासन देने को भी तैयार नहीं है। यह आश्वासन अगर उधर से आये तो खुशी होगी, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे जब जवाब दें, तो इस पर जरूर प्रकाश डाले। पर मुझे इसमें सन्देह होता है, इसके ड्राफ्ट रूल्स सदन में पेश किये गये जिनकी कानूनन कोई आवश्यकता नहीं थी। अब यह सदन ५ तारीख से स्थगित हो जायगा, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई आग्रह नहीं किया गया कि इन पर बहस की जाय। इसके माने यह होंगे कि अबकी बार सदन बैठेगा तब उन पर बहस होगी फिर दुबारा रूल्स बनेंगे, फिर सदन के सामने आयेंगे इस तरह से इस कानून को आगे तक मुल्तवी करने की भावना बन रही है! इसलिये मैं कहूंगा कि इस सरकार की नीयत इन तरीकों को अपनाने की नहीं है जिससे हमारी पैदावार एक दम बढ सके, हमारे साधन बढ सके और आम आदमी की औसत आय बढ सके एवं आम आदमी पर टैक्स का बोझा न बढे।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार का एड्मिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका है, किसी डिपार्टमेंट म देख लें, उसके प्रति आम जनता विश्वास खो चुकी है। सामान्य से सामान्य सरकार का जो सामान्य स्टेन्डर्ड होना चाहिये वह भी यह सरकार नहीं रख पाई है। इसलिये आज लोगों को इस सरकार में भरोसा नहीं रहा है कि यह सरकार किसी तरह फेवरे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टिज्म को खत्म करना चाहती हैं, करप्शन को खत्म करना चाहती हैं। चाहे आज हमारे लाखों रुपये ठेकेदारों को और दूसरे लोगों को रियायत देने में खर्च हो रहे हैं पर हमारी सरकार के चेहरे पर पसीना तक नहीं आता, जब कि हमारा राजस्थान मुसीबतों में फंसा हुआ है, सारा देश एक अजीब स्थिति में से गुजर रहा है।

एक मिसाल मैं गवर्नमेंट के स्टेन्डर्ड की जो पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू विभाग में चलता है, उसकी छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूं। टोंक स्टेट में एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति के फोर-फादर्स को कभी मुआफी मिली....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व): गांव का नाम ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांव का नाम भी, लेने वाले का नाम भी बता दूंगा....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : पुरानी बातें रख रहे हैं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : विलेज बावडी में माफी मिली, ४० में वह माफी रिज्यूम कर ली, ४३ से उसके लगान की वसूली का आर्डर निकला पर माफी वाले लोग इन्फ्लूएन्शियल थे, लगान की वसूली नहीं, भाग्य ने पलटा खाया वे नेता मिनिस्टर बन गए, उन्हीं मन्त्री महोदय ने खुद ने जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अपने नाम से दर्खास्त दी कि हमारा यह केस रीकन्सीडर किया जाय और उन्हीं मन्त्री महोदय ने जो दर्खास्त दे दी है, उन्होंने अपनी कलम से कलेक्टर को आर्डर दिया कि फौरन इसका..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मिनिस्टर का नाम बताने का कष्ट कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दामोदर लाल व्यास, जिनके नाम में माफी थी, यह दर्खास्त उन्हीं के नाम से है। दामोदर लाल व्यास, चांद बिहारीलाल व्यास, जरिये बालाबख्श व्यास। खुद रेवेन्यू मिनिस्टर थे, १०-१-५८ को आर्डर करते हैं: "Collector Tonk will please look into this matter and send report along with his opinion as well as relevant papers immediately.

उसमें १० तारीख को हुक्म होता है, १३ तारीख को तहसीलदार रिपोर्ट कर देता है कलेक्टर को और १६ तारीख को कलेक्टर यह आर्डर कर देता है कि यह माफी रिज्यूम हुई वापिस दी जाती है। जो रूलर आफ स्टेट था, सोवरेन था, उसने इस माफी को रिज्यूम किया था कलेक्टर्स को पावर्स नहीं थे, सामान्य सभ्यता की भी बात है कि खुद की दर्खास्त हो तो उस पर वह खुद आर्डर पास नहीं करें, चीफ मिनिस्टर के पास भेज देना था। इस तरीके से कहना चाहता हूं कि सरकार सामान्य जो तरीका है शासन चलाने का जिससे आम जनता में विश्वास हो सके वह भी यह सरकार नहीं बना सकी।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, बहुत से मामलात इस सरकार के सामने करप्शन के इस सदन में रखे गये, रिकार्ड दिखाया, हमने यह देखा है कि यह सरकार शील्ड करने की, बचाने की कोशिश करती है, किस-किस प्रकार से उनको अपने व्हाइट अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है जिससे लाखों करोडों रुपया स्टेट का

Page No 68

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बर्बाद होता है। हमारे सामने यह कहा जाता है कि सबूत लाओ, हमारे सामने यह कहा जाता है कि सबूत दिया जावेगा तो कार्यवाही करेंगे। मैं आज सदन के सामने, सरकार के सामने टेस्ट केस रखना चाहता हूं कि यह सरकार जिसका जिन्दा सबूत आपके सामने है, सदन के सामने रखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि इमीजियेटली यह सरकार क्या करना चाहती है इस बारे में। सभापति महोदय, मेरे पास ये फोटोस्टेट कापीज हैं जिनके अन्दर····

राजा श्री मानसिंह (डीग): They should be placed on the Table of the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल: I will place them on the Table of the House. I will read them in the House.

जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट के एक हाइयेस्ट आफिसर इन्वाल्ड हैं। वे हैं श्री एम. एल. सेठी, डाइरेक्टर आफ माइन्स एन्ड ज्योलाजी। यह कौन साहब हैं, सेठी साहब? छोटे-मोटे आदमी नहीं हैं जिनको इतना करने की हिम्मत पड़ी। श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, हमारे एडवोकेट जनरल हैं, उनके बहनोई हैं, श्री कमलचन्द कासलीवाल, जो कमल एन्ड कम्पनी के मालिक हैं, उनके ये बेहनोई हैं, इसलिये उनके प्रोटेक्शन पर ये कुछ भी करें, कितनी भी शिकायतें हों सदन में क्वेश्चन्स के जरिये, कटनाड की खान के बारे में प्रश्न आये, कितने ही मामले लाये जांय उनके बारे में कुछ हो नहीं सकता। ऐसी आम जनता में मान्यता इस तरीके की है। और ये महाशय इन्होंने अपना एक आदमी जो इनका टूल समझा जाता है वह इनके साथ पूरी तरह से करप्शन में शामिल है वह है असिस्टेन्ट इन्जीनियर माइनिंग, भीलवाडा और उसका नाम है चांदमल जैन।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिये बता दूं भीलवाडा में कोई चांदमल जैन नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप बोल लेना। मुझे कह लेने दीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): कोई नहीं है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: माननीय सदस्य····

(व्यवधान एवं शोरगुल)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य को कोई चार्जेज लगाने हों, क्या प्रेस करने के लिए तैयार हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: चांदमल जैन कोई नहीं है।

श्री सभापति: आपने फरमा दिया ये कहते है वह भी तो सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: लैटर की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। इन मि. एम. एल. सेठी ने इन मि. चान्दमल जैन को लेटर लिखा, जिसकी यह फोटोस्टेट कापी है वह यह है जो मैं पढ कर बताता हूं:—

"My dear Chand Mal Jain,

I have fixed up my programme to reach Bhilwara on 9th instant and

Page No 69

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
in the meantime I expect you must have made suitable and necessary arrangements according to our discussions here. You know the pressing demand from Shri Komal for Rs. 25,000 and I wish that the matter may be finalised at the earliest.

Hukum Singhji met me after you left from here and gave me Rs. 5,000 and has further promised to pay Rs. 2,000 which you must please collect from him before I reach there. Now in these circumstances you are required to recommend the case of M/s. Ram Lall and Sons for compensation of their area submerged in Meza Dam. He will pay you Rs. 1,000 separately . Regarding compensation to M/s. Pussalal Mansinghka Ltd. I wish that you don't make any recommendation for their claims of Godas area because I feel that these people are not reliable. You are further advised not to make any contacts with them, otherwise they will put us in some trouble. Their application of Godas area in Block No. 7 has also been rejected. Shri Bansilal Choudhry approached me with the request to get the area of Godas recommended in favour of M/s. Moolchand Nemichand and have offered a good return if the area is sanctioned to them. Now you should deal the things in such a way which may be beneficial to both of us.

Mr. George is reaching to Bhilwara earlier to examine the cases of compensation and you are requested to manipulate the things with him intelligently and tactfully. This letter should be returned at Bhilwara to me.

Yours sincerely,
M. L. Sethi

(शोरगुल एवं घंटी)

श्री सभापति: order please

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री शिक्षा): On a point of order, Sir. this is a photo state copy

प्रश्न यह है कि फोटोस्टेट कापी उस हालत में प्रस्तुत की जाय जब कि ओरीजिनल न हो

श्री सभापति (श्री रामानन्द अग्रवाल से) Have you anything to say, Sir ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) सभापति महोदय Have you anything to say Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस लेटर की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। Let me hon'ble Member on the Treasury Benches challenge the authenticity of this letter.

श्री सभापति : Order please.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री राजस्व): इसका उत्तर मैं

श्री रामानन्द अग्रवाल :
to produce the letter now. There is no necessity.

You want to shield these corrupt people.

(शोरगुल)

श्री सभापति: Order ! Order please !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन इस सदन में नहीं मिलना चाहिये।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर): ओरीजिन की बात करके भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं।

श्री सभापति: Order please ! Order please !!

श्री सतीशकुमार शर्मा: भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिये।

श्री सभापति: Order please. Shri Satish Kumar, I say please take your seat. इसमें बहस की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य ने जो फोटो स्टेट कापी बतायी है वह सदन की टेबल पर रख देंगे और जो भी कार्यवाही करना चाहिये की जायगी।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): फौरन कार्यवाही का आश्वासन देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि··

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह पत्र कब का है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: २-६-५५ का है यह कितना ही लेट हुआ हो लेकिन जो इस पत्र की स्प्रिट है उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं। इसमें मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बारे में मुझे पूछ सकते है कि यह कहां से आया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस पत्र पर जांच हो गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसमें माननीय सदस्यों का कुसूर नहीं। हम सब मिल कर कोऑपरेशन करेंगे तो इस तरह की जो चीज हो रही है उनको रूट आउट कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): तीन साल से ज्यादा की मयाद हो गई?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न रखा, आपने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी। मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर इस संबन्ध में यह है कि कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो उस पर आसन द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये पहले जो पोइन्ट आफ ऑर्डर उठाया गया है उस पर व्यवस्था होनी चाहिये कि उसको आप उचित समझते हैं या अनुचित? यदि अनुचित समझते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाय; आखिर कुछ न कुछ व्यवस्था आपकी तरफ से होनी चाहिये।

श्री निरन्जननाथ (उप-मंत्री-शिक्षा) Is it a point of order Sir?

श्री सभापति: Neither is this nor was yours. Both are ruled out.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): सभापति महोदय, इस संबन्ध में माननीय सदस्यों के दिमाग में कुछ गलतफहमी रखना नहीं चाहता। माननीय सदस्य के सामने जो करप्शन की नजीर आई है उस में हम किसी को सेल्टर करना नहीं चाहते। मेरी

(श्री मथुरादास माथुर)
जहां तक जानकारी है यह पत्र पहले भी सरकार के नोटिस में आया था और उसकी सरकार ने जांच करवा ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे तो एक नई बात का और पता चला है कि इस प्रकार के पत्र की जांच भी करा ली और वह अधिकारी आज भी उसी पोस्ट पर मौजूद है। इससे यह साबित है कि सरकार का करप्शन को रूट आउट करने का कितना इरादा है। यह तो सरकार के इस सम्बन्ध में हुए फैसले से पता चलेगा। लेकिन इस संबन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हुकम सिंह इसी रामलाल एन्ड सन्स का आदमी है, रिप्रेजेन्टेटिव है, वह दोनों के बीच लेन देन का काम करता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इनको बीस मिनिट का समय दे दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: That is for the Chair-

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं एक और नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं जो पत्र का मजमून आपने पढा है उसके बाद में आपने जो फोटोस्टेट कॉपी से पढा वह सदन की मेज पर रख दें।

मैं एक बात और कह दूं, हमने इसकी इन्क्वायरी की है और आगे भी इन्क्वायरी कर सकते हैं। ओरीजनल आप टेबल पर रक्खें नहीं लेकिन ओरीजिनल की जब कभी आवश्यकता हो, क्योंकि यह देखना होगा कि दस्तखत उनके हैं या नहीं, इसके लिये एक्सपर्ट से जांच करवानी होगी। इसलिये यदि हम इसको कोर्ट में भेजते हैं तो उस समय ओरीजिनल की आवश्यकता पड सकती है। इसलिये आपसे निवेदन है कि जिस समय ओरीजिनल की आवश्यकता हो आप उस समय प्रस्तुत कर दें ताकि न्याय इस बारे में हो सके। इससे इन्क्वायरी करने में और सजा दिलाने में मदद मिलेगी। औरीजिनल के विना यह सब कार्यवाही होना मुश्किल हो जायगा।

श्री सभापति : ऐसी बात है कि जब आप, इन्क्वायरी करायेंगे तो यह तो सदन से बाहर होने वाली है, I am sure ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एवीडेन्स में वह पेश की जा सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को बता दूं कि वह बहुत सुरक्षित रखी हुई है।

श्री सभापति: I am sure the hon'ble Member will leave no stone unturned to convince about his allegations.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब भी आप चाहेंगे हम उसे पेश करेंगे। आज तक सरकार ने इस प्रकार के सीरियस एलीगेशन के बावजूद भी कभी इस पर विचार नहीं किया। मुख्य मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि आज जो यह चीज रख रहे हैं उससे उनकी नीयत तो मालूम होती है, आज एक बुनियादी चीज रखी गई इसी पर उनको इस पोस्ट पर नहीं रखना चाहिये। अगर सरकार इन्क्वायरी कराना चाहती है, अगर उसको सजा दिलाना है तो यह एक प्राइमाफेसी केस है जिससे सरकार से उम्मीद करूंगा कि वे आश्वासन दें कि इमीजियेटली हम उस अधिकारी को सस्पेन्ड करेंगे केवल इसी लैटर के आधार पर।

सभापति महोदय, मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसी मामले में नहीं और

Page No 72

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी भी मामले में जहां करप्शन को रूट आउट करने का सवाल हो हम सरकार के साथ हैं अगर वे इसके लिये कोई अभियान प्रारम्भ करेंगे तो हम हमारी तरफसे उनको पूर्ण सहयोग देंगे। जिस तरह से भी सरकार ने तस्कर व्यापारियों के खिलाफ डाकेजनी के खिलाफ कुछ अच्छे कदम लेकर इसकी शुरूआत की प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया है हम चाहेंगे कि इस कदम को और तेजी के साथ बढाया जाय। हम ऐसे मामलों में सरकार को हतोत्साह न कर उनको पूरा सहयोग देंगे, चाहे किसी का भी मामला हो।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) :—माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं अपनी राय प्रकट करती हुई कुछ सुझाव पेश करना चाहती हूं।

सभापति महोदय मैं वित्त मंत्री महोदय से बहुत नम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहती हूं कि उन्होंने यह जो १ अरब २० करोड रुपये का विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है यह जनता की गाढी कमाई का खून और पसीना है इसकी एक एक पाई का सही तरीके से, तथा सही ढंग से सदुपयोग होना चाहिये।

सभापति महोदय, वैसे राज्य सरकार का करीब ५ करोड रुपया लोगों में बकाया है जिसको ले सकती है। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार ये पांच करोड रुपये की वसूली के लिये कठोर से कठोर कदम उठाये तथा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पवित्र करके...

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा सदन के आंगन को क्रोस करने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, sir माननीय सदस्य को आप यह आदेश दें कि वे सदन को इस प्रकार क्रोस न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I am sorry, sir

श्री सभापति : He is sorry for that.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां तक हो गया कि वे ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सभी को इधर बुला रहे हैं।

श्री सभापति : आपस में बात-चीत न करें।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, आज सदन में मुख्य मंत्री ने भू राजस्व कर में २.२५ करोड की राहत दी है और उसके अन्दर ४५ एकड भूमि तक को एक्जेम्प्ट किया गया है इसको अगर सारे राजस्थान के दृष्टि-कोण से देखें तो यह एक अच्छी राहत है और उसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन हर आदमी अपने-अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से सोचता है। मुझे माफ करेंगे मैं जिस जिले से आती हूं वहां पर ४५ एकड के साथ साथ एक शर्त और लगाई गई है वह यह कि ४५ एकड तक की भूमि पर भूराजस्व अधिभार नहीं लगेगा लेकिन उसका लगान पचास रुपये से कम होना चाहिये। मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि ४५ एकड जमीन और पचास रुपया लगान, राजस्थान में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां ४५ एकड भूमि ५० रुपये में आजाती हो। इसके साथ-साथ एक दिक्कत झुंझुनू जिले की और है वह भी रखना चाहती हूं

(श्रीमति सुमित्रा)

वहां पर ४५ एकड़ तक जो एक्जेम्प्शन मिला है, राजस्थान के अन्दर भूराजस्व का जो बन्दोबस्त हुआ है उस भाग में बाद में हुआ है। कहां ४५ एकड़ और कहां पचास रुपये लगान। कहने के लिये तो यह कह दिया लेकिन जब पचास रुपये लगान वाली बात मालुम हुई तो सब ठंडे होगये। इस पचास रुपये के एक्जेम्प्शन में कोई नहीं आयेगा।

(३.०० म. प.)

मैं यह बात इसलिये कहना चाहती हूं कि झुंझनू जिले में लगान की दरें राजस्थान के बाकी और जिलों के मुकाबले में बहुत अधिक हैं। वहां पर अव्वल दरजे की जमीन का लगान २।) रु० से २।।) रु० है, यह मैं कोई चाही की बात नहीं कह रही हूं, न इरिगेटेड की बात कह रही हूं और यह बारानी बीघे की रेट है। इसके बाद दोयम की रेट १।) रु० से लेकर २) रु० बीघा है। सोयम जो सबसे निकृष्ट है, जो धरती बीस सेर बीघा भी पैदा नहीं करती उस जमीन पर भी वहां पर ।।।) से लेकर १) रु० तक का लैंड रेवेन्यू है।

इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां पर लैंड रेवेन्यू की रेट इतनी हाई है वहां पर आपके इस कन्सेशन से कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

इसके साथ ही साथ मैं एक दिक्कत वहां की यह भी पेश करना चाहती हूं कि झुंझुनू जिले में पिछले साल दो आना रुपये में लगान पर छूट की घोषणा की गई थी। वह छूट ४६ गांवों में नहीं दी गई। हो सकता है वह छूट इसलिये नहीं मिली हो कि कोई भूल हो गई हो, पर जहां तक मैं कारण समझ सकी हूं, हो सकता है, सरकार के स्पष्टीकरण के समय और कारण सामने आ जायें, पर मैं जो समझ सकी हूं, वह यह है कि वहां का बन्दोबस्त बाकी गांवों के बाद में हुआ था।

मैं बहुत ही नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां के लगान का बन्दोबस्त बाद में हुआ है, आजकल की सब चीजों के प्राइसेज और हर आदमी के स्टेन्डर्ड को देखकर उसके अनुसार जो लगान की नई रेट बान्धी है वे पहले से कहीं अधिक ऊंची हैं। तो इस तरह इन ४६ गांवों को बाकी के गांवों से ऊंची दर के होते हुए भी यह दो आने की छूट दूसरों को दी गई, पर इनको वह भी नहीं दी गई। इसलिये मैं चाहती हूं कि सरकार और सदन सभी इस ओर ध्यान दें इन ४६ गांवों के साथ न्याय की पॉलिसी बरती जावे और इस पर फिर से राज सरकार सोचे और निर्णय ले।

इसके साथ ही साथ मैं एक दिक्कत और पेश करना चाहती हूं और वह यह है कि झुंझनू जिले में तो ऐसा है ही, हो सकता है, और भी जिलों में ऐसा हो, कि कुछ किसानों ने अनआथोराइज्ड जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर वहां मकान भी बना लिये हैं और राज सरकार के अभी किये गये निर्णय के अनुसार उन लोगों को वे मकान गिराने के नोटिस दिये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को यह बतलाना चाहती हूं कि नेचुरल जस्टिस के आधार पर यह देखा जावे तो यह उन किसानों के साथ घोर अन्याय और अनाचार तथा अत्याचार होगा

(श्रीमती सुमित्रा)
कि उनके बने बनाये मकान इस प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा गिरा दिये जावें। उसे अपने नियमों में कोई न कोई ढिलाई बरतनी पड़ेगी और कुछ न कुछ तरमीम करके कम से कम गरीबों के मकान तो वह नहीं गिरावे।

सभापति महोदय, किसान उस श्रेणी में आता है कि जो महनत करता है, जी तोड़ परिश्रम करता है, कठोर महनत करते हैं, सर्दी की परवाह नहीं करते, गर्मी की परवाह नहीं करते, और कठोर परिश्रम करने के बाद धरती का पेट फाड़कर अपने बच्चों को आधे नंगे और भूखे रखकर अपना गुजारा करता है। खुद आधा पेट रहता है, सब कुछ करता है, और इसके बावजूद भी उसको पूरी रोटी मिले इसके लिये आप कोई तरमीम इस प्रकार की नहीं कर सकते, उनके रहने, खाने-पीने, पहनने का प्रबन्ध नहीं कर सकते और कम से कम इस तरह की तबदीली अपने नियमों में नहीं कर पाते तो मेरी समझ में एक समाजवादी समाज रचना वाले कल्याण-कारी राज्य का दावा करने वाली सरकार के लिये यह शोभाजनक बात नहीं होगी।

सभापति महोदय, काम्यूनिटी डेवलपमेन्ट पर दो करोड ७० लाख ५३ हजार का खर्चा किया जा रहा है। गांधीजी के सपने के आधार पर· · ·

श्री सभापति: कम्युनिटी डवलपमेन्ट की डिमान्ड डिस्कस हो चुकी है।

श्रीमती सुमित्रा: डिमान्ड की बात नहीं, पालिसी की बात कह रही हूं।

श्री सभापति: इस विषय में आप नहीं कुछ कहेंगे, ऐसा ही नियम है।

श्रीमती सुमित्रा: मुझे आप नीति पर कहने की तो अनुमति दें, सभापति महोदय। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण करके राजस्थान सरकार ने अपनी प्रजातन्त्र में आस्था प्रकट की है। पर सरकार की इस नीति में राज्य कर्मचारी और अधिकारी किस प्रकार से बाधा पहुंचा रहे हैं, मैं उस सम्बन्ध में एक ऐसी नजीर पेश करना चाहती हूं· · ·

श्री सभापति: I am afraid. I will not allow.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह तो नजीर है साहब।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): On a point of information, Sir, विकेन्द्रीकरण का नाम ही आ जाने से रिपीटीशन हो जाय तो यह नाम लेना ही सब कुछ नहीं है।

श्री सभापति: This Demand has already been discussed.

श्रीमती सुमित्रा: जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, उन पर बोलने का मौका जिनको नहीं मिला उनको इस अवसर पर अपनी तकलीफें और कठिनाइयां तो रखने का अधिकार है।

श्री सभापति: नियमानुसार मुझे खेद है वह अवसर अब मैं नहीं दे सकूंगा।

श्रीमती सुमित्रा: इसलिये नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि कटौती प्रस्ताव मेरा भी था, पर समयाभाव के कारण समय नहीं मिल सका तो इस वक्त मैं केवल

Page No 75

(श्रीमती सुमित्रा)

एक ऐसी ही बात कहना चाहूंगी कि जिसको सुनकर सदन स्तब्ध रह जावेगा। इसलिये चाहती हूं कि आप मुझे उस बात को सदन में रखने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : So please see the sense of the House.

श्री सभापति : संक्षेप में कहें तो फिर। बहुत संक्षेप में।

श्रीमती सुमित्रा : बहुत संक्षेप में कहूंगी।

सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रही थी कि प्रजातन्त्र में अपनी आस्था प्रकट करते हुए राजस्थान सरकार ने जो विकेन्द्रीकरण की तरफ कदम बढाया था उसके लिये सारा राजस्थान देश भर में गौरवान्वित हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि झुंझुनू जिले में नूनिया गोठड़ा के सरपंच के खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव आया। वह सरपंच वहां के एक एम. एल. ए. के मर्जीदानों में से हैं और वहां का बहुमत उसके खिलाफ होते हुए भी वहां के कलेक्टर महोदय उन सरपंच को बचाने में अपनी सारी ताकत और दिमाग लगा रहे हैं।

श्री श्योदत्तसिंह (हनुमानगढ) : On a point of information, Sir. सभापति महोदय, यह गलत तरीका है कि आप किन्हीं एम. एल. ए. को इसमें इन्वोल्व करते हैं। या तो फिर आप उनका नाम बताइये, नहीं तो अपने शब्द वापिस लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : आप झुंझुनूं से आने वाले नहीं हैं, इसलिये अगर वे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप तो यही बता दीजिये कि वे कांग्रेसी हैं या गैर-कांग्रेसी, हमें तो इतने से ही सन्तोष हो जावेगा।

श्रीमती सुमित्रा : वे कांग्रेसी हैं।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। पर कलेक्टर साहब नहीं चाहते थे कि उनको सरपंच के पद से हटाया जाय। इसलिये उस अविश्वास के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिये उन्होंने बैठक बुलाई और उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये चिड़ावा के तहसीलदार को नियुक्त किया गया। पर वे नियत समय और तिथि पर नहीं पहुंचे। बीमारी के लिये डाक्टरी का सर्टीफिकेट पेश कर दिया। इस बात का कि मेरे दांत में दर्द है। आ नहीं सकता। हो सकता है कोई आदमी बीमार हो जावे। इसके बाद उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिये दूसरी मीटिंग बुलाई गई, इसकी अध्यक्षता के लिये कलेक्टर ने झुंझनू के मजिस्ट्रेट श्री फतहसिंह जी को नियुक्त किया। पर जिस दिन उनको मीटिंग में आना था, उस दिन उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई और वे वहां नहीं पहुंचे। फिर तारीख आई, दिन आया और उस की अध्यक्षता करने वाले महाशय गायब। इसलिये वह फिर और दिन पर चली गई बैठक।

उसके बाद चूंकि वहां का बहुमत उनको हटाने के पक्ष में था इसलिये तिबारा अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया और जब तिबारा अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया तो उसकी अध्यक्षता करने के लिये वहां के उप-विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उप-विकास अधिकारी जो जिला स्तर का

(श्रीमती सुमित्रा)

होता है उससे मेरा मतलब है। तो वह उप-बिकास अधिकारी जब वहां पर पहुंचा तो जो सरपंच की पार्टी के आदमी थे उन्होंने मारपीट की सिर्फ उस दिन की मीटिंग को अवायड करने के लिये ताकि अविश्वास का प्रस्ताव पास न हो जाय। उस मारपीट का नतीजा यह हुआ कि लोगों के फ्रेक्चर्स हो गये और लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा और अविश्वास के प्रस्ताव की तारीख टल गई। लेकिन प्रजातन्त्र में ऐसा चल नहीं सकता और लोग चौथी बार अविश्वास का प्रस्ताव लाये और उसकी अध्यक्षता करने के लिए झुंझुनूं के कलेक्टर श्री अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया गया। कलेक्टर साहब समय पर पहुंचे और समय पर पहुंचने के बाद चूंकि सरपंच ने दो सदस्यों को गल्ती से अपनी सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया था इसलिये उन्होंने कह दिया कि मैं इन दो सदस्यों के मत नहीं लगने दूंगा। जब कि झुंझुनूं के सिविल कोर्ट से यह स्टे आर्डर मिल गया था कि जब तक इन दो सदस्यों की अपील यहां पर है तब तक वे लोग पंचायत की मीटिंग में बैठ सकते हैं और वोट दे सकते हैं। तो सिविल कोर्ट के इस आदेश की अवज्ञा करते हुए वहां के कलेक्टर ने कह दिया मेरी मर्जी मैं आपको मत नहीं देने दूंगा। वह अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। प्रजातन्त्र में आस्था न रखने वाली और लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का दम भरने वाली सरकार से पूछना चाहती हूं कि यदि प्रजातन्त्र के साथ इस तरह से सरकारी अधिकारियों को खिलवाड़ करने की इजाजत दी जाती है तो यह कौनसा लोकतंत्र है और यह कौनसा प्रजातन्त्र है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि जो पैसा सरकार जनता से वसूल करती है जो कुछ उसकी नीतियां हैं उदारता की, प्रजातन्त्र में आस्था रखने की उन नीतियों को सफल करने के लिये कम से कम इन सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से खुले रूप से छूट नहीं दी जाय और अपनी नीतियों की क्रियान्विति में किसी प्रकार की ढिलाई न होने पाये। इसलिये मैं माननीय सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में जो कुछ कहना चाहती हूं उसको समाप्त कर देती हूं..

श्री **सभापति**: मैं रियायत ज्यादा दे चुका हूं।

श्रीमती सुमित्रा: अंत में मैं, माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय से सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस ४५ एकड़ को करके कुछ लोगों पर न्याय किया है और राजस्थान में कुछ किसानों को राहत दी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिले जिले के अन्दर जिस प्रकार की भेदभाव की नीति बरती गयी है उस क्षेत्र की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य हो जाता है कि आप इस पर पुनः विचार करें और देखें कि यह ४५ एकड़ और ५० रुपये में समन्वयता बैठती नहीं है। इसलिये इस पर पुनः विचार करें और इस पर सोचें कि जो एप्रोप्रियेशन बिल उन्होंने पेश किया है उसमें सब लोगों पर टैक्स का भार बराबर पड़े और सब को राहत बराबर की पहुंचाये।

श्री **सभापति**: श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभापति महोदय··

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : Point of information, Sir, मैं माननीय सदस्या से यह जानना चाहता हूं कि सदन इस बात के लिए इच्छुक हो चला है कि कृपया यह बता दें कि जिस उप-विकास अधिकारी के साथ मारपीट की और जिस पार्टी ने की उस पार्टी के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया गया या नहीं ?

श्रीमती मित्रा : माननीय सदस्य मुझे गलत समझ रहे हैं। विकास अधिकारी को नहीं मारा गया, बल्कि सरपंच की पार्टी द्वारा जो पंच उसके खिलाफ थे उनको पीटा गया है।

श्री अब्दुल जब्बार : फिर पुलिस ने कोई एक्शन लिया या नहीं।

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष एप्रोप्रियेशन बिल के तृतीय वाचन पर मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि आज इस तृतीय वाचन पर हमारी सरकार के दकियानूसी बजट को वोट डाउन कर दें। मैं यह समझता हूं कि यह जो बजट है इसमें राजस्थान की भलाई के लिए कोई भी चीज नहीं है। यह एक ऐसा बेकार बजट है जिसकी वजह से जिस दिन से यह सदन में पेश हुआ है बाजार में हर चीज की कीमतें बढती जा रही हैं। इसके पेश होने से सरकारी आमदनी में कोई खास फायदा नहीं हुआ है। मैं यह समझता हूं कि यह सरकारी दकियानूसी बजट बडे ही दकियानूस दिमाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मैं आपसे निवेदन करूं सभापति महोदय कि बजट में हमारे प्रान्त के कल्याण के लिये कोई बात नहीं है। इसके अन्दर जिन विकास की मदों में अधिक पैसा खर्च होना चाहिए था वहां पैसे को घटा दिया। सभापति महोदय, जो फालतू खर्चा इस राजस्थान में हो रहा था वह यथावत् चालू है और इसमें हमारे वित्त मंत्री और भी अग्रसर हुए हैं। इस बजट के बारे में क्या इस तरफ बैठने वाले सदस्य और क्या उस तरफ बैठने वाले सदस्य, मैं समझता हूं कि हमको सब को एकमत होना चाहिए। आप देखिये कि इस बजट की सबसे बडी निरर्थकता यह थी कि इस बजट को पेश करने के बाद में हमारे वित्त मंत्री जी को अपने काफी सुझाव तो वापिस ले लेने पडे हैं। काफी जो टैक्सेज उन्होंने राजस्थान की ग्रामीण जनता की नासमझी के कारण लगाये थे वह तो आज पहले ही विथड्रा हो गये हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि उन थोडे से टैक्सेज के जाने से जनता का लाभ होने वाला नहीं है। वह पूरी तरह बजट को विथड्रा करें और सदन से कहें कि यह मेरी निहायत गलती हुई है, मैं आइन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो हो सकता है हम उनको सभापति महोदय, कुछ समय दें ताकि वे दुबारा बजट बनाकर लायें। उनकी इतनी बुद्धि नहीं हो सकती, मैं मानता हूं कि वह ग्रामीणों की आह को समझ सकें क्योंकि वह सारी उम्र शहरों में पले हैं। वह तो अजमेर शहर में अजमेर के कर्मचारियों के लिये भूख-हडताल कर सकते हैं, लेकिन लगान बढोतरी का सवाल आये वहां उनको कोई चिन्ता नहीं। इसलिये ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि जो ग्रामीण दिमाग रखते हैं, जो ग्रामीणों के दुखदर्द की बातें करते हैं आपकी बैंच पर बैठने वाली एक सदस्या ने अभ

(श्री मानसिंह महार)

दुखदर्द सुनाया उनकी राय लीजिये। हमारे उप-मंत्री भी एक शहर से आये हैं जो कि ग्रामीणों के बारे में जो उनकी आहे हैं उनको बिल्कुल नहीं समझते इसलिये इस बजट के बारे में मैं यह कहता हूं कि यह बजट बिलकुल बेकार बजट है। इसके अन्दर, सभापति महोदय, सबसे बडी कमी यह है कि हम तो समझ रहे थे कि सरकार राजस्थान के अन्दर जयपुर और जोधपुर जिलों में लैण्ड रेवेन्यू बहुत अधिक है तो अब की से वहां के काश्तकारों को कुछ राहत देगी। मैं आपसे निवेदन करूं कि लैण्ड रेवेन्यू सेस या सरचार्ज कुछ भी हो आप हमेशा ठंडे दिमाग से सोचें। क्योंकि लैण्ड रेवेन्यू की मांग पर विचार नहीं हो रहा है इसलिये आपके सामने नया आइडिया रखना चाहता हूं हमारे वित्त मंत्री महोदय के सामने, मैं जानता हूं उनके दिमाग में यह बात नहीं है। आज आप राजस्थान के सेटलमेन्ट जिस तरह जागीरदारी पुनर्ग्रहण के समय आपने कहा था कि हम समेरी सेटलमेन्ट करेंगे, आप सारे सेटलमेन्ट को रिवाइज कीजिये। मैं निवेदन करूंगा कि उदयपुर में दो-तीन रुपया पर बीघा का रेन्ट हैं परन्तु जयपुर के अन्दर ९-१० रुपये रेन्ट है...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): हमारे यहां २० रुपये है।

श्री मानसिंह महार: आप समझते ही तो नहीं हैं। आप हमारी राय लीजिये। जयपुर और जोधपुर के अन्दर रेन्ट बहुत ऊंचा है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप रेवेन्यू एक्सपर्ट्स को बुलाइये और उनको बुलाकर राय लीजिये। यही नहीं, मैं कहता हूं कि नहरी इलाकेका रेन्ट देखिये क्या है? जयपुर के न्दर एक भी मेजर इरिगेशन वर्क नहीं है। एक भी माइनर इरिगेशन वर्क नहीं, हम लोग उसी पुराने तरीके से कुए में से लाव और चडस से पानी निकाल कर पानी देते हैं। कितना मंहगा पडता है वहां की चाही जमीन के लिये।

चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सरकार के लिये यह शर्म की बात है। पुराने जमाने के लिये कहते थे राजाशाही है, लगान बहुत ज्यादा है वहां पर। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? राजाशाही नहीं अब तो नौकरशाही आ गई है। राजाशाही थी जिसका तो नाम लेकर लोग खुश होते थे लेकिन आज तो नौकरशाही है। आर. ए. एस. और आई. ए. एस. वहां बैठे हुए हुक्म देते हैं, आप उनके सामने नौकर की तरह काम करते हैं यह बडे शर्म की बात है। हमारे गृह मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी जो अपने आपको बहुत आला दिमाग का आदमी मानते हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं राजस्थान में नया नूर बरसाया जाय तो मैं कहता हूं राजस्थान में सैटलमेन्ट को रिवाइज करिये, समेरी सैटलमेन्ट करिये, जहां सैटलमेन्ट नीचा हो वहां बढाइये आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पडेगी, आपको काफी पैसा मिलेगा। हम यह नहीं कहते कि बहुत ज्यादा लगाइये लेकिन जहां पर ज्यादा रेन्ट है वहां पर कम करिये और कम है उसको ऊंचा करिये। हमको हक है, सदन को हम कहें कि राजस्थान के हर कोने में बराबर रेन्ट होना चाहिये। यह कहां का न्याय है कि एक किसान अधिक लगान दे और दूसरा कम दे। आप सबको पूरी सुविधाएं दीजिये। आप उदयपुर में बहुत अधिक सुविधाएं देते हैं शहर को जिस प्रकार से ज्यादा महत्व दिया

(श्री मानसिंह महार)
हैं मैं गांवों की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि आगे बैठने वाले गर्दन हिलायेंगे। उदयपुर शहर को आपने चमन किया है। यदि कोई विरोध करता है तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में नोमिनेट करते हैं। हजार-हजार रुपया माहवार देते हैं। इस प्रकार की नीति का हम विरोध करते हैं और कट्टर विरोधी हैं। मैं सदन से कहूंगा कि उदयपुर के उधर से आने वाले माननीय सदस्यों से कहूंगा कि शहर का भला होगा लेकिन आपके गांवों का भला इनसे नहीं होगा····

एक माननीय सदस्य : यह तो आपसी बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : आपसे भी आपसी है। हमारे महाराणा तो उधर ही····

श्री मानसिंह महार : हम पक्षपाती आप जैसे नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : महाराणा की वजह से बहुत कुछ लिया है····

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पुराने रिश्ते को भूल रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : महाराणा से तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप भी कह दीजिये मुख्य मंत्रीजी से कि उदयपुर का पक्षपात न करें तो दिक्कत मिट जायगी। आप मत बनाइये जयपुर-जोधपुर की तरह रिश्तेदारियां, यहां तो पेट का सवाल है इसको रिश्तेदारी में मत डालिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुराने रिश्ते का जिक्र करता हूं।

श्री मानसिंह महार : नये रिश्ते मालपुरा में और कहां कहां हैं, चेयरमैन महोदय, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन मालपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आपने फरमाया था, उप मंत्रीजी ने कि आपने अपना हीरा खो दिया है, तो लोगों ने कहा कि हीरा कहां हमारे लिये तो कंकड था कम्बख्त····

श्री निरंजननाथ आचार्य : लोगों ने कहा कि हीरा था····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस कम्बख्त शब्द को प्रोसिडिंग्ज से निकाल दिया जाय····

श्री मानसिंह महार : हम भाषण के किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो ये डिस्टर्ब करते हैं····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह इतना खराब शब्द है कि इनको खुद को 'कम्बख्त' शब्द वापिस लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हम यह भी नहीं समझ पाये कि कंकड किसके लिये कहा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : These words should be withdrawn, Sir.

श्री मानसिंह महार : कंकड तो कम्बख्त होता ही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने अपने लिये रखा हो तो 'कम्बख्त' अपनी जेब में रखिये।

श्री मानसिंह महार : वह तो आपके सिर पर बैठा है, मैं काहे को रखूं।

(श्री मानसिंह महार)

सभापति महोदय, सदन के कुछ माननीय मित्रों को मेरी बात से दुखः हुआ है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। दुख न प्रतीत किया करें, दुख व्यक्त न करें। वाजिब बात की ओर ध्यान दें। लैण्ड रेवेन्यू में फर्क है उसको बराबर कीजिये। उप-मिनिस्टर साहब को क्या कहूं, उनके जवाब से ऐसा लगता है कि बहुत स्टडी करके आते हैं। इस मसले को जेब में छेद हो तो ध्यान रख कर काम करना चाहिये।....

श्री गिरधारीलाल व्यास : नया नया सिलाया है।

श्री मानसिंह महार : नया सिलाया होगा, उनके सिल गया होगा हमारे जयपुर के किसान तो नया सिला नहीं सकते..

श्री सभापति : You are wasting your valuable time.

श्री मानसिंह महार : Sorry, Sir I will continue my speech.

सदन के सम्मुख मैंने एक महत्व पूर्ण सुझाव वित्त मंत्रीजी को दिया और मैं समझता हूं कि वे हिम्मत करके सदन में रेवेन्यू रेट्स बराबर करने के लिये, राजस्थान की जनता को न्याय देने के लिये समेरी सैटलमेंट का जल्दी से जल्दी प्रावधान करेंगे। आप करके देखिये आपको पैसा ही पैसा मिलेगा।

अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं सभापति महोदय, वह यह है कि हमारे राजस्थान में यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बजट को देखते हैं तो महसूस नहीं कर पाते कि राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार टोन अप करने जा रही है। लैण्ड रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार, एस. डी. ओ. सभी आते हैं उनको किस तरह से जनता का सेवक बनाने जा रहे हैं। यह नहीं देखते तहसीलदार और एस. डी. ओ. को देखिये उनके वे ही नौकरशाही के तौर तरीके हैं। यदि कोई उनका विरोध करे तो उसको हवालात में आज भी धर दिया जाता है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि लोगों को हवालात में डाल कर तहसीलदारों ने डिफेन्स फंड के लिए पैसा वसूल किया है। यह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर कलंक का विषय है। मैं कहता हूं आप इस ओर भी ध्यान दीजिये। हमने कई बातें कही। सदन में उनको फिर रेफर नहीं करूंगा लेकिन मैं समझता हूं गलत कार्यवाहियों के लिये सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिये थी, वह नहीं की। मैं एक फिर लैण्ड रेवेन्यू का रेफरेन्स दूंगा क्योंकि लैण्ड रेवेन्यू की बहस हो रही है। उणियारा गांव के पास एक स्कूल भवन में मालपुरा के अधिकारी और तहसीलदार ने स्कूल बिल्डिंग में जबरदस्ती से पटवारघर बना लिया। जब अध्यापक ने जो कि आप का ही नौकर है कहा कि डिपार्टमेन्ट की इजाजत ले ली जाय.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir. मैं यह अर्ज करूंगा कि वह केस है that is sub-judice and it will have adverse effect on the case pending before the court, and, therefore, I will request that he will not refer the case.

श्री सभापति : यदि यह केस सब-जुडिस है तो मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे उस पर नहीं कहें।

श्री मानसिंह महार: इस तरह से सब-जुडिस नहीं है । जिन्होंने पटवारघर बनाने से रोका उनको पुलिस ने पकड़कर हवालात में बन्द कर दिया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: This case is pending before the SDM and as such it is sub-judice. Till the verdict is pronounced it will unnecessary reflect and hence this case should not be referred to.

श्री मानसिंह महार: चेयर मैन, महोदय न्याय की तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिये । १०७ में चालान हुआ । पटवार घर

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इस केस से ताल्लुक नहीं रखता। हाउस की परम्परा है और रूल्स आफ बिजनेस में भी है कि कोई केस सब जुडिस हो तो यहां उसको रेफर नहीं करना चाहिये।

महारावल लक्ष्मण सिंह (आसपुर): सभापति महोदय, अगर कोई केस

श्री निरंजननाथ आचार्य: Have you permitted him to speak?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: एक हद तक चर्चा नहीं होनी चाहिये लेकिन प्राइमा-फेसी रेफरेन्स में ingredients को डील करने का हर सदस्य को अधिकार होना चाहिये और यह सब-जुडिस के बेसिस को प्रिजुडिस नहीं करता है। प्राइमा फेसी ingredients को हाउस के समक्ष रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: मेरा अर्ज करना है, इस सदन की परम्परा और व्यवस्थाओं के आधार पर यह राह है कि जो मामला शहादत की बुनियाद पर कोर्ट के अन्दर हो और जिस पर कोर्ट का जजमेन्ट देना बाकी हो उस सम्बन्ध में यह रेफरेन्स नहीं दिया जाता। इसलिये नहीं दिया जाता कि शहादत रेफर होती है, सारी डिटेल्स रेफर होती है; That has been the precedent.

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: आप चाहते हैं कि जो मामला अदालत में है उसकी चर्चा नहीं हो।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: I am in possession of the floor of the House, Sir I hope, the leader of the Opposition will have consideration about it. इसलिये यह परम्परा बराबर निभाई जा रही है कि उसका रेफरेन्स यहां न दिया जाय, because it is likely to tamper with justice. This is the position and precedent.

श्री सभापति: I would advise the hon member to refrain from referring to it.

श्री मानसिंह महार: Right sir. I will abide by the decision of the hon. Chairman and move to another point

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: अगर किसी की पकड़-धकड़ होती है, उस सम्बन्ध में चर्चा न की जाय, महान अस्वस्थ परम्परा होगी, यह तो गंभीर है। I appeal to the Chair's sense of fairness

श्री सभापति: बात यह है, मैं ठीक तरह नहीं जानता कि किस हद तक यह केस

(श्री सभापति)
सब-जुडिस है और कितने-कितने वाकयात इस केस के सब-जुडिस नहीं है। विरोधी दल के माननीय नेता हैं, उन्होंने जो बात कही वह तथ्यपूर्ण है और माननीय उप मन्त्री न जो बात कही है वह भी बहुत ठीक बात है। अपने रूल्स कहते हैं कि जो बात सब जुडिस है, उसका यहां पर रेफरेन्स न दिया जाय। अगर आपको पूरा मालूम है, कि इतना हिस्सा सब-जुडिस नहीं है, तो उस हद तक आप रेफर कर सकते हैं। इसको आपकी गुड सेन्स पर मैं छोडता हूं कि कितनी बात कहनी है और कितनी नहीं कहनी है?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : With very great respect I would like to point out that the issue that is sub-judice, is the issue with respect to jurisdiction. As far as the sub-judice ingredient of the whole issue is concerned, I concede that we should not argue any issues that would prejudice the ultimate decision, but there are so many extraneous considerations with regard to a dispute. I feel, the hon. member is completely within his rights to make a reference to those discrepancies.

श्री निरंजननाथ आचार्य : If you allow me, Sir, I will give you, within a minute, the whole phase of the case. It is a dispute of land. The Revenue says "it is ours" Education says "it is ours" and thus the dispute arose over the land. Proceedings were started and chaallans made under 107 C.P.C. Teachers were bound up. The proceedings are before the court. This is the whole phase. It is very difficult to judge which element is the sub-judice and which element is not. Therefore, I say, it will be very difficult to analyse the position.

श्री सभापति : Therefore, I will leave to the good sense of the hon. Member to judge only upto what extent it is not sub-judice.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I respect it for the consideration of the chair.

श्री मानसिंह महार : माननीय सभापति . . .

श्री सभापति : I have left it to the good sense of the hon. member, and we can surely trust his good sense.

श्री मानसिंह महार : मैं जहां तक १०७ का सवाल है, उसको नहीं कहूंगा। मैं फिर माननीय उप मन्त्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह जमीन स्कूल की है। आप यह कह कर उस मुकद्मे को गलत रास्ते पर मत ले जाइये कि स्कूल और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में झगडा है . . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am myself fighting for the case. आप मुझे गलत मत समझिये।

श्री मानसिंह महार : आप उस केस के लिए फाइट करते हैं तो मैं उसको रेफर नहीं करूंगा। मैं कहूंगा I hope, you will help the Education Department. This is my earnest prayer, Sir, to the Hon. Dy. Minister. That is all.

(श्री मानसिंह महार)

अब मैं इस ओर न जाकर दुसरे मुद्दों पर आता हूं चेअरमैन महोदय, मैं सदन को एक बात कहना चाहता हूं इस सदन में गत दस दिनों से हमने देखा कि एक अविश्वास का वातावरण बन रहा है। लोग कहते हैं कि इस पक्ष में बैठने वाले ही शिकायत करते हैं लेकिन हमारी शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। कभी थोडी बहुत सुनवाई होती है तो राम रतन कोचर जैसे आदमी जेल में जाते हैं। मैं इस केस को रेफर नहीं करना चाहता, वहां पर भी मैं सरकार के केस को प्रिजुडिस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि फिर भी हम सुनते हैं, अब उन केसेज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विश्वास हमको जरूर है हमारे गृह मन्त्री में, वह इसको सख्ती से परस्यू करेंगे। हम कोई बात कह कर उनके हाथ कमजोर नहीं करना चाहते। हम उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं लेकिन मैं · · · ·

श्री सभापति: Five minutes more only.

श्री मानसिंह महार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में कई लैटर प्रस्तुत किये जाते हैं कि साहब, ऑफिसर ने इतना रुपया खा लिया, फलां आदमी ने यह कर लिया। मैं तो अपनी एक बहुत छोटी सी इस सदन के अन्दर बैठने वाले मित्रों से, सभापति महोदय, आपकी तरफ से प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहता हूं कि गत पन्द्रह वर्ष पहले से, जिस दिन से राजस्थान का मर्जर हुआ, उस दिन से लेकर आज तक के समय की एक बात की छानबीन की जाय-चाहे उधर बैठने वाले नेता हों, चाहे इधर बैठने वाले हों, स्वतन्त्र पार्टी के नेता हों, चाहे बीच में बैठने वाले नेता हों, सबकी आप इन्क्वायरी कीजिये, एक इन्क्वायरी कमेटी एस्टब्लिश कीजिये, मैं यह इसलिये कहता हूं कि यह कलंक हमारे ऊपर लगता है, कि जो एम. एल. ए. होते हैं, एम. पी. होते हैं, नेता हैं, वे नेता लोग बहुत-बहुत पैसा खाकर मकान बनाते हैं, जमीन हडपते हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग हम जैसे पॉपर थे, वे आज करोडपति हो गये हैं। इसकी जांच करायें तो राजस्थान की आधी बीमारी दूर हो जायगी, अगर कोई सरकार ईमानदारी से इस पर आ जाय। आज सी स्कीम में लाखों रुपये लगा कर बंगले बन गये हैं, डिग्गी हाउस की जमीन के ऊपर दो-तीन लाख लगा कर बंगले बने हैं और एक्स मिनिस्टर्स की कोलोनी खडी हो गई है, कहीं एक्स लीडर की कोलोनी खडी हो गई है। आज आप इसकी जांच करायें। हमारे वित्त मन्त्री, मुख्य मन्त्री या हमारे गृह मन्त्री, जिन्होंने अभी कहा कि एन्टीकरप्शन में देने का कोई मामला होगा, तो मैं उसके लिए बहुत अग्रसर हूं, बहुत कोशिश करूंगा। मैं एक ही चीज लेकर चलता हूं कि राजस्थान की सरकार हिन्दुस्तान की सरकार के लिए एक नमूना बन सकती है, अगर इस प्रकार की आप जांच करें। और मैं सबसे पहले अपने आपको ऑफर करता हूं, पहले मेरी जांच कराई जाय। मैं १९४७ से १९६३ तक पालिटिक्स में रहा हूं, अगर कोई नाजायज तरीके की प्रॉपर्टी बनाई है या काम किया है तो मुझे सजा दी जाय। उसके बाद हमारे गृह मन्त्री या और किन्हीं को ले लीजिये। पहले फांसी पर मुझे चढाइये। उसके बाद और लोगों को लीजिये और लीजिये उन दस बीस को।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री मानसिंह महार)

बस में खत्म कर रहा हूं। तो मेरा एक सुझाव है इस सदन को सभापति महोदय आपके जरिये मन्त्रियों को प्रार्थना है कि यह जो पालिटिक्स है उसको बदनाम किया जाता है। आज पालिटिक्स को बदनामी से बचायें, और अगर डेमोक्रेसी को राजस्थान में जिन्दा रखना है तो आपको इस प्रकार की परम्परा कायम करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कोई मंत्री इस प्रकार की हिम्मत करे और खड़ा होकर कहे मेरे से जांच शुरू करो इस प्रकार की। मैं फिर प्रार्थना करूंगा उप शिक्षा मंत्री कहते हैं वे अक्खड़ आदमी हैं मैं जानता हूं पर

श्री निरन्जननाथ आचार्य: क्यों लड़ाते हो? क्यों लड़ाते हो

श्री मानसिंह महार: नहीं होगी, वह तो हम जानते हैं। इसलिए मुझे इतना जोर लगाना पड़ा। ये शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री केदार नाथ।

श्री केदार नाथ: श्रीमान सभापति जी इससे पहले कि मैं अपने आपको लैंड रेवेन्यू की डिमान्ड तक सीमित करूं मैं अपना यह फर्ज समझता हूं कि आज भूमिका के तौर पर हमारी सरकार की क्या पॉलिसी रही है डवलपमेंट के बारे में सहकारिता के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रजातंत्र के बारे में।

एक वक्त था जब हमारी सरकार ने यह संतोष किया कि हमने सोशियलिस्ट पार्टी से समाजवाद का नारा छीन कर उनको एक ऐसी पोजिशन में लाकर खड़ा कर दिया और इस संबन्ध में यह मसला कहा जाता है "Congress has robbed the Socialist party of its socialist cloak and let it wonder in political wilderness."

दूसरी तरफ सोवियट रूस से प्लान का नकशा लेकर उन्होंने यह कहा कि हमने Regimentation of hearts of Camps and guillotine to the adversaries इन सारी बीमारियों को छोड़ कर प्लान की अच्छी अच्छी बातें इससे लेलों।

तीसरी तरफ यह कहा जाता है कि जनतन्त्र तो इंगलैंड की सबसे बड़ी देन है और पालियामेंट के सिस्टम को उनसे लेकर आगे बढ़े हैं।

चौथी बात वे कहते हैं कहते तो नहीं थे अमेरीका का सिस्टम है कि अमीर को ज्यादा अमीर बना दिया जाता है और गरीब को ज्यादा गरीब बना दिया जावे। आज संतोष किये बैठे हैं वे नोन एमर्जेन्सी के बाद हमें बहुत फायदा मिला माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में डेमोक्रेटिक सेटअप है, मेरे दोस्त यह याद रखेंगे कि अगर कहीं डेमोक्रेसी trample; humiliate and vulgarise हुई है तो राजस्थान में हुई है।

आज हम डवलपमेन्ट की तरफ देखते हैं। आज हम देखें कि हमारे पॉलिसी और इम्प्लीमेन्टेशन में गैप पड़ा है आज हम देखें पीस आफ डवलपमेन्ट को तो आप यह रिमार्क पास करेंगे कि वे यहां के सारे प्लॉन को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे रीसोर्सेज को किस तरीके से राजस्थान स्टेट को लज्जा रहा है। हम नहीं चाहते कि अपोजिशन को इजाजत हो। लेकिन कांग्रेस का इज़ाव है। किसी को किसी पी. एस. सी. में नोकरी दिलाने की कहते

(श्री केदारनाथ)

हैं या किसी आदमी से पैसे लेकर कोई काम कराते हैं। इस बात को चीफ मिनिस्टर साबित नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस डेमोक्रेसी में अगर इनके लोगों का नाम नोट किया जाता है जो टैक्स के खिलाफ बोलें उनको रखना है कि कौन-कौन हमारी नीति के खिलाफ बोलें कौन सरकार की नीति के खिलाफ बोलते हैं। डेमोक्रेटिक सरकार में तो कहीं ऐसा होता है न दूसरों के नाम नोट किये जाते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में लैण्ड रेवेन्यू पर आता हूं। इसके बाद जब हम चीफ मिनिस्टर के जवाब सुनते हैं उनको सख्त एक्सपीरियन्स है, उनका ग्राप्स है, वे इन्टेलिजेन्ट हैं जहां तक एडजस्टमेन्ट का सवाल है, फोर्सेज में बैलेन्स पैदा करने का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन को जहां तक नियर अप करने का सवाल है, वे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनका नारा था कि हम सोशियल जस्टिस पैदा करें, आर्थिक व्यवस्था ऐसी ला दें जिससे गरीबों को राहत मिले। पब्लिक के नुमाइन्दों के बजाय आपके यहां सरकारी अधिकारी की कीमत ज्यादा है। आप बाहर जावें तो आपको मालूम होगा कि पटवारी की और पुलिस कॉन्स्टेबल की कीमत ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस. पी. और कलेक्टर की ज्यादा कीमत है जिला प्रमुख किसी एम. एल. ए. की नहीं। इसके अलावा जहां तक हो सकता है अपने आदमियों को लिया जावे और जहां विरोधी दल के एम. एल. ए. हों उसका कोई महत्व नहीं। सब पार्टीबाजी पर चलते हैं।

(३.४३ म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं मिसाल देता हूं कि कौन एसेम्बली में बैठ कर हमारे खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। इस तरह की बातें पार्टी में चलती हैं। यदि मैं यह समझूं या कांग्रेस के लोग समझते हैं कि उनकी भी इज्जत है तो मैं यह कहूंगा कि उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। किसी न किसी तरीके से डिवाइड एण्ड रूल्स से इस एमर्जेन्सी का मिसयूज करते हुए ग्रुप के बीच में ग्रुप और ग्रुप के बीच में ग्रुप है यह हम नहीं चाहते। शांतिमय तरीकों को अगर एक दूसरे को कुचलने में जितनी ताकत और एडमिनिस्ट्रेशन और विकास का काम की तो इसमें राजस्थान स्टेट नं० १ है।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सबमिशन है कि आज के समय महात्मा गांधी के देश के सामने एक सवाल है कि आपने प्लानिंग इस बात को किया आज उस बात पर खुश होते हैं और महात्मा गांधी के नाम पर जब जनसंघ पॉवर में आता है, स्वतन्त्र पार्टी को कहते हैं कि यह अमेरिका के चोटी कट हैं। ऐसे ही सोशियलिस्ट की बात कहें और ऐसे ही कम्युनिस्टों की बात कहें। उनकी मन्शा है कि किसी न किसी तरह एमर्जेन्सी का मिसयूज करते हुए हम रूल करते रहें। पार्टी और पब्लिक का इन्ट्रेस्ट और सारी स्टेट का इंट्रेस्ट उनके दिमाग में नहीं है। अगर उनके दिमाग में कोई इन्ट्रेस्ट है तो उन सिलेक्टेड डिगनिटिज का है, पर्सन्स का है, सर्टेन ऑफिशियल्स का है। जहां ऐसा जनतन्त्र हो और ऐसे लोगों के हाथ में हो जो ऐसा कहें कि आज दो दुनिया में आइडियोलॉजी है। एक कैपिटलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट आइडियो-

(श्री केदारनाथ)

लोजी। हम सारी दुनिया में ऐसी मिसाल पैदा करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का नया वर्ग पैदा किया मैं समझता हूं कि जो भी देश या जो मुल्क या पार्टी ने प्रतिज्ञा की है तो नया रास्ता निकाले new grounds should be steered. So also new fields and pastures.

तो यह होता है कि जिसके हाथ में रूल है। पुराने तरीकों को बदलने की पॉवर है वे कितना फरमान करते हैं। उनके काम से, उनके व्यवहार से मिल कर कौन सी नई परम्परा पैदा होती है। नये ग्राउन्ड्स स्टोर करें, नए फील्ड्स और पास्चर्स देवें। तो मेरा यह डेमोक्रेसी पर चार्ज है कि आज के व्यवहार से खुश कतई नहीं है। आज आप किसानों के पास जावें जो खलियानों में अनाज पैदा करते हैं। उनसे पूछे वे आप खुश नहीं हैं। आप बनियों के पास जावें, वे आप से खुश नहीं है। आप छोटे कर्मचारियों और नौकरों के पास जावें या जो मिलों में काम करते हैं उनके पास जावें, उनको आप पर कतई विश्वास नहीं। उनको सहकारिता में विश्वास नहीं, उसको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं। कांग्रेस को पूछिये कि एक के खिलाफ दूसरा ग्रुप नाराज हो जाता है। तो लिफ्ट मिलने के बाद भी उसके साथ सेबोटेज हो सकता है। आज अभी भी एप्रोप्रियेशन बिल पर देखें राजस्थान अपनी पॉलिसी रीओरिएन्ट करे। इतने डिपार्टमेन्ट खोल दिये इतनी नई नई चीज और पैदा कर दी। मेरा यही संशोधन था इस प्रकार We should reorient the whole policy.

विकास करना चाहते हैं तो वह पैदा नहीं हो रहा है। ये शब्द कह कर मैं अब अपने इलाके की बात कहूंगा।

मान्यवर, मेरा एक सजेशन था कि राजस्थान की रूरल इकानोमी है उसको डेवेलप करना चाहिये। इसके लिये राजस्थान के दो जोन होने चाहिये, एक वह जोन जो वर्षा पर फसल पैदा करता है, वह कुओं से फसल पैदा करता है, दूसरा जोन वह जो पेरिनल इरिगेशन से फसल पैदा करता है। दोनों की अलग अलग प्राब्लम्स हैं। सॉइल की प्राब्लम अलग है, क्राप्स की प्राब्लम अलग है। क्लाइमेट अलग अलग है वहां के लोगों के कल्चरल वेज आफ लाइफ भी अलग अलग हैं तो क्यों नहीं इनके लेंड रेवेन्यू लाज भी उसी तरह से उन अलग अलग आधारों पर बनाते? इसी तरह विज्युलाइज कीजिये। राजस्थान की रूरल इकानामी का पॉइन्ट एक स्टेनशन पर पहुंच चुका है। इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो हालत और खराब होगी, और अगर ध्यान दे कर सारे लेन्ड रेवेन्यू लॉज को बदलें तो राजस्थान को फायदा होने वाला है।

हनुमानगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मिसाल पेश की, एक प्रश्न पूछा कि भादरा इलाके में कितनी भूमि लोगों को काश्त के लिये नहीं दी तो जवाब मिला कि ३० हजार एकड भूमि खाली रही, किसी भूमिहीन को नहीं दी गई, सरकार ने उसको काश्त नहीं करवाया। किस तरह वेस्ट जाता है? किस तरह अनप्लान्ड वे में काम किया जाता है? अगर यह ३० हजार एकड भूमि टीनेन्ट्स को दे दी जाती तो ४ रुपया बीघा के हिंसाब से सरकार के बीघोडी मिलती कितनी आमदनी होती? एक बीघा

(श्री केदारनाथ)
में १० मन गेहूं पैदा हो तो लोग खुशहाल होते, लोगों की पर्चेजिंग पावर बढती और सरकार को कितना फायदा होता?

यह इसलिये मिसाल देता हूं कि अगर यह कहा जाता है कि हम लैंड लेस को भूमि दे देते हैं आरजी तौर पर एक साल के लिये तो उन जमीनों पर उन टीनेन्ट्स का कब्जा हो जाता है। इस के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का तीस तीस साल का कब्जा है राजस्थान केनाल और भाखरा के एरिया में उनको आपने डिस्पजेस कर दिया है तो क्या एक साल के आरजी कब्जे को डिस्पजेस नही कर सकते? पर इस इलाके की प्राब्लम को ठीक तरह से नहीं सोचा गया है। यह कहा जाता है कि अगर इस भूमि का एलाटमेंट किया तो पंजाब के लोग आकर बस जायेंगे, मैं नहीं कहता कौन पंजाबी है पर ऐसी बातें की जाती हैं कि अगर एलाटमेंट आफ लैंड किया तो पंजाब से आकर लोग बस जायेंगे इस आशंका से एलाटमेंट आफ लैंड्स के लिये ऐसे सख्त कानून बनाते हैं तो मैं समझता हूं आप इस इलाके के साथ न्याय नहीं करते। आप ऐसे कानून बनायें जिनसे कि वहां उन लोगों को आबाद करें जिन्होंने राजस्थान केनाल और भाखरा एरिया को आबाद किया है। रेट्स वहां हैवी हैं मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के हैवी रेट्स रख कर आप इन्साफ करेंगे उस इलाके के साथ।

एक मिसाल हमारे सामने है, जमींदारी और जागीरदारी एबोलिशन एक्ट की फिजां में जो कानून बनाया, तो सोचिये, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस कानून से अमीरों से भूमि लेकर गरीबों में बांटे तो हम उस पॉलिसी के हामी हैं, पर गरीबों से छीने जो सीलिंग की लिमिट से नीचे आते हैं। जो पांच पांच दस दस बीघा के मालिक हैं, उनकी भूमि छीने वे लोग किसी अफसर से मिलने जायं तो दो हजार रुपया देना पडता है अदालतों के दरवाजे खटखटायें तो उनको राहत नहीं मिलती। एलॉटमेंट के बारे में जो राहत दी है वह सफिसियेन्ट नहीं है। जो ५४-५५ के एलॉटी हैं उनको ही हजारों की गिनती में डिस्पजेस कर रहे हैं।

डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने ऐलान किया उससे हमारे इलाके को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जब सारी चीजें सामने आयेंगी, आंकडे रखेंगे तो बताऊंगा कि किस तरह से उन लोगों को राहत नहीं मिली।

जहां बोर्डर की बात आती है ७५ पर्सेंट वे लोग बसे हुए हैं जो पाकिस्तान से आये हैं, हरिजन हैं, उनकी बुनियादी दिक्कत को दूर नहीं करते हैं जब तक उनकी बुनियादी समस्याओं को हल नहीं करते, वाटर प्राब्लम को सॉल्व नहीं करते, तब तक मैं नहीं समझता कि बोर्डर की समस्या का हल हो सकता है वहां के लोगों का मोरल ऊंचा हो सकता है। वहां डाकुओं की समस्या है, स्मगलिंग की समस्या है फिर जो लोग वहां आबाद हैं उनकी जो जायज मांगें हैं उनको पूरी नहीं करते। इन समस्याओं को आप जब तक हल नहीं करते तब तक बोर्डर की समस्या का हल नहीं हो सकता। वहां लोग रात-दिन पहरा देते हैं। रात को कोई पानी लेने जाता है तो उनको डर है इसलिये ३ आदमी साथ जाते हैं क्योंकि उनको डाकुओं का,

Page No 88

(श्री केदारनाथ) स्मगलर्स का और पाकिस्तानियों का भय हर समय बना रहता है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि बोर्डर के पांच मील के अन्दर अन्दर बसे हुए हैं उनकी जमीनों की कीमत को कम कीजिए और उनसे तकावी वसूल करने जा रहे हैं, सख्ती से किश्तें वसूल कीजिये। मैं समझता हूं कि जब मील्ड लैंड से सरचार्ज लगाने का विचार करें तो कोआपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत मिलिटरी के लोगों को बसावें तभी राजस्थान का भला होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एप्रोपियेशन बिल के ऊपर बहस हो रही है, सम्माननीय सदस्यों ने विचार रखे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि साढ़े चार बजे सरकारी पक्ष जवाब देगा, इसलिये दस-दस मिनिट से ज्यादा न बोलें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): टाइम बढ़ाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: There are quite a number of people to reply from Government side.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सम्माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि आज फिर देश के अन्दर ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे दुश्मन हमारी तरफ देख रहा है, तैयारियों से और हमारी बहस के समय आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी रक्षा का सवाल और भी हमारे दिमाग के अन्दर है। ऐसे वातावरण में हम आज की बहस के ऊपर फिर थोड़ा ध्यान देना होगा। आज आप देखें कि हम कुछ सुझाव सरकार के सामने रखें। जहां हम इसके महत्व को समझना चाहते हैं वहां सरकार से भी अपील करेंगे कि यह एक बड़ा नाजुक मौका है जब कि सबके दिमाग देश की रक्षा के लिये लगे हुए हैं हर आदमी सम्हलना चाहता है, क्या सरकारी लोग, क्या बूढ़े क्या बच्चे हर एक बात के सोचने में लगा हुआ है। यह सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। आज सभी सम्मानीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया है जिनके बारे में दो राय नहीं। तो सामाजिक ढंग से डिमोक्रेसी निश्चित रूप से ऐसी राज्य व्यवस्था है कि जिसको दुनिया ने माना है दुनिया में इससे बड़ी अच्छी व्यवस्था जनता के हक में और कोई हो नहीं सकती। इस व्यवस्था में विश्वास पैदा करने के लिये हम अपने अहलकारों पर कुछ लगाम लगायें जिससे कि लोगों में इसके प्रति अविश्वास पैदा न होने पाये।

मैं भी आपको कुछ सुझाव देता हूं। पहला सुझाव यह देना चाहता हूं कि राजस्थान के हर व्यक्ति ने, आम राजस्थान ने अपनी राय देकर उसकी दिक्कत, आराम, सुविधाओं का सारा बोझ आपके ऊपर डाला है। वह भार आपने अपने ऊपर लिया है और आम जनता ने डाला है। लाखों करोड़ों रु० एक तरह से इलेक्शन में खर्च होते हैं। दो या तीन दिन राजस्थान के हर किसान ने आपके इलेक्शन के लिये दिये हैं, उसका करोड़ों रुपया इस सरकार के बनाने में लगा है, वह चला है, उसने वोट दिया है। सबसे बड़ा कन्ट्रीब्यूशन वोटर का है जिसने अपना वक्त लगा कर अपने घर का खाना खाकर अपने वोट से सरकार को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बनाया है तो आप उस इन्सान की ओर देखें। मैं देखता हूं कई मर्तबा बात होती है तो उस बात में बडी क्लास एक तरफ जा रही है, अमीर एक तरफ जा रहे हैं आपके विकास की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है।

(४.०० म. प.)

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष पदासीन)

लेकिन उसका इफैक्ट, फायदा, कौन उठाने वाले हैं। इसकी एक कमेटी हो, समाज शास्त्री हो, उसका अन्दाजा लगाने के लिये सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है। आपके पास पशुओं की जन संख्या क्या है यह निकल सकता है। आपके यहां बहुत से चार्टस हैं और हमें दिये जा सकते हैं। मैं मांग पहले से करता रहा हूं कि आपने राजस्थान में विकास कार्य किये हैं, और उनका फायदा हुआ है, कौनसा तबका है जिसको फायदा हुआ है? जनरेलाइज करके पर कैपिटा फिगर्स देते हैं। यह नहीं देखते हैं कि सही मायने में किसको फायदा पहुंचा है? सही चीज पर हम पहुंचना चाहते हैं। जनता का अधिकार है। रुपया है किसी के पास, रुपये पर फैमिली प्लानिंग नहीं चलता, रुपया रुपये को खींचता है। बेलगाम होकर रुपया वाला रुपये को खींच रहा है। क्यों? इसको देखना है। चीज को कन्ट्रोल करते हैं, उनकी ओर निगाह डालते हैं। सरकारी अधिकारी, आप वहां बैठे हैं, झिझक जाते हैं उनको रोकने में। सतीशचन्द्रजी ने एक बात रखी। बडी भारी लगी मन पर। सुविधा दीजिये। सुविधा के नाम पर कानून बना कर लाते हैं तो आप दबे हुए रहते हैं, चैक नहीं करते हैं। मैडिकल रिएम्बर्समैन्ट के मामले हैं, निश्चित रूप से कहता हूं कि बाजार के अन्दर मैडिकल की दुकानों पर ऐसी चर्चायें सुनने को मिलती हैं, डॉक्टरों के दस्तखत करा देते हैं, बडे बडे आफिसर्स नाराज होते हैं डाक्टरों से, शर्म से सिर नीचा हो जाता है। सुविधा दी। बिल बनाते हैं मंत्रियों के बाल-बच्चे हैं, उनके लिए कानून बनाया, उनका नाम आता है आप आंख मींच कर दस्तखत करते हैं। मिनिस्टरों की जिन्दगी को शान्ति से रखना उचित समझते हैं, उससे भी बढकर रिएम्बर्समैन्ट और मैडिकल के बिल उनके आते हैं बैठ कर दस्तखत कर दिये। वित्त मंत्री जी से कहता हूं कि आपकी भी सील लगी हुई है उसके अन्दर, मुस्कराये नहीं – आपके फाइनैन्स डिपार्टमेन्ट की। मैं कहता हूं कि इस पैसे के हिसाब का किस प्रकार उपयोग होता है। मज़बूत करना चाहिये। ऑफिसरों को क्या सूझती है। फाइलों को इधर-उधर कर देते हैं, विकास के काम को रोक देते हैं, कॉरडिनेशन नहीं रखते हैं, और उन पर अंकुश रखने की बात होती है तो आप सील लगाते हैं खाओ, खाओ....

एक माननीय सदस्य : उडाओ, उडाओ

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : और भी बातों में आपको सुविधा दीजिये। उनका मानस इस तरह का हो गया है। उनको भी अपील करता हूं। देश के अन्दर हंसिया-हथौडा असर पैदा करता है और सदन के अन्दर साफ नजर आता है कि कार्यवाहियों के प्रति क्या श्रद्धा है, देख कर हैरानी हो जाती है। हम चुप बैठते हैं उस चीज के अन्दर। चीन आया है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं सारा देश जागृत है, आप से कहूंगा कि आप भी जागृत हो जाइये। सरकार को अधिक जागरुक होना है। इस प्रकार के काम करने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वालों पर जरूर अंकुश लगाओ। हर आदमी के अन्दर राम बोल रहा है। देश उठ रहा है। इस वक्त भी टाइट नहीं कर सके तो यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इतिहास में यह हमेशा रहेगा कि इस मौके की सरकार फायदा नहीं उठा सकी और खत्म हो गया।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

एक दो बातें और रखना चाहूंगा। और वक्त मिलेगा तो रखूंगा। सुबह के वक्त एक सवाल किया गया था। एक आदमी ने नौकरी की। एक्स्चेंकर है म्युनिसिपेलिटी, उनके हुक्म से रखा हुआ है। चुना हुआ आदमी उसको सस्पेण्ड कर दिया। अभी आपके सामने एक सरकारी नौकर है, बहुत पुराना नौकर है इज्जत के साथ कह सकता हूं। उसके बारे में उसका खत पढा गया, उस पर कानूनी बात उठायी जाती है। जहां एक तरफ चुने हुए आदमी के साथ आपका यह व्यवहार है और दूसरी तरफ एक नौकर के साथ क्या व्यवहार है? इतना गंदा लैटर, पैसे खाने का लैटर, मैं आऊंगा, मेरे आदमी को इतना दे देना। मैं कहता हूं कि वह सस्पेण्ड होना चाहिये। यह लैटर है। इस व्यक्ति को जब तक वह रिटायर हो उस तक की तनख्वाह भी दे दी जाय कानूनी अडचन आती हो, लेकिन गलत आदमी को न्याय पर मत बैठने दीजिये। रिटायरमेन्ट हो, पैन्शन हो और सब पैसा दे दीजिये। इसको आगे करप्शन के लिये मत बैठने दीजिये। एक तरफ चुने हुए लोगों के साथ यह व्यवहार होता है, म्युनिसिपिलिटीज और पंचायतें गुलाम बन गयीं। वे भी वैसे ही हैं जैसे कि आप चुने हुए हैं। उनके लिये व्यवहार करने के लिये मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ध्यान दें। वे चुने हुए हैं, उन्हीं के वोटों पर हम आज यहां बैठे हुए हैं। म्युनिसिपल कमेटी का कानून समझ में आता है। आपने वास्तविकता क्या है उसके बारे में सोचा होगा, लेकिन एक चुने हुए आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार मत करो। समझने की कोशिश करो। जब तक उसका मोटिव न हो आपको पूरी तरह से उसको समझाना है। सामान्य सदस्य ने लैटर पेश किया। लैटर पर भी विश्वास नहीं, कोई आदमी इतना बडा भारी करप्शन करे, मेरी समझ में बात नहीं आयी, यह मैं कह सकता हूं लेकिन जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन्क्वायरी हो गयी वे भी डिनाई नहीं कर सके। लैटर नहीं रखा। आपने कानूनी बात छेडी, ओरिजिनल लाओ। आप ओरिजिनल से बचना चाहते थे। आपकी आत्मा बोलती है करप्शन किया है, खाता था। वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि उनको घर भेज दीजिये। चाहे रिटायर हो तब तक तनख्वाह दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ दस मिनट और हैं। ४। बजे बहस इस पर समाप्त हो जावेगी। सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा।

(विराम)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा:–(कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक हमारे सामने है और इस विधेयक के द्वारा १२० करोड रुपया विभिन्न मदों में है इसको राज्य में खर्च करने की स्वीकृति इस विधान सभा द्वारा दी जा रही है। १२० करोड के लिये अलग अलग मदें [illegible] गयी हैं। रेवेन्यू एक्सपैन्डिचर और कै[illegible]टल एक्सपेन्डिचर दिये गये हैं। पब्लिक डेट और लोन्स और एडवान्सेज के साथ जो खर्चा राज्य करेगा उसके

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
विस्तृत आंकड़े दिये गये हैं। यह राज्य ५२ के बाद निरंतर खर्च के मामले में प्रगति करता आया है, और इसके बजट में ५२ के बाद में वृद्धि होती रही है। अध्यक्ष महोदय १२० करोड का जो खर्चा हम कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, राज्य ने प्रगति की है, लेकिन मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि १२० करोड का खर्च हम कर रहे हैं उसका पूरा रिटर्न इस स्टेट को, इस राज्य को और इस सदन को प्राप्त नहीं हो रहा है। छोटी सी मिसाल के तौर पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ४२१ लाख रुपया विभिन्न इंडस्ट्रीज में अंशदान के रूप में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स के रूप में इन्वेस्ट कर रखा है और ४२१ लाख रुपयों से हमारे राज्य को ८ लाख पिछले साल प्राप्त हुए और ६ लाख इस वर्ष करना चाहते हैं। अगर आप ४.२१ लाख का ६ लाख का रेश्यो देखें तो वह रेश्यो १॥ पर्सेन्ट आयेगा। भारत सरकार जहां ४॥ परसैन्ट इन्टरेस्ट पर देती है उस समय पर १॥। पर्सेन्ट मुनाफा कमाया यह बहुत ही शर्म की बात है। यह प्रशासन की एक विशेष स्थिति की ओर इंकित करता है।

आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने यह है कि जितना खर्चा करते हैं उसका पूरा रिटर्न मिलना चाहिये। आज दिन तक राजस्थान ने इस बात में तरक्की नहीं की। सारे सदन के सदस्यों को इस बात की रिपोर्ट नहीं दी कि ६ लाख रुपया ही क्यों मिलता है? उद्योगों के संबंध में क्या प्रयत्न करते हैं ६ लाख की बजाय कम से कम २० लाख रुपया इन मदों से प्राप्त होना चाहिये। इस संबंध में हमें विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती। जहां आपने ६३ लाख का इन्वैस्टमेन्ट किया वहां हर साल ६ लाख रुपया कमाया आप केवल एक पर्सेन्ट मुनाफा कमायेंगे। पिछले वर्ष ८ लाख रुपया कमाया। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि आपका इन्वैस्टमेन्ट पूरा नहीं हो रहा है इसका मूल कारण यह है कि प्रशासन में बहुत ढिलाई है, बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है अध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है भ्रष्टाचार हैड से शुरू नहीं होता तो वह भ्रष्टाचार टेल तक नहीं पहुंच सकता। हमारे स्टेट के हैड मिनिस्टर करप्ट नहीं हों तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मशीनरी करप्ट नहीं हो सकती। एक तरफ आप दावा करते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको यह रूल आफ ला एस्टेब्लिश नहीं बल्कि मनमानी एस्टेब्लिश की है आप डिस्क्रिशन के नाम पर चाहे किसी प्रकार के नियम बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी डवलपमैन्ट में बी. डी. ओ. की पोस्ट होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बी. डी. ओज के लिये कोई सर्विस रूल्स बनाये हैं? नहीं बनाये। जब चाहा जिस अधिकारी को बी. डी. ओ. बना दिया। इस संबंध में दो मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं; एक तो चीफ मिनिस्टर के पी. ए. की और दूसरी चीफ सैक्रेटरी के पी. ए. की। बी. डी. ओ. में मुकर्रर कर दिये गये। उसके बाद में इनको आर. ए. एस. में लेने के लिये एक आर. ए. एस. रूल्स में विशेष रूप परिवर्तन किया गया। जिस दिन चीफ मिनिस्टर के पी

(श्री मानिकचंद सुराणा)

ए. को बी. डी. ग्रो. के पद पर काम करते हुए एक साल हो जाता है उस आधार पर यह महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है कि ग्रमुक तारीख को जिसको एक साल बी. डी. ग्रो. के पद पर कार्य करते हो गये वह ग्रार. ए. एस. के लिये अधिकारी हो सकता है। उसको ग्रार. ए. एस. में प्रमोशन दिया जा सकता है। नियमों के अन्दर इस प्रकार से परिवर्तन करना, किसी अपने अधिकारी को फायदा दिलाना यह एक ऐसी मिसाल है। ऐसी सैंकडों मिसालें दी जा सकती हैं। यहां नियम किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होते अपने डिस्क्रिशन के अधिकार पर किसी विशेष अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाये जाते हैं।

ट्रेवलिंग अलाउन्स के बारे में भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। चीफ सेक्रेटरी के लिये भी वही ट्रेवलिंग अलाउन्सेज हैं जो मिनिस्टर के लिये होते हैं। लेकिन होते तो सरकारी दौरे और उसमें शादी को अटेण्ड किया जाता है। यह मिसाल है चीफ सेक्रेटरी महोदय की वे होम सैक्रेटरी की लडकी की शादी में सम्मिलित होते हैं एक डूंगरपुर के एक गांव में और उस दिन वे ड्यूटी पर होते हैं और ट्रेवलिंग अलाउन्स लेते हैं। वहां शादी में उपस्थित होते हैं। वहां प्रेजेण्ट देते हैं। यह कितने शर्म की बात है। चीफ सेक्रेटरी जैसे अधिकारी स्टेट के हैड यदि इस प्रकार का आचरण करते हैं तो उनके नीचे के अधिकारियों पर क्या प्रभाव पडता है। ये मैंने दो उदाहरण दिये हैं जो छोटे मोटे अधिकारियों के नहीं चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के हैं। मेरी मान्यता है कि हैड करप्ट नहीं होगा तो नीचे भी करप्शन नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो शासन चलाते हैं उनकी खास जिम्मेदारी है यदि वे करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो पहले अपने में व्याप्त करप्शन को समाप्त करें।

इसके साथ-साथ जिस कैबिनेट मीमो का भैरोंसिहजी ने जिक्र किया है उसके संबंध में भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं श्री भनोत को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से कैबिनेट के सीक्रेट मीमो को प्रकाशित करवा कर विरोधी दल के सदस्यों को इस प्रकार की बातें कहने का अवसर दिया। नहीं तो यह सीक्रेट मीमो हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते थे। इस मीमो से हमें यह पता चल गया कि सरकार जुडिशियरी को भी किस प्रकार से करप्ट करना चाहती है। सेपरेशन के बावजूद भी वे किस प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल उस पर रखना चाहते हैं। कैबिनट में जिस प्रकार का डिस्कशन हुआ उससे ऐसा पता चलता है कि मुन्सिफ- मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति के लिये जो कमीशन हो उसका हैड चीफ जस्टिस को बनाया जाय या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन चाहती है कि इनका सिलेक्शन का अधिकार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को होना चाहिये। आखिर जब ये प्रापोजल हाई कोर्ट को कनवे किये गये तो उस पर रजिस्ट्रार ने लिख दिया कि जिस प्रकार पी. एस. सी. करना चाहे उसे करने दिया जाय। लॉ डिपार्टमेन्ट ने लेकर नोट पुट अप कर दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेमोरेण्डम के अनुसार कार्यवाही कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट अपनी प्रतिष्ठा के कारण वह आगे बढना नहीं चाहता, वह प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता वह नहीं चाहता कि सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैनशिप के लिये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आगे लडा जाय। अगर हम जुडीशियरी का सेपरेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार अधिकारी नियुक्ति का पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जा सकता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास क्यों नहीं होने चाहिये। हमारी सरकार ने जिस प्रकार का आश्वासन पिछले वर्ष दिया कि हम जुडिशियरी का सेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया गया। बम्बई में सेपरेशन आफ जुडिशियरी के संबंध में एक्ट बना हुआ है वह तीस चालीस पेजेज में है। मैं अपने विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस संबंध में एक्ट क्यों नहीं लाना चाहते। केवल नोटिफिकेशन के जरिये जुडिशियरी की सेपरेशन की बात करते हैं। अगर आपको फेथ है; जुडिशियरी में फेथ है, तो जो रिकमण्डेशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी है उसको मान्यता देनी चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन पर सरकार नम्रता के साथ असहमति प्रगट करे।

अब मैं केवल एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पुलिस की मांग पर जिस दिन बहस हुई उस बहस के बाद में एक अभियान इस राज्य में चला। पुलिस की मांग की बहस के सम्बन्ध में 'ए' श्रेणी की जेलों के लिये और बी. श्रेणी की जेलों के लिए ग्रान्ट रखी गई। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह ग्रान्ट है वह बहुत कम है। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस एप्रोप्रियेशन बिल के समय इस ग्रांट में और वृद्धि करवा लें। क्योंकि हमारे डी. आई. जी. ने इस बात को कहा है कि बीकानेर जिले के उत्तरी हिस्से में लोग तस्कर व्यापार करते हैं उन सब को पकडा जाय तो सारी जेलें भरी जा सकती हैं। इस लिये गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जब जेलों के भरने की स्थिति हो वैसी हालत में सदन से एक्सेस ग्रांट ले लेनी चाहिये। सदन इसके लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान करेगा चाहे जेलें नई बनें, वार लेवल पर बनें लेकिन तस्कर व्यापारियों को फौरन गिरफ्तार किया जाय। डी.आई.जी. के शब्दों में अभी एक पर्सेन्ट भी काम नहीं हुआ है। इस एक पर्सेन्ट काम के लिये हमने सरकार को और डी. आई. जी. को बहुत बहुत बधाइयां दी हैं, लेकिन जो ९९ पर्सेन्ट काम बाकी रह गया उसके लिये हमें इन्तजाम करना है। मैं इस बारे में एक प्रश्न गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आपने रामरतन कोचर को गिरफ्तार किया वे कांग्रेस के एक बडे नेता थे उसके लिये हमने सरकार को बधाई दी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन दस वर्षों में जो उनके निकटतम सम्पर्क में आये हैं, चाहे उनको गिरफ्तार न भी किया जाय किन्तु उनको अकाउन्ट रेन्डर करना पडेगा दस वर्षों तक इस व्यक्ति के निकटतम साथी के रूप में रहे उनको भी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : यह आप पुलिस की मांग पर कह चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस बारे में ज्यादा जागरुक हो और एक तारीख मुकर्रर कर दे, हम इस तारीख तक तस्करी करने वालों को और डाकुओं को पकडा देंगे।

श्री अध्यक्ष : कितना समय लगेगा सरकारी पक्ष की तरफ से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व): कम से कम एक घंटा तो लगेगा ही।

श्री अध्यक्ष: ५। बजे तक।

(एक अन्य मंत्री महोदय से)

आप कितना समय लेंगे।

आधा घंटा? आधा घंटा आप और आधा घंटा आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: I will try to be very brief, Sir.

श्री अध्यक्ष: ५।।; This is the limit.

आप इस तरह की व्यवस्था कर लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर होने वाली बहस के दौरान में अधिकांश माननीय सदस्यों ने राजस्व से संबंधित विषयों पर चर्चा की। ऐसी चर्चा का होना स्वभाविक ही था क्योंकि न तो डिमान्ड के वक्त यह सबजेक्ट आया और साथ ही साथ न पहले ही आया। फिर इसका संबंध राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता से पडता है, बल्कि ८० ही नहीं ९५ प्रतिशत जनता से पडता है चाहे वह काश्तकार हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे और किसी महकमे से ताल्लुक रखने वाला या पेशे का करने वाला हो। हरएक का इस विभाग से संबंध रहता है। इसलिये भी यह स्वाभाविक है कि इसके संबंध में, इसके नियम, कानून और आदेशों के संबंध में अड़चनें, शिकायतें और कठिनाइयां हो सकती हैं।

जो कठिनाइयां यहां बताई गई हैं, उन सबका निराकरण करने का मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन समय की कमी के कारण यदि मैं सब मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त न कर सकूं तो इसके लिये मैं पहले से ही आपसे क्षमा चाहता हूं।

इसका यह मतलब नहीं कि जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं वे बेकार जावेंगे। उन पर जितना संभव हो ध्यान दिया जा सकता होगा, दिया जावेगा।

पहले इसके कि जो मुद्दे यहां उठाये गये हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जो लैंड रेवेन्यू के सेस के और सरचार्ज के सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, अथवा जो कुछ उसके संबंध में सरकार की नीति है उसके बारे में निवेदन करूंगा।

जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि पहले सरचार्ज सन् ६० से राजस्थान में लागू था। जिसमें ७५ रुपये तक फ्री था और इसके ऊपर ढाई सौ की सीमा तक ६। पर्सेन्ट-ढाई सौ से अधिक पर १२।। पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लिया जाता था। इसके बाद लैंड रेवेन्यू पर सेस लगाने के संबंध में बिल पेश किया गया और इसके दौरान में यह बताया गया कि ४६-७।८ एकड तक पर २५ न. पै., इससे ऊपर ९३-३।४ एकड तक पर ३३ नये पैसे और ९३-३।४ से ऊपर पर ५० नये पैसे प्रति रुपया सेस लगाया था। जमीन किस्म बारानी पर लगाया गया था। उस पर जो इस सदन के समक्ष माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये उन पर सरकार ने ध्यान देते हुए और उनके औचित्य पर विचार करते हुए यह मुनासिब समझा कि इसमें परिवर्तन किया जावे। उसके फलस्वरूप जो सेस का बिल था उसे विथड्रा किया गया और इसके साथ ही साथ एक सरचार्ज का

(श्री रामप्रसाद लडढा)–
स्वरूप एक बिल के द्वारा पेश किया गया। इस संबंध में पूरी जानकारी में सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहले इसके कि उसके बारे में मैं आपको अपनी बात बताऊं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले सरचार्ज लगाया गया था ६। में उससे लगभग आठ लाख रुपये की आय गये साल हुई इसके बाद में सेस प्रपोज किया गया था जिस के फल-स्वरूप इन्कम के संबंध में बताया गया था कि दो करोड ५० लाख या २५ लाख के आस पास बैठेगा। इसके बाद में जो आज सदन में बिल रखा गया है उसको देखने से और वर्क आउट करने से क्या रिलीफ मिलेगा किस सीमा तक सरचार्ज लगाया गया है यह बताना चाहता हूं।

सबसे पहले ४५ एकड बारानी जमीन और ५० लेंड रेवेन्यू है इस सीमा तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगाया जावेगा किसी भी लेंड ओनर पर। जब सीमा ४५ एकड अनइर्रिगेटेड लेंड से ऊपर चली जावेगी या ५०) के ऊपर रेवेन्यू होगी तब उस पर सरचार्ज लगाया जावेगा। इस सीमा तक एग्जम्पशन है और इससे ऊपर जाने पर २५ पर्सेन्ट सरचार्ज लगाया जावेगा।

श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत) : मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : अभी मैंने एक्स-प्लेनेशन पूरा दिया ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मैं अपनी पूरी बात कह दूं तो अन्त में जितना स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी और चेयर अलाउ करेगी तो उस सबका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : इसके बारे में सारी बातें जब सदन में आवेंगी तो स्पष्टीकरण हो जावेगा। संक्षेप में आप रूप रेखा बता दें।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : साथ ही साथ इर्रिगेटेड और अनइर्रिगेटेड लेंड भी फिक्स कर दिया है। एक ही आदमी के पास इर्रिगेटेड जमीन भी होती है और अनइर्रिगेटेड जमीन भी होती है। इसलिये दोनों को ४५ एकड बनाना है तो वह कैसे बनाया जावे। तो इसके लिये १।३ का रेश्यो कायम किया गया है। साथ ही यह भी तय कर दिया है कि चाही लेंड को for purpose of surcharge बारानी जमीन मानी जावेगी। और यह भी व्यवस्था कर दी है कि एटकर्ज एक्डेज का प्रश्न आवेगा तो चाही को बारानी माना जावेगा। लेंड रेवेन्यू का केलकुलेशन चाही पर जो लगान आता है उसका वह रकम सरचार्ज की मानी जावेगी। यह प्रोवीजन आज नया नहीं है। ६० में जो एक्ट था उसमें भी था। इस प्रकार चाही जमीन जिसके पास है, उसको १५०) रु. तक छूट है और ४५ एकड तक छूट है।

इस प्रकार के प्रावधान से सरकार की आमदनी कोई बहुत बढ जावेगी, ऐसी बात नहीं है। जहां ६० के एक्ट के तहत ८–१० लाख की आमदनी होती थी उससे लगभग २५ लाख ज्यादा होगी आय। इससे २.२५ लाख का रिलीफ उन काश्तकारों को मिल जाती है है जिनके प्रति सदन के सभी माननीय सदस्य सहानुभूति और सहृदयता रखते हैं और गवर्न-मैन्ट भी जिनके प्रति कम हमदर्द नहीं है। उन्हीं को देखते हुए यह व्यवस्था की है। इसको सभी ने सराहा है। स्वागत किया है। इसकी हमको खुशी है, और हम इसके लिये उनका आभार प्रदर्शित करते हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसके बाद में उन मुद्दों पर जाऊंगा जो सदस्यों ने सदन में रक्खे हैं। सबसे पहले एक समस्या जो दफा ९१ टीनेन्सी एटक की रखी थी, इसमें मैं निवेदन करूं कि इसमें दो प्रकार की ये समस्यायें हैं – एक तो एग्रीकल्चरल लेंड है उस पर अनअथोराइज्ड आक्युपेशन हैं उनके इजेक्टमेन्ट की बात है। इस पर तो ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उसको रेगुलराइज करने का सर्कुलर बहुत पहले निकाला जा चुका है और उसके तरह काफी जमीनों का रेगुलराइजेशन हो गया है। मांडल से आने वालों ने एक समस्या और रखी है कि जो सर्कुलर १-९-९२ को निकला उसकी सूचना सब जगह प्राप्त नहीं हुई इसलिये बहुत से लोग इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सके। और मुझे भी बताया गया है कि सरकारी अधिकारियों ने सूचना समय पर न मिलने से उन पर मुकद्दमे भी चला रखे हैं, जिसके जरिये उनको बेदखल करने की कार्यवाही हो रही है। वास्तव में यह समस्या कुछ हद तक वाजिब लगती है और इसको महसूस करते हुए यह मुनासिब मालूम होता है कि चाहे मियाद खत्म हो गई हो चाहे दर्ख्वास्त नहीं दी हो पर जो १-९-९२ के सर्कुलर के तहत आते हैं और जिन पर सैक्शन ९० के तहत मुकद्दमे चल रहे हैं, तो उनके दरख्वास्त नहीं देने पर भी जो मुकद्दमे चल रहे हैं उनका फैसला उस सर्कुलर की रोशनी में हो जावे। इससे उनके खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है वह उनके दर्ख्वास्त न देने पर भी इस सर्कुलर की लाइट में फैसल की जावेगी। और उस सर्कुलर का फायदा उनको मिल जावेगा।

दूसरी बात सैक्शन ९१ के बारे में कही गई। जो किसान हैं जिन्हें सैक्शन ३१ टीनेन्सी एक्ट की तहत फ्री रेजिडेंन्शियल site देने का प्रावधान है और रूल १५ में जो उसकी सीमायें निर्धारित हैं उन्होंने जमीन मांगी या नहीं अथवा बिना मांगे ही सरकार जमीन पर चाहे कृषि पडत सरकारी भूमि हो चाहे वह चरागाह की हो, गैर मुमकिन लेंड हो या चाहे स्वयं की खातेदारी की जमीन हो जिन्होंने उन पर बिना इजाजत के या बिना आबादी में परिवर्तित कराये मकान बना डाले हैं और जिनके खिलाफ दफा ९१ के तहत कार्यवाही की जा रही है।

यह भी समस्या बहुत अर्से से सरकार के विचाराधीन थी और इस समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि जो व्यक्ति सेक्शन ३१ के तहत जमीन में रेजिडन्शियल साइट फ्री पाने का अधिकारी है उस व्यक्ति ने सरकार की अनओकुपाइड लेंड या स्वयं की खातेदार लेंड पर या चारागाह पर गैर मुमकिन लैण्ड पर सरकारी कोई मकान बना लिया, और वह मकान रूल्स की सीमा के निर्धारित क्षेत्र तक है तो उसको रेगुलराइज कर दिया जायगा। उससे उस जमीन की कोई कीमत नहीं ली जावेगी। इसके साथ ही साथ एक बात और भी है कि कई दफा रेगुलराइज हो जाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी अनजाने किसानों को तंग करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उससे उनको बचाने के लिये हमने यह भी तय किया है कि उन सबको उस जमीन के लिये एक नोमीनल रु०२) फीस लेकर पट्टा दे दिया जाये जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। यही नहीं, हमने नोमीनल फीस रखी है लेकिन हमने आदिवासियों का भी ख्याल रखा है। भील लोग जोकि पहाडी इलाकों में रहते हैं उनके लिये पट्टे की फीस भी माफ कर रखी है वह बदस्तूर जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ शिड्यूल्ड कास्ट और

Page No 97

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
शिडयूल्ड ट्राइब्स के आदमी जो कि एग्रीकल्चर वर्कर या टीनेन्ट या विलेज आर्टिजन की तारीफ में नहीं आते और उन्होंने भी इस प्रकार से नाजायज कब्जा कर लिया है तो उनसे भी इसी तरह से बिना पैसा लिये जो नाजायज कब्जा है उसका वैधकरण कर दिया जायेगा। अगर इस व्यवस्था को आप देखें तो कम से कम ८५ या ९० प्रतिशत लोग जो इस समस्या से पीडित थे उनकी समस्या हल हो जाती है। अब कुछ तबके ऐसे रहे कि जो इसकी पर्व्यू में नहीं आते। इसके पर्व्यू में नहीं आने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने यदि ऐसा कर लिया है तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाये। उनके लिये सरकार ने निर्णय किया है कि ५००० की आबादी से नीचे आने वाले किसी भी गांव में यदि इन श्रेणी में नहीं आने वाले व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो उनसे चार आने प्रति वर्ग गज लेकर रेगुलराइज़ कर दिया जाय और यह वर्ग गज ९ वर्ग फुट का होगा। क्योंकि कई जगह पर यह वर्ग गज २ फुट बाई २ फुट का होता है। यह आदेश जल्दी जारी किये जा रहे हैं। इससे मेरा ख्याल है कि जो हाउसिंग की प्रॉबलम काश्तकारों की दृष्टि से सारे राजस्थान में है और इस तारीफ में नहीं आने वाले लोगों की दृष्टि से ५००० तक की आबादी वाले हिस्सों में है हल हो जाती है....

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): पांच हजार से ऊपर वालों की?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी इतना ही किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने इस प्रकार की समस्या है कि पंचायतों ने नाजायज तरीके पर जबकि उनको जमीन कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं था, कृषि की भूमि को बेचने का अधिकार नहीं था और फिर भी उन्होंने काश्तकारों को जमीन बेच दी और उनसे पैसा ले लिया और सरकार कहती है कि तुम्हें जमीन को कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है, कृषि की भूमि को बेचने का अधिकार नहीं है और तुमने कैसे पैसे ले लिये? हमने पंचायतों की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, हमने गरीब काश्तकारों की हालत को देखते हुए यह फैसला किया कि यदि किसी पंचायत ने ऐसे काश्तकारों को जो कि कानूनन जमीन मुफ्त पाने के अधिकारी हैं और उनसे पंचायतों ने पैसा ले लिया और सरकार पैसा मांगती है उनके केसेज़ भी समाप्त कर दिये जावें उनका भी वैधकरण करके पट्टे दे दिये जायें ताकि उनकी भी हमेशा के लिये तकलीफ खत्म हो जाये। हमने यह भी फैसला किया है कि यदि अदालतों में इस प्रकार के मुकदमें चल रहे हैं सेक्शन ९१ के तहत नाजायज कब्जे करने के इस सर्कुलर की पर्व्यू में आते हैं और उनके फैसले भी इस सर्कुलर की रोशनी में हो जायें और ३१ मई तक कोई इस प्रकार की दरख्वास्त दे दे तो हर तहसील में जो एलॉटमेन्ट कमेटी बनी है उसकी सलाह से तहसीलदार उन केसेज को पूरी तरह से रेगुलराइज कर दे जिससे कि तहसील या कर्मचारियों पर करप्शन का चार्ज न लगाया जाये। इसलिये यह भी व्यवस्था कर दी है। इस प्रकार इसके हो जाने के बाद में जो जमीन की दिक्कतों के बारे में यहां कई चर्चाएं की गई हैं उनका समाधान हो जाता है और साथ ही उनका भी समाधान हो जाता है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के सिलसिले में जिनकी मयाद नहीं बढाई गई। इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने सैटिलमेन्ट के बारे में,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

म्यूटेशन प्रोसिडिंग्ज़ के बारे और जागीरों के बारे में और अलग-अलग विभाग के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। मैं संक्षिप्त में कुछ विभागों के बारे में जो यहां पर विचार रखे गये हैं उनके ऊपर निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहिले जागीर विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा एक दो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वहां पर स्टाफ की कमी है और उसको बढा दिया जावे। जागीर के केसेज़ के डिस्पोजल में बहुत देरी हो रही है और इस तरह की व्यवस्था के विषय में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां न तो स्टाफ की जरूरत है और न स्टाफ की कमी है। हम तो इस डिपार्टमेन्ट को लिक्विडेट करना चाहते हैं समाप्त करना चाहते हैं, इस काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। मैं आंकडे नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि २ लाख २४ हजार दावे हमने फाइनेलाइज़ कर दिये हैं। अब हमारे पास जितने छोटे, बडे किस्म के चाहे रिमान्डेड हों, चाहे इब्तदाई कार्यवाही के हों सब मिलाकर ४,५०० दावे रहे हैं। तो हमने २ लाख २४ हजार दावों को निपटा दिया है। तो ऐसी हालत में जो भी स्टाफ है, आपके ही कहने पर कि कटौती की जाय हमने काफी कटौती इस विभाग में की और साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को हम जल्दी ही निपटा देना चाहते हैं। थोड़ा बहुत काम रहेगा तो हमारे जो दूसरे सरकारी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं चाहे कलैक्टर हों या एस. डी. ओ. हों उनके द्वारा भी कार्यवाही की जा सकती है। इसका लम्बा चौडा एस्टेब्लिशमेन्ट रखने का सरकार का इरादा नहीं है।

साथ ही साथ कन्सोलीडेशन के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किये गये। यह कहा गया कि कन्सोलीडेशन में बहुत गडबडियां होती हैं और किसानों को बडी परेशानियां होती हैं और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि उनकी रेट्स जो फिक्स की गई हैं उसका कोई आधार नहीं है। मैं उसकी विशेष चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं कि क्या आधार है क्या नहीं, लेकिन आधार जरूर थे। सारे राजस्थान को जोन्स में बांटा और जोन्स में आने वाले एरिया के लिये जो रेट्स प्रेस्काइब की गयी थी वह ली जा रही है। हमारे सामने कई रिप्रेजेन्टेशन आये बिलाडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पाली के माननीय सदस्य की तरफ से और भी दूसरे सदस्यों की तरफ से विचार आये। उसमें दो कठिनाइयां थीं। जहां तक कन्सोलीडेशन की स्कीम के इम्पलीमेन्टेशन के दोषों के बारे में विचार व्यक्त किये गये उसके बारे में जब सवाल उपस्थित हुआ तो हमने एक अरोडा कमेटी का निर्माण किया उसने सारे केसेज को एग्जामिन किया। उसकी रिपोर्ट के कई मुद्दों को हमने माना और मानकर हिदायतें की कि उसी के आधार पर अमल किया जाये। अब दो मुद्दे सामने आते हैं। कन्सोलीडेशन की फीस जोकि इस स्कीम से इफैक्टेड नहीं होते हैं उनसे नहीं ली जाये, और एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन जिस आधार पर किया गया है, वह साइन्टिफिक नहीं है। इसलिये दो तरह की शिकायतें माननीय सदस्यों की रहीं। उसके संबंध में सारे मामले सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार साइन्टिफिक तरीके से राजस्थान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

को किन जोन्स में बांट सकती है, उसको बांटने का प्रयत्न करेगी और उसके क्रियान्वित होने पर यह शायद शिकायत नहीं रहेगी। कन्सोलीडेशन की व्यवस्था और उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में भी यहां पर कहा गया। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कि कन्सोलीडेशन स्कीम में कोई दोष नहीं है। कन्सोलीडेशन स्कीम जनता के लाभ के लिये, काश्तकारों के लाभ के लिये, उनके खर्चे में कमी करने के लिए, उनकी पैदावार को बढाने के लिये अपनाई गई है। लेकिन इस प्रकार की शिकायतें आने पर राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि हम कन्सोलीडेशन स्कीम को उस क्षेत्र में जब तक हाथ में नहीं लेंगे जब तक पंचायत समिति का प्रस्ताव हमें यह न कह दे कि कन्सोलीडेशन स्कीम को हाथ में लो। इस तरह से बारानी एरिया में पंचायत समिति का जब तक प्रस्ताव नहीं होता है तब तक हम कन्सोलीडेशन स्कीम को हाथ में नहीं लेते। अब यह पंचायत समिति के देखने का काम है, जन प्रतिनिधियों के देखने का काम है। वह इस कार्य को अगर जनता के हित के लिये समझते हैं तो उसे हाथ में लें और हम जिस तरह से भी कार्यदक्षता के साथ जितनी कम कठिनाइयां हो सकती हैं जितनी सहूलियतें दी जा सकती हैं वह करने का प्रयत्न करेंगे। एक माननीय सदस्य ने सीलिंग के बारे में कहा और सीलिंग के बारे में कहते कहते यह भी भावना व्यक्त की कि इसी मुद्दे पर मुख्य मंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

सीलिंग के लिये माननीय सदस्य जितने इच्छुक हैं उतने हम भी इच्छुक हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): You are postponing it indefinitely

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने बडी गंभीरता से शान्ति के साथ आपको सुना। मैं आशा करता हूं कि आप भी मुझे उसी तरह से सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सीलिंग के बारे में निवेदन कर रहा था कि ३४ हजार राजस्थान के गांव हैं। और अब तक हमारे यहां कोई ट्रप्स नहीं थे। रेकॉर्डस नहीं थे। हमें राजस्थान को ७३ सीलिंग ग्रुप्स में बांटना पडा। मार्केट रेट के हिसाब से प्रोडक्शन को फलाना पडा। बारानी में भी सीलिंग व्हीट के प्रोडक्शन के आधार पर लगाई है। राजस्थान में बारानी जमीन पर व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होता। कुछ इलाकों में होता होगा तो सब में समानता लाने के लिये क्या डिटेल्स हैं, कितना पैदा होता है, क्या भाव हैं, कौन से साल का रखा जाय, कौन से साल का निकाला जाय, ये सारे आंकडे तैयार करने के लिये मैथेमैटिकल कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा और फिर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह १००० पृष्ठ की है इसको तैयार करने में कितना समय लगा होगा उसकी कल्पना की नहीं जा सकती। गये साल मैंने निवेदन किया था कि इसमें लगभग छः महीने लगेंगे। ६ माह होने आ रहे हैं, इन ६ माह में यह रिपोर्ट हमने हाउस की टेबिल पर रखदी है। ६ महीनों में जो कार्यवाही की गई है वह सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। अब सदन की इच्छा पर निर्भर है कि इसे कैसे लागू किया जाय। इसकेलिए एक दिन निर्धारित किया जारहा है, इस पर बहस होगी सरकार सीलिंग को एक बुनियादीन सिद्धांत मानती है, माननीय सदस्य ही नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हम भी मानते हैं और इसको लागू करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे ताकि शीघ्र ही लागू किया जा सके।

(करतल ध्वनि)

मैं आपसे निवेदन कर रहा था सीलिंग के बारे में एक माननीय सदस्य ने रेत की गाडी, चूना और मकान बनाने का दूसरा सामान दिलाने में किसानों को सहूलियतें देने के लिए प्रश्न खडा किया। सदन की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को क्या तकलीफ है, किस प्रकार की सुविधा उनको मिलनी चाहिये, इसके लिये हम बहुत सतर्क हैं और जब हमारे सामने मसला लाया गया किसानों को मकान बनाने के लिये पत्थर, रेत, बजरी या कुम्हारों को हांडा या बरतन बनाने के लिये मिट्टी।

एक माननीय सदस्य : हांडा बनाने के लिये मिट्टी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन सब समस्याओं को हमने ....

एक माननीय सदस्य : इस शब्द को निकाल दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रहने दीजिये, मेरी मदद के लिये कुछ तो किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपके नाम से नहीं कहा था। हमारी तरफ मिट्टी के बरतनों को हांडा ही कहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: हांडा की चिन्ता न करें जब कि उधर भांडे बैठे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, कि माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में सरकार ने फैसला किया है कि चाहे काश्तकार हो, चाहे एग्रीकल्चरल वर्कर हो, चाहे आर्टिजन हो इन तीनों श्रेणी के लोगों के लिये न केवल मकान बनाने के लिये बल्कि कुए बनाने के लिये या तालाब बनाने के लिये या जो भी कृषि उत्पादन में मदद करते हैं इस प्रकार के सारे कन्स्ट्रक्शन बनाने के लिये रेत की आवश्यकता हो, बजरी की आवश्यकता हो, मकान बनाने में कमठान के लिये पत्थर, बिल्डिंग स्टोन की आवश्यकता हो, फ्लोरिंग और रूफिंग स्टोन को छोड कर जिस प्रकार का पत्थर जिस क्षेत्र में काम में आते हैं इन सब की छूट बिना रायल्टी के दे दी है। इसलिये उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि जिन खेतों में किसान काम करते हैं और जिस जगह पर चट्टान आ गई है उसका लगान बदस्तूर भरता है उस जगह रूफ का पत्थर हो और उसको वह बाहर निकाले तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की सेक्शन ३७ पढेंगे तो जवाब मिल जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसमें ३ फीट तक निकालने का है। अगर उससे खेती बरबाद होती है और वह निकाल ले तो क्या हर्ज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब हमने फ्री कर दिया तो सवाल पैदा नहीं होता है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

टीनैन्सी एक्ट की सैक्शन ३६ के तहत यदि उसमें ३ फुट तक पत्थर है और तीन फुट तक वह खोदता है तो हमारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और वह उसको अपने काम में ले तो उसके लिये रोक नहीं है। बल्कि माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के विपरीत नहीं होगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जायेगा। यही नहीं किसान के लिये पत्थर, रेत, बजरी या बरतनों के लिये काली मिट्टी का ही सवाल नहीं है बल्कि हम तो इस प्रकार की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि यदि दूसरे व्यक्तियों से रेत, मिट्टी, बजरी पर टैक्स लिया जाता हो और उनको मकान बनाने में दिक्कत हो तो यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिससे न केवल किसानों को बल्कि जनता को भी फायदा हो सके। इससे सब केसेज कवर हो जायेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय हमारी यह छूट उन ठेकेदारों के लिये नहीं होगी जो ठेकेदारी का काम करते हैं और जनता से पैसा लेते हैं। उन प्रोफिटियर्स के लिये छूट नहीं होगी बाकी सबके लिये छूट करने जा रहे हैं।

(करतल ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन अमल उल्टा होगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन कर दें, तो अच्छा हो। चित्तौड में जो पत्थर....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपकी बात को समझ गया, फ्लोरिंग और रूफ के पत्थर के लिये छूट नहीं दी जायेगी इसलिये कि यह लीज पर उठा हुआ है। आपने यह जो प्रश्न उठाया है मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर लीज एरिया है उसमें से आप कुछ नहीं ले सकते। लेकिन गवर्नमेंन्ट इस की कोशिश करेगी कि लीज एरिया के अलावा और कोई इलाका हो जो गांवों के लिये रिजर्व किया जा सके तो रिजर्व करने का प्रयास किया जावेगा ताकि वहां का किसान, एग्रीकल्चरल वर्कर और आर्टिजन्स उपयोग कर सकें।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : Order please!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में यहां पर सवाल उठाया गया। यह मुद्दा हाउस के सामने दो किस्म से रखा गया। एक तो यह कि म्यूटेशन फीस ली जाय या नहीं और यदि ली जाय तो सरकार के खजाने में जमा हो या पटवारी और इंसपेक्टर को मिले। इन दोनों दृष्टिकोणों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल सदन के सामने और बाहर और कई बार रिप्रेजेन्टेशन्स आये कि जो पटवारियों को तनख्वा दी जाती है ६०) रु० ६५) रु० या जो कुछ मिलता है १०)-५) रु० अलाउन्स के रूप में, जो तनख्वाह दी जाती है वह उसके जैसे मल्टीफैरियस मेन के लिये कम है। सदन में कहा गया हमें इसमें से कुछ शेयर देना चाहिये क्योंकि यह एक लो पेड एम्पलायी है। इसके जरिये उसको कुछ मिल जायगा तो उसकी आर्थिक व्यवस्था में जो दिक्कत हो रही है वह दूर हो सके। इस सिद्धांत को लेकर यह व्यवस्था करें तो सवाल यह आता है कि यदि हम इस व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं तो जब तक पटवारियों के बारे में और न सोच लें तब तक अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)
इस संबंध में अदरवाइज राय दे सकें। लेकिन दूसरा प्रश्न, जो कि म्यूटेशन फीस लेने के प्रिन्सिपल का है उस संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। हमने य महसूस करते हुए कि माननीय सदस्य और जनता यह महसूस करती है कि जो ये म्यूटेशन फीस ली जा रही है, कुछ अधिक है, अब अधिक है या कम, इस पर फैसला नहीं कर सकें हैं, लेकिन अवश्य यह मसला सरकार के विचाराधीन है, कि इस मामले में काश्तकार और दूसरे लोग, जो इससे प्रभावित होते हैं, को किस प्रकार सुविधा दी जा सकती है। इसका जो भी निर्णय होगा, वह निर्णय भी लागू किया जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि १९५५ · ·

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बहुत मौलिक बात है। ऐसा है · · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको बताया··

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको क्षुद को समझ लेना चाहिये। ऐसा है कि सन १९५५ को आधार मानकर, जब हमारा यह टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ, जो काश्तकार ऐसे थे, जिनको मान लिया गया खातेदार काश्तकार। उन तमाम काश्तकारों से म्यूटेशन फीस, नामकरण फीस, नाम से फीस वसूल की जा रही, चूंकि रजिस्टर बदले हैं, इसमें रजिस्टर बदल रहे हैं इसलिये सालिम तहसील से यह फीस वसूल की जा रही है जब कि म्यूटेशन फीस तभी ही दुबारा वसूल की जानी चाहिए जब कि किसी खातेदार की मृत्यु हो गई हो और उसके सक्सेसर का नाम बदलना हो · · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपकी पूरी बात बिना कहे समझ रहा हूं। पर वास्तव में जो इस समय व्यवस्था है, जो इसमें रूल्स बने हुए हैं, उनके अनुसार जो कुछ हो रहा है वह ठीक है। सवाल यह है कि रूल्स को अमेन्ड किया जाय या नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रूल्स के अनुसार नहीं हो रहा है। गलत हो रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, यह सरकार के विचाराधीन है · · · ·

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रूल्स का सवाल है, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप चाहें इसे लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर कर दें, सरकार इसे हाई कोर्ट को रेफर कर दें · · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य वकील हैं और मैं भी वकील हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लेकिन म्यूटेशन फीस के नाम पर लोगों की कुर्कियां की जा रही हैं घर नीलाम किये जा रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : सरकार के विचाराधीन है। मंत्री महोदय बता रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नियम विरुद्ध है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको निवेदन किया कि म्यूटेशन फी का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आप विचार करने के लिये तैयार हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय की आज्ञा थी जब पिछले सदन की मीटिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय की स्पष्ट तौर से आज्ञा थी कि आप इसको देखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस चीज से इन्कार नहीं करता हूं। मैंने निवेदन किया था कि इस मसले को एग्जामिन करेंगे। मैंने उसके बाद इस मसले को एक्जामिन करवाया और वह सरकार के विचाराधीन है। जब तक उस पर अन्तिम निर्णय सरकार का न हो जाय तब तक मैं अपने आपको इस स्थिति में नहीं पाता कि इसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये····

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि यह मसला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मेरा नम्र निवेदन है···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं खडा हूं, अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दे दी है। आप बैठ जायं।

निवेदन यह है कि आप को कानूनी दृष्टिकोण से वहां के जन प्रतिनिधियों के तर्कों को सुनना चाहें तो ट्रिब्यूनल के सामने बार एसोसियेशन, भरतपुर और बार एसोसियेशन, धौलपुर के तर्कों को सुनलें। यह जो कानून है, आपका एग्जिस्टिंग कानून है, रूल्स भले ही गये बीते हों, भले बुरे हों····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सदन का समय ले रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : म्यूटेशन फीस वसूल करने का अधिकार हो तो आप वसूल कर लें। लेकिन नियमों के अनुसार आप इस तरह की म्यूटेशन फी वसूल नहीं···

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य तर्क दे रहे हैं, कोई दूसरा इससे अच्छे तर्क नहीं दे सकता। औरों को सुनने की क्या जरूरत है, आपको सुन चुके हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह कह रहा हूं कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी तरफ से डाइरेक्शन हुआ था, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि मामला विचाराधीन है; अब जल्दी विचार करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : मामला गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं और····

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : निवेदन यह है कि कुछ जगह ऐसी है जहां आठ आना बीघा लिया है, एक रुपया बीघा लिया है; लेकिन मेरे क्षेत्र बसेडी में लोगों से दस-पन्द्रह रुपया बीघे का लगान है····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जयपुर के पास चालीस रुपया बीघा के हिसाब से लगान ले रहे हैं और तीन रुपया बीघा का लगान ले रहे हैं। सवाल यह है कि सारा मसला सरकार के विचाराधीन है। मैंने निवेदन किया····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यहां सोने के जेवर मौजूद हैं, वहां बाजरे के टिक्कड नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जवाब सुनने दें, इस प्रकार बहस करेंगे, अध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : निर्णय कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बहुत जल्दी तय कर देंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कुछ सुनाई नहीं दिया। स्पष्ट उत्तर क्या रहा हमारे लिए....

श्री अध्यक्ष : इनका उत्तर यह रहा कि विचाराधीन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कब तक ?

श्री अध्यक्ष : बडी जल्दी ।

श्री सतीश कुमार शर्मा (बानसूर) : एक सैशन निकल गया, दूसरा सैशन निकल जाय तब ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारे तर्क सुनने के लिए एडवोकेट जनरल को बैठा लें, सेक्रेटरी या जज को बैठा लें। अगर कानून जायज हो तो उनसे वसूल करलें।

श्री अध्यक्ष : कानूनन जायज हैं, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कानूनन एडवोकेट-जनरल से एग्जामिन करा लेंगे कि यह जायज है या नहीं; लेकिन....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हम अपनी बात कहने के लिये कब हाजिर होजांय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कानून का नहीं है, सरकारी नीति का है, और मन्शा क्या है? मन्शा है उसके लिए उन्होंने कहा कि उनको हमदर्दी है। वे महसूस करते हैं कि उसमें रद्दोबदल लानी चाहिये । माननीय सदस्य कई दफा कह चुके हैं, यह पहली दफा नहीं है। मेरा खुद का विचार है, यह दकियानूसी तरीका है टैक्स कलैक्ट करने का कि जो टैक्स कलैक्ट हुआ उसे अपनी जेब में डाल लिया। कल सेल्स टैक्स वाले भी यह कहेंगे-हम यह करेंगे क्योंकि हमारी तनख्वाह कम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया था, यह मसला गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद स्टैप्स लेने जरूरी हैं, उन पर; फाइनल डिसीजन करने के बाद।

श्री अध्यक्ष : यही निवेदन है कि जल्दी फैसला हो ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir. Yes Sir.

झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल रखा कि कुछ समय से दो आना फी रुपया लगान में छूट दी गई है। छूट दी गई, यह महसूस किया गया कि लगान की दर कम हो। अब माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि ४६ गांव हैं जिनको यह छूट नहीं दी गई है। ये वे गांव बताये जाते हैं कि जिनका सैटलमेन्ट उस वक्त नहीं हुआ था और बाद में हुआ; लेकिन बाद में होते हुए भी उन पर रेट्स वही लगाई गई जो पहले वाली रेट्स थीं। लेकिन पहले वाले विलेजेज में रुपये में चौदह आने कर दिये गये हैं इसलिये इन

Page No 105

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
४६ गांवों में भी यह लाभ मिलना चाहिये। यदि यह बात सही है तो उनका कहना उचित और सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी इसके आदेश दिये जा चुके हैं इन ४६ गांवों के अन्दर २ आना फी रुपया छूट दी जाय··

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूर हो उसी हद तक।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, रुपये में चौदह आने लिये जाते हैं। वे लिये जायेंगे।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : बसेडी में यह लागू किया जायगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह दूसरा सवाल है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : जहां अधिक लगान ले रहे हैं वही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The Hon. Member must understand my reply,

क्योंकि दो आना छूट दे दी है, यह सारे डिस्ट्रिक्ट में छूट दे रहे थे, ४६ गांवों में नहीं दे रहे थे। इसलिये ४६ गांवों को उसी पोजीशन में लाने के लिये यह छूट का प्रश्न उठाया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : On a point of Order, Sir?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बैठ जांय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसा है कि जहां १२) १२) रुपये फी बीघा लगान है वहां तो २ आने की छूट दी जा रही है लेकिन जहां २० रुपये फी बीघा लगान है वहां यह छूट क्यों नहीं दी जाती?

श्री अध्यक्ष: जनरल छूट का सवाल नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनरल छूट का सवाल नहीं है, विशेष परिस्थिति का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने देवस्थान के सम्बन्ध में कई बातें कहीं कि उन्होंने देवस्थान के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट को क्रिटिसाइज् करते समय यहां तक कह दिया कि यह पब्लिक ट्रस्ट एक्ट राजस्थान सरकार ने इस तरह लागू किया है जिससे लोगों की प्रोपर्टी हजम कर लें। ये शब्द उनके थे, उन लोगों की प्रोपर्टीयां हजम करने के लिये यह कानून बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट क्यों लागू किया गया, इसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह मसला आया कि जो रिलीजिअस टैम्पल्स हैं, और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनकी प्रोपर्टीज का कुछ लोग मिसमैनेज् करते हैं, फन्डस् का मिस प्रोप्रियेशन करते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं और जिस पर्पज् के लिये उसकी आमदनी काम में आनी चाहिये उसमें नहीं आती है। तब हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में कानून लागू किये गये और उसी के अनुसार यहां लागू किया गया। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट प्रोपर्टी को हजम करने की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रोपर्टीज् की रक्षा करने के लिये है जिस काम में उसका लाभ आना चाहिये उसी काम में लाने के लिए यह किया गया है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने बताई कि शुद्धिकरण के प्रश्न को लेकर, नाथद्वारा के प्रश्न को लेकर श्री सरजू प्रसाद, को सत्रह हजार रुपये वकालत फीस के दिये गये, उसको

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लेकर। मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शुद्धिकरण का प्रश्न है, जिस समय शुद्धि होनी चाहिये नियमानुसार उसकी शुद्धि करदी गई है...

श्री विजयसिंह झाला: (नाथद्वारा) : नहीं हुई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शुद्धि करने के बाद भी इस प्रश्न को हमेशा के लिये ओपन रखें यह उचित नहीं है। शुद्धि की परम्परा में ऐसी व्यवस्था है जो रोज के रोज नहीं की जा सकती, वह एक बार करदी गई है..

श्री विजयसिंह झाला : यह गलत इन्फोर्मेशन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सत्यता है..

श्री विजयसिंह झाला : On a point of information, Sir !

श्री अध्यक्ष : Let him finish first

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिर भी नियमानुसार और शुद्धि की आवश्यकता हो तो वह भी हम करने के लिये तैयार हैं। उसके बाद सरकार का कोई दोष नहीं रह जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : मुझे यह...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री सरजूप्रसाद के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री विजयसिंह झाला : मैं पूछना चाहता हूं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सुन लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक होजाय कि मन्त्री महोदय सही बात सदन के सामने रखें।

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है। आपने जो बात कही है, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री विजयसिंह झाला : यह गलत इन्फोर्मेशन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य पूरी तरह नहीं जानते ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह शुद्धि का सवाल है क्या ?

(५. म. प.)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने मन्दिरों की शुद्धि तो करदी मगर आपकी भी शुद्धि की या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देवस्थान के बारे में प्रश्न उठाया कि स्वदेशी कॉटन मिल्स को आपने रुपये उधार दे दिये जिसका कोई डिविडेन्ड आपको आता नहीं, कोई उसकी किश्त आपको मिलती नहीं कोई ब्याज मिलता नहीं। ये रुपये देवस्थान फन्ड के रुपये थे ये रुपये टैम्पलों के थे वे बराबर हो रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : : राजस्थान सरकार इनकी ट्रस्टी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार ट्रस्टी है । मैं यह कहूंगा कि जहां तक आपने बताया कि ब्याज की किश्तें नहीं आती हैं और चढी हुई बाकी हैं, एक किश्त ही चढी हुई है बाकी पूरी की पूरी किश्तें दे दी गई हैं। दूसरी किश्त चढे हुए को एक महीना नहीं हुआ है। अभी फाइ-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
नेन्शियल इयर क्लोज नहीं हुआ है। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि किश्तें नहीं आ रही हैं। अगर इसके लिये यह कहा जाय कि किश्तें नहीं आ रही हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब रहा सवाल यह कि राजस्थान रोडवेज़ में देते तो ब्याज आता। मगर मैं यह कहूंगा कि हमने जो रुपया दिया है वह इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट के मार्फत दिया है। इसलिये यह देवस्थान का रुपया डूबने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यह रुपया कोई डूबने वाला पैसा नहीं है। रोडवेज़ में इस तरह से हम नहीं कर सकते····

श्री मुरलीधर व्यास : यह देवस्थान का पैसा है। जिन स्थानों के लोगों ने यह पैसा दिया है वह रुपया कम से कम वहां के रहने वाले लोगों के डवलपमेन्ट के लिए खर्च होना चाहिये यह नहीं कि उस रुपये को उदयपुर में ले जाकर खर्च किया जाय या कहीं और जगह खर्च किया जाय। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने बताया कि वे ६ प्रतिशत इन्ट्रैस्ट देने को तैयार हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं है यही तो बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ पर्सेन्ट का प्रोफिट भी कम नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : उनकी सिक्यूरिटी क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट की गारन्टी है। इन्डस्ट्रीज डिपार्डमेन्ट को बीच में रख कर यह रुपया दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : सिक्योरिटी लोन की क्या है ?

श्री अध्यक्ष : Secured debt है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट का इसमें कोई शेयर नहीं है। आपको विजय-कॉटन मिल्स को भी ३।। लाख रुपया देना पडा। इसलिये कि वहां आपके दोस्त हैं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : कितना चन्दा आपको इससे इलेक्शन में मिला और इसको लोन देने का आपका क्राईटेरिया क्या था ? इस सदन की यह मन्शा है और सदन को अधिकार है इस सम्बन्ध में पूछने का। मगर आपकी तरफ से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। हम यह चाहते हैं कि हमारे मन्दिरों की प्रोपर्टी है उसकी हिफाजत होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की यह मन्शा है कि गवर्नमेन्ट को शान्ति से उत्तर सुना जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देवस्थान के बारे में मैंने कुछ कहा एक मसला और है जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया। उन्होंने एक पत्र की कॉपी प्रस्तुत की और इस प्रकार की समां बांधने की कोशिश की कि यह कोई बिल्कुल नया डाक्यूमेन्ट है जिसका किसी को यहां मालूम नहीं। उनको ही इसकी मालूम है। मगर मैं यह कहूंगा कि वास्तव में यह कोई नया डाक्यूमेन्ट नहीं है। इस पत्र के सम्बन्ध में बहुत समय पहले से सदन के कई माननीय सदस्यों को मालूम था और कई माननीय सदन के सदस्यों ने इस पर चर्चा आपस में भी की····

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को पहले से मालूम था तो सरकार इतने दिनों तक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
चुप-चाप क्यों बैठी रहीं? जानकारी में नहीं था तभी बैठी रही।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : "आपकी जानकारी में यह पत्र नहीं आया था उससे पहले हमें मालूम था। सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: और इसके बावजूद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की?

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : इतने दिनों तक आपकी जानकारी में होते हुए भी उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने आपको बताया कि जो यह पत्र प्रस्तुत किया है वह कोई नया पत्र नहीं है जिसको आपने यहां रखा है। आपसे पहले यह हमें मालूम हैं। यदि इस पत्र को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह टाइप्ड लेटर है और उसके नीचे किसी एम. एल. सेठी के दस्तखत किये गये हैं। मैं इसके लिये कोई सफाई नहीं देता कि यह लैटर टाइप्ड लैटर है और इसका ओरीजीनल कहीं भी हो, है भी या नहीं, यह भी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हो तो भी मैं उस पर प्रेस नहीं करना चाहता।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मन्त्री) : मैं यह समझता हूं कि जो फोटो स्टेट कोपी यहां पर पेश की गई है, शायद यह खयाल लगाया जावे कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इसके सिगनेचर्स हैं आया वे जीनाइन हैं या नहीं, इसकी जांच कराकर जो उसका रिजल्ट आए उसके बाद कार्यवाही करनी है। आज इस सदन में यह पत्र आया उसके पहले से ही हम इसके लिये सजग हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा इस सम्बन्ध में कहना उचित नहीं होगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या गवर्नमेन्ट के पजेशन में वह लैटर है और उस पर इन्क्वायरी हो रही है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी हां। इसकी जांच कराई जा रही है कि जो सिग्नेचर किये हुए हैं वे जीनाइन हैं या नहीं एक्स्पर्ट द्वारा····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह सिग्नेचर जीनाइन हैं या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं इस समय इस सारी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिये इतना बताना चाहता हू कि यह केवल फाइल में नहीं पडा है; बल्कि हैन्ड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच होकर इसकी कार्यवाही की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : कोई प्रूफ मिला या नहीं।

श्री **अध्यक्ष** : अभी प्रूफ देखे जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हैन्ड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच होकर कार्यवाही की जा रही है, सब एक्सपर्ट की राय ले कर करेंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इसके बारे में डिटेल्ड में जांच नहीं की, इतना समय हो गया है····

श्री **अध्यक्ष** : पेचीदे मामले होते हैं उनकी जांच में सालों लग सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस आदमी को दूसरा काम क्यों नहीं दे दिया जावे और इस जगह से हटा दिया जावे।

(दो तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order please ! (उप मन्त्री श्री लड्ढा की तरफ संबोधित करते हुए) आपको कितना समय और लगेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपने भाषण को कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस आदमी को मौजूदा जगह से हटा दिया जाना चाहिये। जब तक इनको इस जगह से नहीं हटाया जाएगा इम्प्रूव नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप कॉन्क्रीट एग्जेम्पल बताइये और साबित कीजिये। महज कहने से कोई बात ठीक नहीं हो सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप इनको यहां से हटा दें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्राइब दी है और जिनके बही खातों में लिखी हुई हैं और उनको वे प्रोड्यूस करने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से वयडली कहने से कैसे एक्शन लिया जा सकता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम सबूत रखते हैं। हजारों रुपये गडबड हुए हैं। हम साबित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: Order please. This is a very vague and wild allegation, hon. member.

यह कोई जरूरी नहीं है कि उनको हटाने के बाद ही शिकायत आ सकती है····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं साबित करने को तैयार हूं····

श्री अध्यक्ष : Order please, hon. member.

कुछ तो शिष्टाचार का ध्यान रखें, सुशिक्षित, सुशील व्यक्ति हैं, आपको सुनना चाहिये आप सुनने का भी माद्दा रखिये, विशेष तौर से जब कि अध्यक्षीय आसन से कहा जा रहा हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्य के पास और जानकारी है वे माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास भेज दें और जिस तरह आज प्रश्न उठाया है उसी तरह फिर उठा सकते हैं तो उस वक्त पूछा भी जा सकता है कि क्या कार्यवाही की जा रही है। पर वेग तौर पर कहना कि उन्हें हटा दीजिये तो शिकायतें आ जायंगी, यह तो किसी भी ऑफिसर्स के लिये कहा जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी स्थिति एक डाइरेक्टर की स्थिति है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह मैं समझ रहा हूं···· Order

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पर प्रश्न 'यह है····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आप शान्त रहें।

(पुनः खडे होने पर)

Order !

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार की बात रखी गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, सबूत नहीं और भ्रष्टाचार ही कहने लग गये। सामान्य नागरिक हो चाहे अफसर हो उसके भी अधिकार हैं। सजा देने से पहले नोटिस दिया जाय पूरी जांच की जाय। भारतवर्ष के नागरिक के अधिकार हैं। आपके कहने से, मेरे कहने से, सदन में बहस होने से सजा देदी जाय, यह नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम सजा का नहीं कहते····

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir.

श्री अध्यक्ष : I disallow it, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने कहा ही कहां ? I have not said anything.

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ट्रेन्ड समझ गया। there is nothing like point of information

श्री मानिकचन्द सुराणा : I wanted information, for how much time it has been pending.

श्री अध्यक्ष : I will not allow any further information on this topic.

श्री रामप्रसाद लडढा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि अलाटमेन्ट ऑफ लैन्ड के बारे में समस्याएं हैं इस लिये अन्न के उत्पादन में दिक्कत होती है, मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के बनने के बाद १३ लाख एकड जमीन भूमिहीन किसानों को दी है और इससे जो भूमिहीन किसानों की संख्या पहले चली आती थी उसमें भी काफी कमी हुई है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि नहीं दी गई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : राजस्थान केनाल में कितनी दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान केनाल के बारे में यह निवेदन करना काफी होगा कि अलाटमेन्ट के सिलसिले में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से फाइनेलाइजेशन नहीं हुआ है जब तक यह नहीं हो जाता तब तक राजस्थान सरकार उस स्थिति में नहीं है कि भूमि अलॉट करे, यद्यपि आरजी काश्त पर काफी भूमि दी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये, उनके सम्बन्ध में मैंने अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश की, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मुझे यह पूछना है कि आपने कहा कि नाथद्वारा मन्दिर का शुद्धिकरण किया तो क्या यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि वल्लभकुल वैष्णव मार्ग के हैड महाराज श्री हैं, तो महाराज श्री के द्वारा ही यह शुद्धिकरण हो सकता है, तो क्या महाराज श्री ने यह शुद्धिकरण किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : जनसंघ की राय अब हमें मालुम होने लगी है कि महाराज श्री को बुला कर ही शुद्धिकरण करना चाहिये, पहले मालूम हो जाता तो इस पर विचार किया जाता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जनसंघ की राय तो नहीं है कि मन्दिर का शुद्धिकरण किया जाय और जन संघ की राय इतनी ही नहीं है, इससे आगे भी राय है कि नाथद्वारा में जन्म लेने वाले मुख्य मन्त्रीजी का भी शुद्धिकरण किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरे शुद्धिकरण की कोई चिन्ता आपको नहीं करनी चाहिये आपने एक बात कही उसका उत्तर दिया, आपको परेशान नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिये। श्री सरजूप्रसादजी को नाथद्वारा टैम्पल का एटोर्नी क्यों मुकर्रर किया गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि नाथद्वारा टैम्पल कमेटी एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसके कार्यों में सरकार दखल नहीं दे सकती। उसने वकील बनाया तो उसमें सरकार का क्या लेना-देना?

श्री भैरोंसिंह : सरकार के कानून के अन्तर्गत नाथद्वारा टैम्पल का बोर्ड है और सरजूप्रसादजी को फेवर करने के लिये, अध्यक्ष महोदय, उनको वकील बनाया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। खाली मुख्य मन्त्रीजी ने मजाक में बात उडादी।

श्री अध्यक्ष : Order please। हर बात का जवाब नहीं आ सकता।

श्री विजयसिंह झाला : उन्होंने क्या जवाब दिया?

श्री अध्यक्ष : Order please। आप स्थान ग्रहण करें।

वित्त मन्त्रीजी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के भाषण के बाद में यह देख रहा था कि अब कौनसी बात रह गई जो मुझे कहनी बाकी रह गई। श्रीमान, सिर्फ एक ही बात मुद्दे की मेरे सामने है कि जहां तक देने और दिलाने का ताल्लुक था सखावत थी, वो सब लायक डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रख दी.....

एक माननीय सदस्य : 'सखावत' समझ में नहीं आई।

श्री बालकृष्ण कौल : जैसा कि मैंने अपने बजट के वक्त निवेदन किया था कि सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि अबकी जो डेवेलपमेंट की स्कीम्स हैं, जो प्लान हैं, उनमें कोई कमी न हो, इस निश्चय के साथ यह बजट आपके सामने रखा गया था और इसीलिये इस घाटे को पूरा करने के लिये आपके सामने यह निवेदन किया था कि अब जब तक साढ़े चार करोड़ का जो घाटा है वह पूरा नहीं किया जाय तब तक यह शंका है कि जो हमारे प्लान्स हैं इस साल के वे कैसे पूरे होंगे..

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इससे तो अच्छा था कि लिखा हुआ ही पढ़ देते.....

श्री बालकृष्ण कौल: श्रीमान, बेहतर तो यही होता कि लिखी हुई स्पीच होती और मैं कुछ चन्द लफ्जों में ही खत्म कर देता पर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरा सिर दर्द अभी तक मौजूद है ··

एक माननीय सदस्य : ज्वाला प्रसादजी सिर दर्द हैं···

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सिर दर्द मोचन का पाठ पढ़िये आप ।

एक माननीय सदस्य: हनुमान चालीसा पढ़िये ।

श्री बालकृष्ण कौल: न मेरे सिर दर्द ज्वालाप्रसादजी ही हैं न सदन है, मेरी तो समस्या ही सिर दर्द है । माननीय सदस्य समस्या बढ़ा देते हैं तो सिर दर्द होता है । श्रीमान मैं अर्ज कर रहा था कि यह गवर्नमेंन्ट का दृढ़ निश्चय है कि ३४.५० करोड के जो प्लान हैं इस साल के उनमें कमी न हो और यही माननीय सदस्यों की ख्वाहिश थी क्योंकि जिस माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया, सुझाव दिये, उसमें यह नहीं कहा कि आपकी प्लान उसको कम कर दिया जाय, यह जरूर कहा कि प्लान तो वैसा ही रहे पर टैक्सों का बोझा कम कर दिया जाय ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: यह नहीं कहा टैक्स शिफ्ट करने की बात कही थी, जो आपने मान ली है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): माननीय सदस्य की तो यही राय थी जो उन्होंने अभी कहा, पर वे यह दावा नहीं कर सकते कि यहां माननीय सदस्य मौजूद हैं, उनमें से किसी ने यह नहीं कहा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दावा किससे करूं, पट्टा तो आपसे लेना पडता है ।

श्री बालकृष्ण कौल: जहां तक टैक्सों के सम्बन्ध में था, उन सुझावों पर काफी गौर किया और सरकार ने एक इतनी जोखम ली है कि जिसके कारण उसने अपने टैक्सों में कुछ कमी की ।

मैं जब टैक्सों के आंकड़ों को देखता हूं, कन्सेशन्स आपके सामने आये हैं उनके आंकड़ों को देखें तो मैं समझता हूं कि वह करीब १।। करोड़ का घाटा है जो उन कन्सेशन्स को देने के बाद सरकार को होगा, वह किस तरीके से पूरा हो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : १।। करोड़ का होगा या उससे अधिक ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह जब फाइनल होगा तब होगा ।

माननीय अध्यक्ष, इन कन्सेशन्स को सुन कर खुश तो होंगे, उनको एक हद तक संतोष होगा · · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपकी राय खिलाफ थी क्या केबिनेट में ?

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन इस प्रजातंत्र को देखते हुए · · · · · · · ·

(व्यवधान)

बोलने दीजिये या आप बोल लें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, सारे बजट की रूप-रेखा में रात-दिन जैसी परिवर्तन हो गई है । यह कोई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
बजट है ? बजट का कम्पलीट मेटामोर्फोसिस (complete metamorphosis) हो गया है।

श्री बालकृष्ण कौल : That is what I am telling, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका जहां दृढ निश्चय था वहां तो इतना परिवर्तन हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह एडमिशन गलत है। वही बजट है। कोई चेन्ज नहीं हुआ।

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मुख्य मंत्री इस बात को कहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : The Budget is now entirely a different document. Its original shape has been completely changed for the better. We congratulate the Government, but I think I have very little to say for the Finance Minister by way of praise, if I may submit.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, अगर आपोजिशन लीडर जरा शान्ति से मेरी पूरी बात को सुन लेते तो शायद उन्होंने यह जो मुझ पर रहम किया है उसकी जरूरत नहीं पडती मैं कह रहा था कि इस सदन के विचारों का असर जो गवर्नमेन्ट पर पड़ा उससे गवर्नमेन्ट ने यह मुनासिब समझा कि जो टैक्सेज आपके सामने आये थे उनमें संशोधन करें। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेन्ट पर यह और जिम्मेदारी आ गई इस बात की कि वह उस घाटे को कैसे पूरा करे ? जैसा मैं कह चुका हूं कि गवर्नमेन्ट का यह दृढ निश्चय है कि आपके प्लान्स जिस तरीके के हैं वे चलते रहें। इस कशमकश में फाइनेन्स मिनिस्टर ज्यादा परेशान हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह हुकुमत ही आपके ऊपर डटी है।

श्री बालकृष्ण कौल : वह डटी है या नहीं, जरा सुन लीजिये।

श्रीमान, बावजूद इसके कि गवर्नमेन्ट जहां तक जा सकती थी उन कन्सेशन्स को देने में वह गवर्नमेन्ट ने किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पर भी कुछ माननीय सदस्य इस विचार के निकले जो कहते थे कि अगर उनकी नीति मान ली जाती, उनके विचार मान लिये जाते, उनके सुझाव मान लिये जाते तो यह भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं उन माननीय सदस्यों से इतना निवेदन कर दूं कि जो उन्होंने यह कहा, उनकी नीति के लिहाज से बिलकुल ठीक है। लेकिन इस देश में उनकी नीति का अनुकरण करने वाले कितने हैं, यह भविष्य ही बतायेगा। अगर उनकी नीति चले तो मुझे तो यह शंका है कि यह सदन भी रहेगा या नहीं और फिर टैक्स लगाने की जरूरत भी पड़ेगी या नहीं। यह तो प्रजातन्त्र का करिश्मा है कि वे यहां मौजूद हैं और लम्बी २ बातें कर सकते हैं। उनका यह अधिकार है, उनको यह आजादी है कि जो जी में आवे वे कह सकते हैं। काश कि उनकी नीति पर हुकुमत मुनस्सर होती।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : यह क्या भविष्यवाणी है कि यह सदन रहेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष: आगे सुनिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उन्होंने बताया कि सदन रहेगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : अब और बता रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मालूम होता है कि किन्हीं माननीय सदस्यों को मोहब्बत हो गई है ।

श्रीमान्, एक माननीय सदस्य ने सरकार की कुछ इन्वेस्टमेन्ट पॉलिसी पर आक्षेप किया। अगर उस आक्षेप को आप देखें एक पहलू से तो मुनासिब सा दिखाई देता है । लेकिन में माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि वे इस तरीके से सोचें कि यह राजस्थान अब बनने जा रहा है, अभी बन के मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, यह कोई भाषण हो रहा है······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : नया जोड़ा जा रहा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब राजस्थान इतना समृद्धशाली हो जाय कि········

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रिआर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स हो रहा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : इतना समृद्धशाली हो जाय कि जहां हरएक आदमी की जिन्दगी इतनी सरमायेदारी की हो जाय कि वह खुशहाल हो तो फिर इस किस्म के एतराजात हों तो मुनासिब हो सकता है । आज राजस्थान को चारों तरफ से अपनी तरक्की के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं । जितना इन्वेस्टमेन्ट सरकार ने किया है वह इन्डस्ट्रियलाइजेशन की ओर किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानपुर में जाकर किये हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : उसमें अधिकतर उस रुपये का जिक्र है कि जो इस सरकार को बनाने से पहले, राजस्थान जो नया राजस्थान बना इसके बनने से पहले, वह रियायतों में बंटा हुआ था उनका उस पर रुपया लगा हुआ था । तो इसलिये राजस्थान सरकार की यह नीति है कि राजस्थान जल्दी से जल्दी इन्डस्ट्रियलाइज हो, और इस नीति को ध्यान में रखते हुए जो भी थोडा बहुत इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान ने किया है वह मैं समझता हूं और जो वह ईल्ड दे रहा है इन्ट्रेस्ट का, वह मुनासिब प्रापोशन में है, ठीक है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir, क्या आप १।।।, २ पर्सेन्ट उचित मानते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने निवेदन किया, श्रीमान्, राजस्थान अब इन्डस्ट्रियलाइजेशन की नीति पर चलना शुरू हुआ है । कोई भी चीज शुरू होती है तो ईल्ड नहीं देती है. राजस्थान इन्डस्ट्रियलाइज हो जाय तो उस तक पहुंच जावेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन पर दो लाख का टैक्स था, ४० लाख का हो गया ।

श्री मानकचन्द सुराणा : २६ लाख का इन्वेस्टमेन्ट इन्डस्ट्रीज पर किया है उसमें से २५ लाख बाहर किया और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में १ लाख किया है। २५ लाख में से इन-इन में किया है :

(१) मेटल कार्पोरेशन आफ इन्डिया ।

(२) आदित्य मिल्स लिमिटेड, कानपुर।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(३) आदित्य पावर केबल्स, इन्दौर। ये सब बाहर की हैं।

श्री अध्यक्ष : ये पार्टीज राजस्थान में हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : सब फैक्ट्रीज राजस्थान में हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये सब लोग काफी पैसे वाले हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ गयी है।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो रुपया इन्डस्ट्रीज के लिये हम देते हैं उसका रिटर्न कम आवश्य है, किन्तु हम इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये यह देते हैं। जिनको राजस्थान से मोहब्बत है उनको यह दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी क्या वजह है कि राजस्थान में जितनी इन्डस्ट्रीज चल रही हैं उनमें से उदयपुर में ५ में से ४ चली गई हैं और उनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है और जिनको ६५ के लाइसेन्स मिले उनके साथ क्या नीति अपनाई गई है?

श्री मुरलीधर व्यास : इन्डस्ट्रीज के संबंध में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में क्या होगा? समय बढाया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : इन्डस्ट्रीज का भी एक्स्प्लेनेशन देंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, २० मिनिट हो गये वित्त मंत्री महोदय को बोलते हुए; अभी तक एक भी बात नहीं कही गई। मैं यह मूव करता हूं कि अब क्वेश्चन पुट कर दिया जाय। हमारे टाइम में यह हेर-फेर हो रहा है उसमें हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। गनगोर के मेले में भी जाना है। महिला सदस्यायें भी हैं, उनकी ओर तो आपको ध्यान देना चाहिए। I move that the question be now put.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कौल साहब को खुद को भी गनगोर में जाना है।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी तो मुझे दस-पन्द्रह मिनिट भी नहीं हुए। जिनको गनगोर का मेला देखने का शौक हो वे जा सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। सदन के दरवाजे खुले हैं, जा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत जोरदार बात कही वह इकानामी से संबंधित थी। उन्होंने यह भी कहा कि एमर्जेन्सी का कुछ असर मालूम नहीं होता। मैं नहीं कह सकता कि इससे उनका क्या मतलब है। शायद जिस तरह से हम लोग यहां पर बैठ कर वाद-विवाद कर रहे हैं उनके कहने के मुताबिक एमर्जेन्सी में ये सब चीजें सरपेन्ड की जांय। उनका यह ख्याल हो। इसके अलावा दूसरा भी ख्याल हो सकता है। मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि उनका एमर्जेन्सी से यह मतलब होगा कि लोगों में त्राहि-त्राहि नहीं और जनता ने उनके दरवाजे खट-खटाये नहीं इसलिए उनके ख्याल से एमर्जेन्सी का कोई असर नहीं हो रहा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे निवेदन कर दूं कि ढाई करोड की इकानॉमी हो चुकी है और उसी प्रकार से हम बराबर इकानामी और करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं, क्योंकि यह बढती हुई डवलपमेन्ट की इकानॉमी हैं, इसमें जो लोग सरप्लस हो गये उनको इकानॉमी

(श्री बालकृष्ण कौल)
कट में निकाला नहीं गया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसलिए जो उनकी ओर से शोर होना चाहिये इकानॉमी कट के नाम पर वह नहीं हुआ । शायद इस पर माननीय सदस्य ने देखा हो कि एमर्जेन्सी का कोई असर नहीं ।

अगर हम बजट के आंकडों को देखें तो आर० ए० सी० की बटालियन बढानी पडी है । यह एमर्जेन्सी के लिये जरूरी है । इस पर कितने ही लाख रुपये का खर्च हुआ है और आगे भी होने जा रहा है ।

श्रीमन्, एक प्रश्न माननीय सदस्य ने और उठाया । वह यह उठाया कि इस हुकूमत ने यह मुनासिब नहीं समझा कि जो रुपया वह कर्ज के रूप में ले, या गारन्टी दे, उसके लिये इस सदन से इजाजत क्यों नहीं ली जाती । इस संबंध में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद २९३ को भी कोट किया । श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो यह सवाल उठाया वह कानून के लिहाज से मुनासिब है । इस बारे में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनके इस सवाल उठाने से पहले ही गवर्नमेन्ट के सामने यह सवाल जैर-गौर है । इस पहलू पर पहले ही विचार हो रहा है । मुझे उम्मीद है कि जब पूरा फैसला हो जायगा तो माननीय सदस्य के सामने एक चीज की शक्ल में सामने आयेगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आज तक आपने क्यों नहीं किया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को एडमिट किया है कि यह होना चाहिये था। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने संविधान की परवाह नहीं की । आज तक नहीं की । कॉन्स्टीट्यूशन में हमें निष्ठा है, हमें विश्वास है, हमने कसम खाई हुई है। इस प्रकार के मंत्री महोदय के कथन से हमें शुबाह होता है कि यह अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री मानसिंह महार (आमेर): पांच मिनिट हो गये इस एमर्जेन्सी को लिये हुए । हम तंग आ गये अब इनको समाप्त करने का आदेश दिया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बढिया तकरीर हो रही है, हम सारी रात सुन सकते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल: एक माननीय सदस्य ने एतराज उठाया कि यह चीज थी तो अब तक क्यों नहीं हुई, किसकी जिम्मेदारी है ? मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि यह मेन्डेटरी नहीं है । यह प्रावीजन कॉन्स्टीट्यूशन में है, लेकिन मेन्डेटरी नहीं । जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया, उससे पेश्तर ही यह हमारे ख्याल में था कि इसको एनेलाइज किया जाय इसको पूरी तरह एग्जामिन किया जाय ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ये डाइरेक्शन्स हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल: इसमें "may" है ।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बडे जोरों से कहा कि रिएम्बर्समेन्ट ऑफ मैडिकल बिल्स, इसमें बहुत घोटाले हैं, यह सब गलती फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने यह कहा था जो रूल्स मैडिकल रिलिफ के संबंध में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
पढे गये वे रिडिक्यूलस हैं। इस पर सील आपके डिपार्टमेन्ट की लगी हुई है। क्या बगैर देखे ही आप सील लगा देते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल: जो केसेज हमारे सामने नहीं आते हैं, उन पर हमारी मोहर का सवाल नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रूल्स तो आप ही के यहां से बनते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: रूल्स बनते हैं, लेकिन जहां तक उनके एप्लीकेशन का सवाल है वह तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के पास है, डाइरेक्टर ऑफ मैडिकल एन्ड हैल्थ के पास है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैडिकल रिएम्बर्समेन्ट रूल्स को क्या फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट वेट नहीं करता ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसमें वेट का सवाल नहीं। जो मामले एप्लीकेशन्स के साथ आते हैं उनसे हमारा ताल्लुक नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष: किसी आदमी को मेटर्निटी के अन्दर बेनीफिट नहीं दिया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): दिया तो नहीं गया, किन्तु कानून तो ऐसा बना हुआ है।

श्री बालकृष्ण कौल: श्रीमन्, मैं इसका जिक्र कर रहा था और हमारे माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया कि रूल्स तो फाइनेन्स विभाग ही वेट करती है। मैं यह निवेदन कर दूं कि जब से मैं आया हूं, मेरे आगे तो ये रूल्स कभी नहीं आये। हो सकता है कि जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है उन्हीं के जमाने से ये रूल्स बने हों।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): यह मेरे पर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी तारीख को ये बनाये गये हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): पास्ट और प्रजेन्ट वित्त मंत्री के झगडे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष: यह तो नहीं होना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि नियमों, में इनमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिये, जो मूर्खतापूर्ण नियम बने हैं, जिसमें विधवाओं के और बच्चियों के प्रसव की बात कही गई है, मैं उनको मूर्खतापूर्ण ही कह सकता, हूं।.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: नहीं, आप यह नहीं कह सकते, मूर्खतापूर्ण नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: ये मूर्खतापूर्ण ही हैं। विधवाओं के और आदमियों के और कुंवारी लडकियों के बच्चे होंगे। इस तरह की बातें कोई मामूली हैं ? इस प्रकार के कानून (नियम) बनें और फाइनेन्स उनको वेट कर दें। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि इनको बालकृष्ण कौल या बृजसुन्दर शर्मा के मन्त्रित्व-काल में बनाया गया या नहीं, पर प्रश्न यह है कि जब ये ध्यान में आ गये हैं तो इन में फौरन, तुरन्त, आवश्यक परिवर्तन कराये जाने चाहिये और इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री बालकृष्ण कौल: इस सुझाव को मानने में कोई दो राय नहीं हो सकती । इसको एग्जामिन किया जावेगा और लैकुना है तो उसे दुरुस्त किया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या आपको अब भी इसमें शक है ?

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे अर्ज करूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आपको बताया जा रहा था तब आप किस मूड में थे; देखने और मालूम करने के मूड में नहीं थे क्या ? आपको अब तक देख लेना चाहिये था । आपने अब तक किया क्या फिर ?

श्री बालकृष्ण कौल: एक माननीय सदस्य ने सरकार को मुबारिकबाद देते हुए कहा कि सैस का बिल था उसको वापस ले लिया । पर साथ ही साथ यह भी विचार रखा कि अगर हो सके तो अनाज पर से भी टैक्स वापिस ले लिया जावे । श्रीमन्, इतना मैं निवेदन कर दूं कि यह जो टैक्स है यह अधिकतर उन लोगों पर लग रहा है कि जो अनाज.............

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जो अनाज खाते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो अनाज खरीद कर खाते हैं, इसलिये.........।

श्री मानसिंह महार: घास पर लगाने का इरादा है या नहीं आपका ?

श्री बालकृष्ण कौल: जो आम तौर पर अनाज खरीद कर खाते हैं उन पर लगेगा और जो व्यापार करते हैं उन पर लगेगा ।

श्री नाथूलाल करोल: यह टैक्स तो सारा किसान पर ही जाकर पड़ेगा, सस्ता खरीदेंगे वे अब । उन पर क्या पड़ेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल: धरती माता पर ही सारा बोझ पड़ेगा । इस तरह से अगर हर बोझ किसान पर पड़ेगा तो इस सिद्धान्त से अगर आप कहते हैं तो मान लेता हूं । पर अगर आप यह सोचें कि इस टैक्स का क्या इम्पैक्ट है तो मालूम हो जावेगा कि १० नये पैसे एक घर पर लगेंगे जो व्हीट के खाने वाले हैं उन पर । इसलिये मुझको उम्मीद थी कि माननीय सदस्य इसको जानने के बाद इस मुद्दे पर यहां एतराज नहीं करेंगे । अब वे समझ गये होंगे और अपना एतराज वापिस ले लेंगे, इस प्रसंग में कि जब कि सरकार ने उस सैस को वापिस ले लिया है ।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष: कहीं नहीं हुआ, यों तो ।

श्री भैरोंसिंह: On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रियेशन बिल जो सदन के द्वारा पारित किया जा रहा है इसके अन्दर जितना एमाउन्ट मेन्शन किया गया है वह सारा कन्सोलिडेटेड फण्ड से खर्चा होगा । कन्सोलिडेटेड फण्ड क्या है इसकी व्याख्या कॉन्स्टीट्यूशन में है । कॉन्स्टीट्यूशन हैड जितने हैं उससे ज्यादा खर्चा करने का एप्रोप्रियेशन बिल कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार सदन द्वारा पास नहीं किया जा सकता ।

कन्सोलिडेटेड फण्ड में वित्त मन्त्रीजी ने बजट भाषण दिया था उसके रिसोर्सेज टैक्स के द्वारा क्या होंगे, इसका उल्लेख किया था । दो करोड ३७ लाख के लगभग लैंड रेवेन्यू

(श्री भैरोंसिंह)

सेस लगाया था जो घट कर अब २५ लाख के करीब आ गया है। यह भी कन्सोलिडेटेड फण्ड का पार्ट है, अब आज जो एक्सपेन्डीचर किया जा रहा है उसी के बेसिस पर किया जा रहा है जिसका केलकुलेशन बजट पास करते समय हुआ और जिसके आधार पर बाद में एप्रोप्रियेशन बिल जिस प्रकार तरमीम किया जाकर पेश किया जाना था वह नहीं किया गया।

इस हालत में जो बिल पारित किया जा रहा है वह कन्सोलिडेटेड फण्ड जो कानून के अनुसार जितना होना चाहिये था और जिसके उपरान्त कोई एप्रोप्रियेशन बिल पास नहीं किया जा सकता, उसके अगेन्स्ट में यहां पारित कराया जा रहा है। इसलिये यह इल्लीगल है। इसको जब तक रिसेट नहीं किया जावे तब तक पारित नहीं किया जा सकता।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, जो पॉइन्ट माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं उसके बारे में इतना अर्ज कर दूं कि बजट को पास करना एक चीज है, और यह कहना कि क्योंकि यह बजट डेफीसिट है और इसलिये नहीं हो सकता, यह दूसरी बात है।

डेफीसिट बजट भी पास होते हैं। उससे इसका ताल्लुक नहीं है कोई। इसलिये मैंने माना है कि यह डेफीसिट है। और इसको पास करने में कोई इल्लीगेलिटी का सवाल नहीं उठता।

श्री मुलीधर व्यास : एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। मंत्री ने कहा ६० पैसे के बारे में।

श्री अध्यक्ष : पहले आप एक पोइन्ट ऑफ आर्डर तय हो जाने दें।

माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि यह एप्रोप्रियेशन बिल इसलिये पास नहीं किया जा सकता क्योंकि कन्सोलिडेटेड फण्ड से जिन मांगों के मद में खर्च किया जावेगा उसमें अब पहले से बहुत कम रकम रहेगी, क्योंकि कर प्रस्तावों में संशोधन किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने उत्तर दिया कि डेफीसिट बजट भी पास किया जा सकता है।

डेफीसिट बजट पास अवश्य किया जा सकता है। लेकिन माननीय भैरोंसिंहजी की आपत्ति यह थी कि जो स्थिति सदन के सामने पहले थी कि एक कन्सोलिडेटेड फण्ड में अमुक रकम निश्चित मात्रा में अमुक तरह से पहुंचती है वह अब चूंकि कर संशोधन किये जा चुके हैं, इसलिये नहीं पहुंचेगी और इसलिये जब सारा जो यह पैसा खर्च होगा वह इस फण्ड में से किस तरह से पूरा किया जायगा?

माननीय सदस्य ने जिस तरह से बताया उस तरह से कमी के स्थान पर कन्सोलिडेटेड फण्ड में वृद्धि भी हो सकती है। अभी टैक्स के प्रपोजल्स और आ रहे हैं, साल के दौरान में और आ सकते हैं और इस तरह से यह भी मुमकिन है कि किसी स्टेज पर जाकर यह बजट सरप्लस का भी रूप धारण कर ले; तो इस पृष्ठभूमि में थ्योरेटिकल पाइन्ट से उसमें कोई ऐसी बात हो, ऐसा नहीं है क्योंकि जो टैक्स लगेंगे साल भर में उनसे केवल यह डेफिसिट न होकर बराबर भी हो सकता है और सरप्लस का रूप भी धारण कर सकता है। इसलिये प्रश्न यह नहीं है कि बजट डेफी-

(श्री अध्यक्ष)
सिट हो जावेगा या कन्सोलिडेटेड फण्ड में उतना पैसा रहेगा या नहीं रहेगा ।

मैं समझता हूं कि जो आपत्ति उठाई गई है इसलिये स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि जो कन्सोलिडेटेड फण्ड में पैसा है या जो अन्य उपकरण सरकार को उपलब्ध हैं उसके द्वारा जितनी मांग सदन स्वीकार करता है उनका चुकारा किया जा सकता है । इसलिए आपत्ति अस्वीकार की जाती है और इस विधेयक पर आगे कार्यवाही की जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न थोडा सा जानना चाहता हूं । आपने फरमाया कि ९० न. पै. पर-व्यक्ति अनाज के ऊपर पडेगा और ७० लाख उन्होंने मांगा है कि ७० लाख रुपया अनाज के टैक्स के रूप में आयेगा । तो २ करोड के आसपास आबादी है और ९० न. पै. के हिसाब से और ७० लाख रु० चाहते हैं तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किस प्रकार से लगेगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : पर फैमिली मैंने कहा है और वह भी व्हीट का नहीं है । २ करोड तो कुल व्यक्ति हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पर-फैमिली भी ५ आदमियों की मान लें तो फिर कम हो जाता है, उसमें भी गलत है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है एन ब्लाक जो है वह बाजार से खरीदते नहीं हैं । जो किसान हैं वे तो बाजार से लेकर खरीदते नहीं हैं । जो खरीदते हैं उनके ऊपर इन्सीडेन्स आता है, उनका जिक्र किया गया है । इनसलिये २ करोड को मल्टीप्लाई करके अथमेटिकली रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९६३ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९६३ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

प्राक्कलन एवं जनलेखा समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्राक्कलन समिति १९६३-६४ के लिए निम्नांकित सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं :

विभाजन संख्या

श्री मोतीलाल चौधरी, (११६)

श्री केसरीसिंह (८९)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (५१)

श्रीमती गौरी पूनिया (४७)

श्री गंगासिंह परिहार (४४)

श्री चौसरसिंह बाबेल (३०)

श्री जयनारायण सालोदिया (७६)

मास्टर श्री नत्थीसिंह (१२१)

श्री नाथूराम (१२७)

श्री मालमसिंह (१०२)

श्री मोहनलाल सारस्वत (११२)

श्री रविशंकर याज्ञनिक (१४६)

श्री रामकिशन (१४४)

श्री रामचन्द्र (१४२)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (६३)

इस समिति का कार्यकाल ३ अप्रेल १६६३ से आरंभ होगा । श्री मोतीलाल चौधरी समिति के सभापति नियुक्त किये गये हैं ।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, १६६३-६४ के लिए निम्नांकित सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया है :

श्री हरदेव जोशी (६०)

कुमारी उमा माथुर (१६६)

श्री घासीराम यादव (४८)

श्री छत्रसिंह (२७)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (८४)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (१४)

श्री मनफूलसिंह (१०५)

रावत श्री मानसिंह महार (१०६)

श्री मुरलीधर व्यास (११६)

श्री मोहनराज (११३)

इस समिति का कार्यकाल ३ अप्रेल, १६६३ से आरंभ होगा। श्री हरिदेव जोशी इस समिति के सभापति होंगे ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ५५ मिनट पर दिनांक ३० मार्च, १६६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

संक्षिप्त विवरण
(शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
निलंबित नगरपालिकाध्यक्ष	५५३५	फैक्टरीज एक्ट के लागू करने से ग्राम उद्योगों को कठिनाइयां	
गंगानगर जिले की जिनिंग फैक्टरीज के मजदूर		गिरी बांध से सम्बद्ध विषय	
ग्राम पंचायत निम्बाडा की सरहद पर वन विभाग की नर्सरी		चरणोट की पैदावार की आय	
		चोरीशुदा माइक्रोस्कोप की वसूली	
बाड़मेर नगरपालिका का चुनाव		थली में दवाखाना	
मिलों में उत्पादन बढ़ाने की योजना		बीड़ लूणेरा—तहसील निवाई	
घग्घर नदी की बाढ़ से क्षति		खेमली स्टेशन पर मंडी की योजना	
चराई की दरें जोड़ बीड़, जिला बीकानेर		टोडाभीम में पानी के नल की योजना	
		भरतपुर जिले के पुराने बांधों को सुधारने की योजना	
बालोतरा में मेटेरनिटी वार्ड व लेडी डाक्टर की नियुक्ति		राज्य सरकार द्वारा कर्जे की गारन्टी	
नगरपालिका फतेहपुर की जल-प्रदाय योजना		न्यूनतम वेतन निरीक्षकों की नियुक्ति	
		कम्पाउन्डर्स की सेवा की शर्तें	
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के राजपत्रित अधिकारी		जागीरदारों के मुआवजे के दावे	
		तहसील लक्ष्मणगढ के पुराने बांधों की मरम्मत	
डाक्टरों का रिटायरमेन्ट		आर. पी. एस. से आई. पी. एस. अधिकारी बनाने की सिफारिश	
नहरों की मरम्मत, तहसील झालरा-पाटन		वजीरपुर पंचायत में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम	
जैसलमेर में काश्त का इन्द्राज		खेतों की बाड के लिए झाड़—मन्डाना व लाडपुरा रेन्ज, जिला कोटा	
नेहरू अवार्ड के तहत मुआवजा		इन्डोर रोगियों के लिए व्यवस्था आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर	
नगरपालिका बीकानेर के हरिजनों को इतवार का वेतन			

२. विधायी कार्य स्कम्भ ५३६०

(क) वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान लैंड रेवेन्यू (जनरल सस) विधेयक, १९६३

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री ने, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त विधेयक को वापस लिया ।

(ख) पुरःस्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) संशोधन विधेयक, १९६३

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया ।

३. सदन की मेज पर रखे गए पत्र

निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखे गए:—

(१) राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ से सम्बन्धित पत्र (Paper to the Bill)।

(२) डीलिमिटेशन कमीशन (mitation Commission) की आज्ञा संख्या १ दिनांक २० मार्च, १९६३ ।

४. प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जनलेखा समिति, १९६२-६३ ने समिति के दूसरे प्रतिवेदन (प्रथम व द्वित्तीय खण्ड) का उपस्थापन किया जो निम्नलिखित लेखे व अंकेक्षा-प्रतिवेदनों से संबंधित स्कम्भ हैं:—

(१) विनियोग लेखा, १९५९-६० एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६१ ।

(२) वित्त लेखा, १९५९-६० एव अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६० ।

५. विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(२) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये

(१) श्री नाथू लाल करौल

(२) श्री जयकृष्ण

(३) श्री चन्द्रसिंह वर्फा

(४) श्री गंगासिंह राठौड

(५) श्री मुरलीधर व्यास स्कम्भ

(६) श्री भैरोंसिंह

(७) श्री भीमसेन

(८) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(९) श्री रामानन्द अग्रवाल

(१०) श्रीमती सुमित्रा

(११) श्री मानसिंह महार

(१२) श्री केदार नाथ

(१३) श्री ज्वालाप्रसाद

(१४) श्री मानिकचन्द सुराणा

सरकार की ओर से श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप मंत्री, राजस्व विभाग एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

६. **जन-लेखा समिति**, १९६३-६४ **तथा प्राक्कलन समिति**, १९६३-६४ **के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा** ५५७४

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन लेखा समिति, १९६३-६४ तथा प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ के निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं:

जन लेखा समिति, १९६३-६४

(१) श्री हरिदेव जोशी (६०)

(२) कुमारी उमा माथुर (१६९)

(३) श्री घासीराम यादव (४८)

(४) श्री छत्रसिंह (२७)

(५) श्री ज्वालाप्रसाद (८४)

(६) श्री भैरोंसिंह (१३)

(७) श्री मनफूलसिंह (१०५)

(८) श्री मानसिंह महार (१०६)

(९) श्री मुरलीधर व्यास (११९)

(१०) श्री मोहनराज (११३)

इस समिति का कार्यालय दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ से प्रारंभ होगा। श्री हरिदेव जोशी समिति के सभापति नियुक्त किये गए।

प्राक्कलन समिति, १९६३-६४

(१) श्री मोतीलाल चौधरी (११६)

(२) श्री केसरीसिंह (८९)

(३) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (५१)

(४) श्रीमती गौरी पूनिया (४७)

(५) श्री गंगासिंह परिहार (४४)

(६) श्री चौसरसिंह बाबेल (३०)

(७) श्री जयनारायण सालोदिया (७६)

(८) श्री नत्थीसिंह (१२३)

(९) श्री नाथूराम (१२७)

(१०) श्री मालमसिंह (१०२)

(११) श्री मोहनलाल सारस्वत (११२)

(१२) श्री रविशंकर याज्ञिक (१४९)

(१३) श्री राम किशन (१४४)

(१४) श्री रामचन्द्र (१४२)

(१५) श्री हरिप्रसाद (६३)

इस समिति का कार्यकाल दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ से प्रारंभ होगा ।

शनिवार, दिनांक ३० मार्च, १९६३

की कार्य-सूची

१. राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्कम्म स्प्रिट टैक्सेशन विधेयक, १९६३ । ५५७६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

२. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(विचार-विमर्श एवं पारित)

३. राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ ।

(श्री दुर्गालाल बाढदार द्वारा संकल्प की प्रस्तुति, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री मोतीलाल चौधरी समिति के सभापति नियुक्त किये गए ।

सदन की बैठक ५ बजकर ५५ मिनट पर शनिवार, दिनांक ३० मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ का उत्तर देखिये)

क्रम० सं०	नाम अध्यक्ष न० पा०	नाम न० पा०	निलंबन की तिथी
१.	श्री मोहनलाल शर्मा	सरदारशहर	२४-१०-६२
२.	श्री केशवदेव मित्तर	नवलगढ	१०-५-६२

Statement of allegations against Shri Mohan Lal Sharma, Chairman, Municipal Board, Sardarshahar.

1. Shri Mohan Lal Sharma is guilty of flagrant abuse of his position as Chairman for the following reasons.

(i) He appointed Shri Vishwanath his brother-in-law (Sadu) first as Assessor and later on as Revenue Officer, even when he was not competent to appoint him, and when there was no budget provision and administrative sanction for this post.

(ii) He sanctioned an allowance of Rs. 40/-+10/- to Shri Vishwanath without any authority and sanction.

(iii) He allowed Shri Vishwanath to appear in M. Com. in March/April, 1962 examination without leave and paid him the salary for even for the period Shri Vishwanath did not work.

2. Shri M. L. Sharma is guilty of misconduct for the following reasons:

(i) He sold a lift of the Tractor without any authority during August, 1961 to one Shri Om Prakash of Bhadra and embezzeled Rs. 2,000/- received on account of sale of said lift temporarily as the same were never credited to Municipal Fund.

(ii) He bluffed the Dy. Director of Local Bodies on his visit to Sardar shahar during February, 1962 by showing a second hand lift in place of the original lift of the Board.

(iii) He has forged the rough proceeding book in respect of the meeting of the Board held on 11-1-62.

(iv) He has flouted the orders of the Director of Local Bodies in case of one Rameshwar Harijan, by not taking him on duty.

(v) He did not record the proceedings accurately and recorded proceedings which were never dictated in the Board.

(vi) He kidnapped Shri Qulan Razool while Dy. Director of Local Bodies was at Sardarshahar in February, 1962.

(vii) To file No. 71 of 1959 with regard to sale of land to Shri Idu S/o Shri Khuda Bux Dhobi by caste, he sold land to Shri Gulam Mohammed by showing that his bid was for Rs 6/- wher as no auction had ever taken place in respect of this piece of hand.

(viii) In file No. 107 dated 17-2-60 for sale of land to Salag Ram action was fictitious.

(ix) He sold land near Garh at very cheap rate in an intriguing manner

Charge-Sheet to be Served on Shri Kesbav Deo Minter Ex-Chairman, Municipal Board, Nawalgarh.

The Government have reasons to feel that you are guilty of mis conduct in discharge of your duties as Chairman.

() Sarv Shri Mohan Lal Laxmi Narain had donated a sum of Rs 1100/- in connection with cremation ground. Out of this amount Rs. 100 were to be spent for clearing the cremation ground and Rs. 1,000/- were to spent for the arrangement of tne wood, A condition was also laid down that the cost of funeral would be charged not less than Rs. 11/- per dead body. Shri K.D. Minter did not maintain preper account of the donated amount of Rs. 1,100/- and also did not maintain sufficient stock of fuel so much so that there was no fuel available for the disposal of the donor's mother

(ii) A receipt No. 1 book No. 1 dated 4-5-60 for Rs. 5/- was issued by Shri K.D. Minter to Shri Ramzan Vyapari of Nawalgarh. This amount has not been debited in Board's account.

(iii) A plot of land was on rent with Shri Pyarelal at Rs. 22 P.M.Shri K.D Minter disposed of this land to Shri Pyarelal for Rs. 60/- on 31-3-61 in contravention of Local Self-Government. Department Notificaion No. F. 7 (187) L.S.G./58 dated 8-3-61 according to which plots of land are to be sold at fixed price to low Income Group people.

(iv) The Municipal Board, *vide* its resolution No. 2 dated 30-4-60 authorised Shri Minter to purchase tractor against the loan of Rs. 10,000/- granted by the Government. A Fordson Mazor Tractor was purchased by Shri Minter in contravention of financial Rules.

(*a*) Publicity for calling tenders was not made.

(*b*) A brand new tractor was not purchased as per condition of the Rules.

(*c*) Sanction under section 80 (5) of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 was not obtained. The agriculture Engineer, Rajasthan has pointed out numerous defects in the Tractor.

(5) You have flagrantly abused your powers by administering oath to Shri Durga Devi, member Municipal Board, Nawalgarh in contravention of section 61 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (No. 38 of 1959).

Supplementary charge sheet to be given to Shri Keshov Deo Minter, Chairman, Municipal Board, Nawalgarh (Under Suspension).

The Government have further reasons to feel that you are guilty of misconduct in discharge of your duties as Chairman :—

(1) There is a complaint that Harijans and the staff of the Municipal Board, Nawalgarh were not paid their salaries for the month of June and July, 1961. You have also committed gross negligence as you have not obtained the permission of the Government for appointing 6 more Harijans against the Scheduled strength.

(2) Trunk Calls made by you for your personal work were charged to Municipal Boards funds, the board also put to a great loss as you did not enforce the provisions of the Food Adulteration Act.

(3) Office record of the Municipal Board is reported to be not properly maintianed. Posting in ledger of income and expenditure have not been shown from 14-2-61 onwards. Stock registers are miserably incompleted.

(4) (a) You have committed gross irregularity by not paying Rs. 90/ taken as advance which still stands against your name.

(b) You ordered for the sale of news papers on 25-9-61 @ 1½ Seer for Rupee to Shri Nasiruddin on credit. There is no such entry in the Board's Registers. The payment of the sale transaction has not yet been made. This is a clear instance of the irregularity committed by you.

(c) Security amounts deposited by the candidates in connection with the recent general election of the Municipal Board, Nawalgarh have not been refunded so far.

(d) The compromise made by you with Phool chand with regard to electric connection without referring the matter to the Board is irregular.

परिशिष्ट २

(समया भाव के कारण प्रश्न समय में न लिए) जा सकने वाले-प्रश्नोत्तर)

खेमली स्टेशन पर मंडी की योजना

७०९. **श्री सम्पतिलाल बोहरा** (मावली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या खेमली स्टेशन (मावली तहसील) पर मन्डी बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो कब से ?

(३) यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) दिनांक २१-१०-५७ से ।

(३) पंचायत समिति, मावली ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। भूमि प्राप्त हो जाने पर योजना की मौके पर कार्यान्विति होगी ।

टोडाभीम में पानी के नल की योजना

७१०. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार ने टोडा-भीम में नल लगाने की योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो वह कब आरम्भ होगी और नहीं बनाई है तो कब तक बन जावेगी ?

(३) क्या यह सच है कि यहां पर पानी की कोई कमी नहीं है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

भरतपुर जिले के पुराने बांधों को सुधार ने की योजना

७११. **श्री सांवलियाराम,** (रूपवास) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) संकटकालीन स्थिति में अधिक उपज बढाने के लक्ष को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने भरतपुर जिले में जो बांध स्टेट के समय के बंधे हुए हैं, तथा जिनकी अवस्था जीर्ण हो चुकी है उनको सुधारने के लिये कोई विचार किया है ?

(२) यदि हां, तो ऐसे बांध कहां कहां हैं तथा इनकी मरम्मत कब तक हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) अधिकतर इस प्रकार के बांध रूपवास एवं बयाना तहसीलों में हैं इनकी आवश्यक मरम्मत बरसात आने के पहले कर दी जावेगी ।

राज्य सरकार द्वारा कर्जे की गारण्टी

७१२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर के कुछ कर्जे की गारण्टी की हुई है ? यदि हां, तो यह गारण्टी कितने कर्जे की सीमा तक की हुई है ? ३१-३-६२ तक इस कम्पनी ने कितना कर्जा लिया हुआ था जिस पर राजस्थान सरकार की गारण्टी थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस कम्पनी में राजस्थान सरकार के कोई शेयर नहीं हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार इस कम्पनी से कर्जा गारण्टी करने के बदले में कोई फीस भी नहीं लेती है ?

(४) राजस्थान सरकार ने किसके हित के लिये इस कम्पनी का कर्जा गारण्टी करने की अपने सर पर जिम्मेदारी ले रक्खी है ?

उत्तर

(१) जी हां, ३० लाख रुपये तक की गारंटी दी हुई है ।

(२) ३० लाख रुपये :

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) राजस्थान के इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट व लेबर एम्प्लायमेंट बढ़ाने के लिये।

न्यूनतम वेतन निरीक्षकों की नियुक्ति

७१३. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या श्रम विभाग में न्यूनतम वेतन निरीक्षक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? कृपया निरीक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें । क्या इन निरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो चुकी है ? यदि हां, तो कृपया राज-पत्र की तिथि तथा नम्बर बतायें ?

उत्तर

जी हां, १९५३ से निरीक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखी गई है । इनकी सूचना राज-पत्र में प्रकाशित हो चुकी है । राज-पत्र की तिथि तथा नम्बर, जिसमें निरीक्षकों की नियुक्ति प्रकाशित हुई है इस प्रकार है :

१. दिनांक २२-११-६२ भाग ४ (ग) पृष्ठ संख्या ५९६ ।

कम्पाउण्डर्स की सेवा की शर्तें

७१४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) थ्री मन्थस् ट्रेन्ड कम्पाउण्डर्स की सर्विस कन्डीशन्स क्या हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कम्पाउण्डर्स जब तक पी. एन. आर. सी. एक्जामिनेशन पास नहीं कर लेते, उनको केवल ४०) रु० प्रति माह पर नौकरी करनी पड़ रही है जब कि काम (ड्यूटी) उनसे पूर्ण कम्पाउण्डर का ही लिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि टी. बी. आइसोलेशन में काम करने वाले स्टाफ को स्पेशल रिस्क एलाउन्स नहीं मिलता और टी. बी. क्लिनिक्स में काम करने वाले स्टाफ को स्पेशल रिस्क एलाउन्स मिलता है जब कि दोनों स्थानों पर रिस्क एक समान है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । यह सही है कि टी. बी. क्लिनिक तथा टी. बी. अस्पताल के स्टाफ को रिस्क एलाउन्स दिया जाता है । परन्तु टी. बी. आइसोलेशन बेड्स के स्टाफ के रिस्क एलाउन्स देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

जागीरदारों के मुआवजे के दावे

७१५. **श्री मोहरसिंह राठौड़** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कितने जागीरदारों के मुआवजे के दावे आज दिन तक अन्तिम रूप से तय कर दिए हैं ?

(ख) उनमें से कितने दावों पर सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड में ले जाने का फैसला किया है ?

(ग) रेवेन्यू बोर्ड द्वारा कितनों पर फैसला सरकार के पक्ष में दिया गया है ?

(घ) कितने दावे फैसल हुए बिना पड़े हैं और उन्हें कब तक फैसल कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(क) २,२४,५८२ मुआवजे के दावे १९६३ तक अन्तिम रूप से तय कर दिये हैं ।

(ख) ५३५ ।

(ग) ४०५ केसेज में रेवेन्यू बोर्ड ने फैसले किये जिसमें से ३३९ केसेज में सरकार के पक्ष में फैसला किया गया और ६६ केसेज को खारिज कर दिया ।

(घ) अभी तक रेवेन्यू बोर्ड में १३० केसेज विना फैसले के हैं । क्योंकि यह मामला ज्युडिसियल व कानूनी है अतः यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये केसेज रेवेन्यू बोर्ड से कब तक फैसल हो जायेंगे ।

तहसील लक्ष्मणगढ़ के पुराने बान्धों की मरम्मत

७१६. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) लक्ष्मणगढ़ तहसील अलवर में कितने पुराने बांधों की तृतीय पंच वर्षीय योजना में मरम्मत की जावेगी ? और उनमें कितनी कितनी धन राशि खर्च होगी ? पृथक २ बतावें ?

(२) तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में किन किन पुराने बांधों की सरकार ने मरम्मत कराई और उनमें कितनी २ धन राशि खर्च हुई ? पृथक २ बतावें ?

उत्तर

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में पुराने बांधों की आश्यकतानुसार तृतीय पंच वर्षीय योजना में मरम्मत सदैव की भांति कराई जावेगी । बांधों की मरम्मत बरसात से होने वाले नुकसान पर निर्भर रहती है, एवं प्रत्येक बांध पर समस्त तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये पृथक २ धन राशि का ब्योरा देना सम्भव नहीं है ।

(२) विभाग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पंच वर्षीय योजना में तहसील लक्ष्मणगढ़ के बांधों के मरम्मत का ब्यौरा संलग्न मानचित्र में दिया गया है ।

आर. पी. एस. से आई. पी. एस. अधिकारी बनाने की सिफ़ारिश

७१७. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) गत पांच वर्षों में कितने आर. पी. एस. अधिकारियों को आई. पी. एस. अधिकारी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सिफारिश की है ?

(२) किस किस जिले के किन किन आर. पी. एस. अधिकारियों को प्रमोशन मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

१९५७	३	
१९५८	१	कुल ८
१९५९	२	
१९६०	१	
१९६२	१	

बीकानेर जिला

(१) स्वर्गीय श्री ताराचन्द ... १९५७

(२) श्री बहादुरसिंह .. "

(३) श्री मदनलाल कश्यप .. १९५८

(४) श्री कुन्दनलाल .. १९५९

जयपुर जिला

(१) श्री अमरसिंह .. १९५७

(२) श्री पांचूलाल बैनरजी .. १९५९

(३) श्री मोतीसिंह आर. पी. एस. (स्थानापन्न) परावर्तित

जिला अजमेर

(१) श्री के० डी० गौरी आर. पी. एस. (स्थानापन्न) ।

वजीरपुर पंचायत में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम

७१८. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि वजीरपुर पंचायत, तहसील गंगापुर में करीब ३ वर्ष पूर्व रूरल वाटर सप्लाई स्कीम स्वीकृत हुई थी किन्तु उसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां । शर्त के अनुसार पंचायत ने अपने हिस्से के ५ प्रतिशत रुपये अभी तक जमा नहीं कराये इस कारण योजना शुरू नहीं की गई ।

खेतों की बाड के लिए झाड-मण्डाना व लाडपुरा रेंज, जिला कोटा

७१९. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि रेंज मण्डाना व लाडपुरा जिला कोटा द्वारा न्याय पंचायत सर्किल मण्डाना व केथून के लोगों को खेतों में बाड़ करने के लिये जंगल से धुआली व झाड़ समय पर नहीं काटने देते ? यदि हां, तो क्यों ?

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के रकबे के चारों तरफ जंगल होने के कारण जंगली जानवरों द्वारा काफी नुकसान किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इन्-डोर रोगियों के लिए व्यवस्था—आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर

७२०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भरतपुर में इन्-डोर रोगियों की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कितने बैड्स की ?

(२) इन्-डोर रोगियों के लिये उक्त औषधालय का कितना बजट है ?

(३) इस समय इन्-डोर रोगियों की संख्या क्या है ?

उत्तर

(१) पांच रोगी शय्याएं मय पथ्य (डाइट) भरतपुर औषधालय के लिये स्वीकृत हैं और दस बैड्स पर रोगियों को उनके खुद के पथ्य पर रखने की व्यवस्था है।

(२) २,०००) रु० का बजट स्वीकृत है।

(३) दैनिक औसत संख्या १० है।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २९ मार्च, १९६३)

स्कम्भ सं. १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
५३३६	अन्तिम से ५	मजा गया	मेजा गया
५३४२	अन्तिम से २	निम्बाहेडा	निम्बाडा
५३४७	शीर्षक	२९ मार्च, ११९६३–	२९ मार्च, १९६३
५३४८	१०	श्री मुकटविहारीलाल गोयल	श्री मुकुटविहारीलाल गोयल
५३५०	५	श्वीकृति	स्वीकृति
,,	१७	श्री श्योपतसिह	श्री श्योपतसिंह
५३५१	८	डबे थे	डूबे थे
५३५२	८	जानका ी	जानकारी
५३५५	शीर्षक	२९ माच,	२९ मार्च
५३५८	१९	श्री उपाध्यक्ष : Next queston	श्री उपाध्यक्ष : Next queston
,,	२२	श्री रामाननद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
५३५९	अन्तिम से २	जाती है	व्यक्तियों की की जाती है
		—	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
५३६१	शीर्ष	—	(श्री हरिराम चौहान)
५३६३	,, ५३८		
५३६४	अतिन म	समचित	समुचित
५३६७ से	शीर्षक	प्रश्नोत्तर २९ मार्च,	प्रश्नोत्तर–२९ मार्च,
३५३६७	१६	सही हे	सही है
१५६८	६	श्री दलपतसिह	श्री दलपतसिंह
,,	१८	सेटलमेट	सैटलमेन्ट

Page No 135

१	२	३	४
५३६६	६	ह	हूं
,,	२०	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकटबिहारीलाल
५३७२	२	ी भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
५३७३	अन्तिम से ३	गया ह ?	गया है ?
५३७७	अन्तिम	ह	हैं
५३७८	२१	श्रीमती लक्ष्मीकुनारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
,,	२५	श्रीमती लक्ष्मीकुमा ी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
५३७९	शीर्ष	(रामप्रसाद लडढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
५३८०	अन्तिम से ३	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
५३८१	१	(बैर)	(वैर)
५३८४	अन्तिम से २	उप-मत्री,	उप-मंत्री
५३८७	अन्तिम से २	ईb ह	है यह
५३८९	स्कम्म	३५८९	५३८९
,,	२६	qustion	question
५३९०	१०	श्री नि जननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	अन्तिम से ३	लड	लैंड
५३९१—५३९२	शीर्षक	पुरः स्थापित किये—२९ मार्च, १९६३—गये विधेयक	लैंड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक—२९ मार्च, १९६३—पुरः स्थापित किये गये विधेयक
५३९१	२४	स्थापन	उपस्थापन
५३९२	६	रखाना)	रखना)
,,	८	श्री भीमसिह	श्री भीमसिह

१	२	३	४
५३६३–५३६४	शीर्षक	राजस्थान विनियोग सं. ३–२६ मार्च, १६६३– विधेयक, १६६३	डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, १६६२ की आज्ञा–२६-मार्च, १६६३–विनियोग (संख्या ३), विधेयक १९६३
५३६३	अन्तिम से ८	**श्री नाथूराम करेल**	**श्री नाथूलाल करौल**
५३६७	शीर्ष	(श्री नाथूराम करौल)	(श्री नाथूलाल करौल)
५३६६	२१	बकाय।	बकाया
,,	अन्तिम से ४	प्राफिट	प्रोफिट
५४०४	अन्तिम	जरूरी है कि	जरूरी है कि
५४०५	११	टैक्सज	टैक्सेज
,,	२६	सकुर्लर्स	सकुंलर्स
,,	अन्तिम से २	में ीर मुस्तकिल	में गैर मुस्तकिल
५४०८	६,	तसहूलियत	सहूलियत
५४०६	१०	(लणकरणसर)	(लूणकरणसर)
,,	२०	**श्री नायुलाल करौल**	**श्री नाथूलाल करौल**
५४११	११	ग्राँर	ग्रौर
५४१३	अन्तिम से ८	मद्दतजर	मद्देनजर
५४१४	२	नागोर	नागौर
,,	५	डिसट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
५४१५	१८	संबंध भी में	संबंध में भी
५४२६	७	तो मैं यह	**श्री भैरोंसिंह** : तो मैं यह···
५४३२	अन्तिम से ४–३	ग्रनएम्पलोयमेंट	ग्रनएम्पलॉयमेंट
५४३६	२३	होता।	होता।

१	२	३	४
५४३७	१४	चेयरमन	चेयरमेन
५४४५	२६	(२०-०० म. प.)	(२.०० म. प.)
५४४६	अन्तिम से ६	श्री मरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
५४४८	१०	शव्द को	शव्द को
,,	१६	श्री सतीशचन्द्र अग्रवल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५४५१	१५	रिपोट	रिपोर्ट
,,	१८	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५४५५	अन्तिम	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
५४५६	१३	करते ह ।	करते हैं ।
५४५७	६	टक्स	टैक्स
,,	१५	मगा	मंगा
५४५६	अन्तिम से ६	वर्षा से	वर्षों से
५४६०	१३	म यह	में यह
५४६६	अन्तिम से ७	म	में
५४६७	–५४६८ शीर्षक	–२६ माचट्ट १६६३–	–२६ मार्च, १६६३–
५४६८	अन्तिम	स्टट का	स्टेट का
५४७२	२२	Let me	Let the,
,,	२८–२६	to produce	I don't wan to produce
५४८७	११	श्रीमती मित्रा :	श्रीमती सुमित्रा :
५४८६	अन्तिम	न्र एक	अन्दर एक
५४६४	२४	श्री निरंजननाथ अचार्य :	श्री निरंजननाथ आचार्य :

१	२	३	४
५४९५	२०	**महारावल लक्ष्मण सिंह**	**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**
५५०६	अन्तिम	बडे सवाल	दूसरे वडे बडे सवाल
५५१४	२५	**श्री मानिकचन्द सुराण :**	**श्री मानिकचन्द सुराणा**
५५१६	१४	करटप	करप्ट
,,	अन्तिम	के पि	के पी.
५५२१	१६	स्वश्भविक	स्वाभाविक
५५२५	३	एटक	एक्ट
५५२६	२६	बचानो	बचाने
५५२६	१	के बारे और	के बारे में और
५५३२	६	टग्रुप्स	ग्रुप्स
,,	अन्तिम से २	बुनियादीन	बुनियादी
५५३३	अन्तिम से ५	**श्री रामप्रसाद लड्ढ :**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा :**
५५३४	२	कहना चाहता	करना चाहता
५५३७	४	हमने य	हमने यह
५५३६	४	एक्जांमिन	एग्जामिन
५५४३	अन्तिम से ७	, Sir	Sir,
५५४५	२	चाहता हं	चाहता हूं
,,	१६	Sir	Sir,......
५५५१	१५	इप्रूव नहीं होगा ?	प्रूव नहीं होगा ?
५५५५	८	रा ा	राय
५५५७	१२	**श्री बाल कृष्ण कोल**	**श्री बालकृष्ण कोल :**
५५५८	शीर्षक	–विनियोग, १६६३	विधेयक, १६६३

१	२	३	४
५५६२	१४	प्रापोर्शन	प्रोपोर्शन
५५६३	अन्तिम से ६	एक्स्प्लेनशन	एक्स्प्लेनेशन
५५६४	अन्तिम से २	डवलपमेन्ट	डेवलपमेन्ट
५५६७	,, ,, ६.	**श्री बालकृष्ण कौल** :	**श्री बालकृष्ण कौल** :
५५७०	२२	सद	सदन
५५७१–५५७२	शीर्षक	राजस्थान विनियोग ३–२६ मार्च, १९६३–संशोधन विधेयक, १९६३	राजस्थान विनियोग (सं. ३)-२६ मार्च, १९६३–विधेयक, १९६३
५५७१	२१	अर्ज कर	अर्ज कर
,,	अन्तिम से ३	**श्री मुरलीधर व्यास** :	**श्री मुरलीधर व्यास** :
५५७४	४	अथमेटिकली	एरिथमेटिकली
५५७६	३	(जनरल संस)	(जनरल सेंस)
,,	२०	कमीशन (	कमीशन (Deli
५५८२	शीर्षक	संक्षिप्त विकरण	संक्षिप्त-विवरण
५५८६	३	wher as	whereas

———————